

## C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)  
No. 06, Thursday, December 3, 2015/ Agrahayana 12, 1937 (Saka)**

<b>S U B J E C T</b>	<b>P A G E S</b>
<b>REFERENCE BY THE SPEAKER</b>	
Bhopal Gas Tragedy	8
<b>ORAL ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
*Starred Question Nos. 61 to 64	11-43
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos. 65 to 80	44-93
Unstarred Question Nos. 691 to 920	94-664

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

<b>PAPERS LAID ON THE TABLE</b>	665-666
<b>STANDING COMMITTEE ON FINANCE</b> <b>19<sup>th</sup> to 26<sup>th</sup> Reports</b>	666-667
<b>ARBITRATION AND CONCILIATION</b> <b>(AMENDMENT) BILL, 2015</b>	669-670
<b>STATEMENT RE: ARBITRATION AND CONCILIATION</b> <b>(AMENDMENT) ORDINANCE, 2015</b>	671
<b>DISCUSSION UNDER RULE 193</b>	
Flood situation in Tamil Nadu and other parts of the Country	673-695
Dr. Kirit Somaiya	673
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	674-675
Shri D.K. Suresh	676-677
Dr. Kirit P. Solanki	678
Shri A.T. Nana Patil	679-681
Kumari Shobha Karandlaje	682-683
Shri Rajnath Singh	684-686 693-695
<b>SUBMISSIONS BY MEMBERS</b>	
(i) Re :Hardships faced by rubber cultivators of Kerala	696-698
(ii) Re: Need to construct a memorial in the name of Dr. Rajendra Prasad in his native village Zeradai, Siwan District, Bihar	704-706
<b>MATTERS UNDER RULE 377</b>	721-739
(i) Need to take remedial measures to control the increasing rate of premature births in the country	
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	721

- (ii) Need to conduct CBI probe into the irregularities in Indira Awas Yojana in Bihar  
Dr. Bholu Singh 722
- (iii) Need to set up Land Custom Station at Valmiki Nagar parliamentary constituency, Bihar  
Shri Satish Chandra Dubey 723
- (iv) Need to construct a railway line connecting Kalyan-Titwala-Murbad in Maharashtra  
Shri Kapil Moreshwar Patil 723
- (v) Need to launch a recruitment drive for youth living in border areas of Jammu and Kashmir for employment in armed forces of the country  
Shri Jugal Kishore 724
- (vi) Need to set up a defence production unit in Bhind, Madhya Pradesh  
Dr. Bhagirath Prasad 725
- (vii) Need to set up a Super Speciality Hospital and Medical College in Mandsaur, Madhya Pradesh  
Shri Sudheer Gupta 726
- (viii) Regarding encroachment over ponds and lakes in the country particularly in Bundelkhand region  
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 727
- (ix) Need to establish a new B.S.N.L. Telephone District in Palghar, Maharashtra  
Shri Chintaman Navasha Wanga 728

- (x) Need to set up an airport in Saharanpur district, Uttar Pradesh
- Shri Raghav Lakhanpal 729
- (xi) Need to introduce a train service between Allahabad and Ajmer via Guna and Maxi in Madhya Pradesh
- Shri Rodmal Nagar 730
- (xii) Release of CSR fund by Neyvelli Lignite Corporation for solving flood situation in Cuddalore district of Tamil Nadu
- Shri A. Arunmozhithevan 731
- (xiii) Need to implement water supply projects in Atal Mission cities
- Shri V. Elumalai 732
- (xiv) Need to allot Chhendipada and Chhendipada-II coal blocks in lieu of Tentuloi coal block to Odisha Thermal Power Corporation Limited
- Shri Bhartruhari Mahtab 733
- (xv) Need to regularize the services of employees working in Lal Bahadur Shastri College, Mumbai, Maharashtra
- Shri Gajanan Kirtikar 734
- (xvi) Need to include Dairy farmers in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme
- Adv. Joice George 735

- (xvii) Need to declare Giri-paar region of Sirmaur district, Himachal Pradesh as a Scheduled area

Shri Virendra Kashyap 736

- (xviii) Need to undertake construction of roads under Hardoi parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Dr. Anshul Verma 737

- (xix) Need to provide adequate compensation to farmers distressed due to loss of crops caused by deficient rains and crop disease in Aurangabad and Gaya districts of Bihar

Shri Sushil Kumar Singh 738

- (xx) Need to set up a civil airport in Rajakhera tehsil of Dholpur district, Rajasthan

Dr. Manoj Rajoria 739

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS BILL, 2015** 740-825

Prof. K.V. Thomas 740-744

Dr. Sanjay Jaiswal 745-747

Shri A. Anwhar Raajhaa 748-753

Dr. Mamta Sanghmita 754-757

Shri Rabindra Kumar Jena 758-760

Shri Jayadev Galla 761-764

Shri Konda Vishweshwar Reddy 765-769

Shri P.K. Biju 770-772

Shri Arvind Sawant 773-775

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy 776-778

Shri Akshay Yadav	779-780
Shri Om Birla	781-782
Shri Bhagwant Mann	783-784
Shri Abhijit Mukherjee	785-787
Shri Charanjeet Singh Rori	788-789
Shri Gopal Shetty	790-792
Shri E.T. Mohammad Basheer	793-794
Prof. Richard Hay	795
Shri N.K. Premachandran	796-801
Shri Kaushalendra Kumar	802
Shri Rattan Lal Kataria	803-804
Shri Ramvilas Paswan	805-808
Clauses 2 to 33 and 1	809-821
Motion to Pass	821-825

**HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES  
(SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE)  
AMENDMENT BILL, 2015**

	826-827
Motion to Consider	826
Shri D.V. Sadananda Gowda	826-827

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	828
Member-wise Index to Unstarred Questions	829-834

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	835
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	836

**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Sumitra Mahajan

**THE DEPUTY SPEAKER**

Dr. M. Thambidurai

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

**SECRETARY GENERAL**

Shri Anoop Mishra

**LOK SABHA DEBATES**

---

---

LOK SABHA

-----

Thursday, December 3, 2015/Agrahayana 12, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]



## **REFERENCE BY THE SPEAKER**

### **Bhopal Gas Tragedy**

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी है। इस दिन वर्ष 1984 में भोपाल में विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक आपदा हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस तथा अन्य विषाक्त गैसों के रिसाव ने भीषण तबाही मचाई थी जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए थे और अन्य कई हजार लोग प्रभावित हुए थे। इस घटना के विध्वंसक परिणाम इतने घातक थे कि उसके बाद पैदा होने वाले अनेक शिशु भी विभिन्न रोगों से पीड़ित पाए गए।

यह सभा इस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना एवं अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

### **11.01 hours**

*The Members then stood in silence for short while.*

---

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri M.B. Rajesh and Shri P. Karunakaran regarding spiraling prices of essential commodities; Prof. Saugata Roy regarding the talks between India and Pakistan Prime Ministers in Paris and Kathmandu; Shri Anto Antony regarding hardship faced by rubber cultivators. The matters, though important enough, do not warrant interruption of the business of the day. The matters can be raised and I will allow them through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं एडजर्नमेंट मोशन नहीं दूंगी। आप अन्य तरीके से बाद में इसे उठा सकते हैं। I will allow you afterwards.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, the Question Hour.

Question No. 61 – Shri Balabhadra Majhi.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: After Question Hour, you can raise your matter.

... (Interruptions)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मोहम्मद सलीम और आउटलुक मैगज़ीन के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल के बाद अपनी बात बोलिएगा, अभी नहीं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: It will not go on record. After Question Hour, I will allow you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)... \*

HON. SPEAKER: One minute Majhi ji.

... (Interruptions)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ है। महंगाई पर बहस के लिए सरकार तैयार है। अभी माननीय सदस्यों ने जो एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, तो इस पर हम सहमत हैं। हम इस पर बहस करा लेंगे। आप समय तय करा लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है?... (व्यवधान) सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप जब चाहे तब, इस विषय पर बहस करा सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, यह तो बी.ए.सी. में तय होगी।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, we will do. I have told you that I am ready. It is all right.

---

\* Not recorded.

**11.04 hours****ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Now, the Question No. 61, Shri Balbhadra Majhi.

**(Q. 61)**

**श्री बलभद्र माझी :** मैडम, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वर्ष 2018 तक देश के सारे गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा, यह बहुत सराहनीय विषय है!...(व्यवधान)

मैडम, यह खुशी की बात है कि सरकार ने वादा किया है कि 1 मई, 2018 तक भारतवर्ष के सारे गांवों का विद्युतीकरण का काम खत्म हो जाएगा। जो फीगर्स दी हैं, इसमें आज तक ओडिशा में 3,450 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह आंकड़ा लगता है कि थोड़ा गलत है, क्योंकि अकेले मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ही एक हजार गांव अभी तक बचे हैं। हो सकता है कि सरकार ने इसमें हैमलेट्स को कंसीडर न किया हो। कई ऐसे गांव हैं, जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 300 गांव हैं, जिनका रास्ता नहीं है, मतलब वे रोड से एप्रोचेबल नहीं हैं। क्या उनको सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रीफाई करेंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** महोदया, माननीय सांसद ने एक बहुत अहम विषय पर आज सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जो 18,452 गांवों का जिक्र होता है, ये रेवेन्यू विलेजेज हैं। ये सेंसस के हिसाब से रेवेन्यू विलेजेज माने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 15 अगस्त, 2015 को वादा किया है कि 1000 दिनों में, इसका मतलब हुआ 1 मई, 2018 तक पूरे देश में जो 18,452 गांव हैं, इन सभी का विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा।

मुझे आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को बताने में बहुत खुशी होती है अध्यक्ष महोदया, कि हमने इसको एकदम पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका एक मोबाइल ऐप बना रखा है। मैं सभी सांसदों से दरखास्त करूंगा कि आप उसे अपने मोबाइल पर ले लें। इस मोबाइल ऐप के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में आपको रोज की स्थिति, कितने गाँव कब हो रहे हैं, उसके एक-एक गाँव की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी हम सभी के समक्ष रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल का मोबाइल ऐप का निकाला, 2 दिसम्बर 2015 को 3,021 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका था और 3 दिसम्बर का जब मैंने आज सुबह निकाला तो 3,024 गाँवों का हो चुका है। यानी कल और आज के बीच तीन और गाँवों में विद्युतीकरण कम्प्लीट किया गया है, एनर्जाइज किया गया है। वैसे ही कल और आज के बीच के आँकड़े देखें तो जो गाँव में काम शुरू हुआ है, वह गाँव कल तक 13,496 थे, आज 13,661 हैं यानी कल और आज के बीच 165 और गाँवों में विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ है। ऐसे हमने 12 स्टेप्स में हर एक गाँव के विद्युतीकरण को ब्रेकअप किया है और एक-एक गाँव में विद्युतीकरण किस स्टेप पर है, यह आप सबके

समक्ष रखा है। आपको अपने-अपने गाँव की जो जानकारी चाहिए, वह जानकारी बिना कोई आरटीआई डाले, बिना कोई प्रश्न पूछे उस ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगी।

जहाँ तक आपने बताया कि आपकी खुद की कांस्टीट्यूएंसी में एक हजार गाँव हैं। उसमें कई ऐसी छोटी-छोटी ढाणियाँ होती हैं, टोले होते हैं, जो छोटे-छोटे, दूर दराज के इलाके में रहते हैं। माननीय दुष्यन्त चौटाला जी ने भी इसका जिक्र पिछले सत्र में किया था। जो छोटे इलाके हैं, चूंकि ये रेवेन्यू विलेज नहीं गिने जाते हैं, इसलिए इनको इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। फिर भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने यह फैसला लिया है कि इन टोलियों तक भी, इन छोटी ढाणियों तक भी विद्युतीकरण पहुंचाना है। हम राज्य सरकार के साथ निरंतर बातचीत में हैं कि कैसे इन टोलियों तक बिजली पहुंचे। इसमें कुछ टोलियां तो नजदीक हैं। मैं अभी राजस्थान में ढाणी देखकर आया। वहां लाइन जा रही है। ढाणी एकदम लाइन के बीचोबीच है। वहां बड़ी आसानी से बिजली दी जा सकती है। मैंने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि ऐसी जितनी ढाणियां हैं, जहां तक लाइन पहुंची है, उन सबका तुरन्त विद्युतीकरण किया जाए। परन्तु जो बहुत दूरदराज के इलाके में, जैसे घने जंगल के अंदर हो या हिल्स के ऊपर हो, माउंटेन्स के ऊपर हो, वहां हम ऑफबीट सोल्यूशंस से भी, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उससे बिजली देने के लिए तैयार हैं।

**श्री बलभद्र माझी :** मैडम, एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली दे रहे हैं और गांव के लिए जो बिजली दे रहे हैं, इसका फीड सेपरेशन करना है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका टार्गेट कब तक है? मई, 2018 का जो टार्गेट रखा है कि सारे गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा, तो क्या अभी जितनी बिजली उत्पन्न हो रही है, उतनी पर्याप्त है या उसके लिए एक्स्ट्रा बिजली उत्पन्न करना पड़ेगा?

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जी ने दोनों ही बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। दूसरे प्रश्न का बड़ा सरल जवाब है, जो मैं दे सकता हूँ कि गत 18 महीनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड पड़े थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, कोई पर्यावरण क्लियरेंस के कारण, कहीं जमीन की कठिनाई थी, अन्य वजहों के कारण प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन सभी कठिनाइयों पर विशेष ध्यान दे कर, गत 18 महीनों में 20 हजार मेगावाट से भी अधिक बिजली कैपेसिटी की क्षमता बढ़ायी गयी है। आज यह स्थिति है कि देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली है और पर्याप्त मात्रा में कोयला है। देश के जिन प्रदेशों को कोयला और बिजली चाहिए, उनके लिए देश में कोयला और बिजली आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर आज देखेंगे तो थोड़ी कठिनाई दक्षिण भारत में है, क्योंकि वहां ट्रांसमिशन लाइनें सफिशिएंट नहीं हैं, उन लाइनों को बनाने में कई वर्ष लगते हैं, हमने उनके लिए भी तेजी से प्लानिंग की है। जो-जो प्रोजेक्ट्स कई वर्षों से रूके हुए

थे, कुछ प्रोजेक्ट्स तो 10 वर्षों से रूके हुए थे, उनका काम तेजी से खत्म करके गत 18 महीनों में लगभग चार हजार मेगावाट से अधिक की क्षमता बढ़ायी गयी है। आगे आने वाले तीन वर्षों में दक्षिण भारत में बिजली देने के लिए, हम 20,000 मेगावाट से अधिक क्षमता बढ़ायेंगे और साथ ही साथ लगभग 8,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट से अधिक मेगावाट के नये प्रोजेक्ट्स दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में लगाने की योजनायें बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को भी जोड़ कर आगे आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन ग्रिड्स भी पूरे देश में सिमलेस बढ़ जायेंगे और अधिक क्षमता वाला, जो दो वर्ष, चार वर्ष के बदले आगे 20 वर्षों तक प्लानिंग करेगा और बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी पर्याप्त रहेगी ताकि आगे आने वाले 10 वर्षों तक देश में बिजली की कमी न हो।

माननीय सांसद महोदय का फीडर सैपरेशन के संबंध में बहुत अच्छा सवाल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फीडर सैपरेशन का जो गुजरात में प्रयोग किया था, उसका उनको बहुत अधिक लाभ मिला है, जिसके कारण आज गुजरात के हर गांव को पर्याप्त बिजली मिलती है और हर किसान को पर्याप्त बिजली मिलती है। उसी प्रकार से 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति' योजना के तहत पूरे देश में, जिन-जिन इलाकों में किसानों को अधिक बिजली की जरूरत है, कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां किसानों को खेतों में थोड़ी बिजली लगती है, उन इलाकों तक अगर बिजली लेकर जाना चाहें तो हमें लाखों-करोड़ों रुपये लगेंगे, उसमें समय लगेगा, इसलिए हमने प्रायोरटाइज करके जिन इलाकों में ज्यादा किसान हैं, जिन इलाकों में ज्यादा बिजली लगती है, उनको प्रायोरटाइज करके लगभग 63,810 करोड़ रुपये, अन्य-अन्य राज्यों को दिए हैं, जिसका एक प्रमुख अंग फीडर सैपरेशन है। यह भी मार्च, 2019 के पहले, उन सभी इलाकों में, जहां-जहां अप्रूवल मिली है, वहां फीडर सैपरेशन का भी काम पूरा किया जायेगा।

**श्री गोपाल शेट्टी :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने लिखित और मौखिक रूप में बहुत खुलासा किया है, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की स्थापना करने के बावजूद, आज जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं, देशभर में आज भी साढ़े सात करोड़ घरों को विद्युतीकरण से जोड़ा नहीं गया है। इसमें भी बहुत विशेष पीड़ादायक है कि उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी निर्वाचित होकर सदन में आये हैं, वहां पर अभी भी दो करोड़ लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपना प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

**श्री गोपाल शेटी :** अभी भी बिहार जैसे राज्य में डेढ़ करोड़ लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिस महाराष्ट्र राज्य से मैं निर्वाचित हो कर आया हूँ, वहां भी 34 लाख से अधिक लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह आंकड़े 2011 के सेन्सस के अनुसार दिये गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2011 के सेन्सस के अनुसार लोगों को बिजली देना चाहते हैं या फिर वर्ष 2018 में जब यह आपकी स्कीम पूरी होगी, हम “सबका साथ और सबका विकास” की जब हम बात करते हैं तो सारे देश के लोगों के घरों का विद्युतीकरण होना चाहिए।... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड और कॉरपोरेशन की लैंड, एक-दूसरे को एनओसी नहीं दिया जाता है। खासकर, मुंबई जैसे शहर के लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि वर्ष 2018 तक देश के सभी राज्य सरकारों की जमीन, केन्द्र सरकार की जमीन, नगरपालिका, महानगरपालिका ऐसे सभी लोगों को विद्युत देने के लिए क्या वह आश्वासन देंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये रूरल हाउसहोल्ड विदाउट इलैक्ट्रिसिटी एज पर सैन्सस 2011 हैं। एक सैन्सस ऑर्थेंटिक डॉक्युमेंट होता है जिस पर सरकार की कार्यवाही चलती है। उसके बाद का विषय देखें तो हमारा अनुमान है कि इसमें से लगभग एक करोड़ 80 हजार घरों तक गत चार वर्षों में बिजली पहुंची है। उसमें भी अगर हम पिछले 18 महीने का देखें तो हमने एक-एक राज्य के साथ बैठकर उसे मॉनीटर किया, लोगों को एकाउंटेबल किया। जो कठिनाइयां आईं, उन्हें सॉल्व करते हुए इस काम में बहुत तेजी की। वास्तव में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। हम उत्तर प्रदेश को बार-बार चिट्ठी लिखते जा रहे हैं कि हमें पता चले कि अभी लेटैस्ट स्टेट्स क्या है, किन-किन घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन हमें अभी तक उसका डाटा नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश में कितने घरों में आज की तारीख में बिजली नहीं है।

उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय यह भी उठाया कि एक तरफ इतने गांवों को बिजली मिल गई, हम सब बताते हैं, देशभर में सिर्फ 18 हजार गांव रह गए हैं, फिर साढ़े सात करोड़ घर क्यों हैं। पहले देशभर में विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम चलता था, उसमें एक बार बिजली गांव तक पहुंच गई, उसके बाद पंचायत ऑफिस में पहुंच गई, 10 प्रतिशत घरों में पहुंच गई तो टिक लगा दिया जाता था कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया है। यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कल्पना की है कि आने वाले साढ़े तीन साल यानी 2019 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचे। यह

कल्पना नहीं है कि 10 प्रतिशत को पहुंचे जो पहले थी, हर घर को बिजली पहुंचे। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहूंगा कि हमारी कल्पना है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, लेकिन बहुत अहम भूमिका राज्य सरकारों की है। हम पूरा पैसा राज्य सरकार को ही दे सकते हैं। संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार एक-एक घर तक बिजली नहीं पहुंचा सकती। हम राज्य सरकार को बार-बार दरखास्त करते हैं कि आपकी जो कठिनाई है, हमें बताइए। हम उसका समाधान निकालेंगे।

मैं एक ऐसा ही उदाहरण देता हूं। ओडिसा में 11वां और 12वां प्लान, 11वां प्लान 2012 तक होना था। इन सबके प्रोजेक्ट्स लगे ही नहीं हैं। मैं खुद 3 सितम्बर को ओडिसा गया था। डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की और जब देखा कि वहां क्षमता नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी जो केन्द्रीय उपक्रम हैं, उन दोनों को वहां लगाया। उनके साथ सब टैंडर एवार्ड किया, फाइनलाइज़ किए। दोनों ने कमिट किया है कि 1 मई, 2018 तक बाकी सब गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार बिहार का दृश्य देखिए। बिहार में जो 11वें प्लान में होना था यानी 2007 से 2012 तक, उसके फेज 2 में जितने गांव होने थे, जब मैं मंत्री बना तो वे गांव हुए ही नहीं थे। हम उनके साथ बैठकर निरंतर मीटिंग करते हैं। मैं स्वयं हर महीने की 10 तारीख को पूरे देश के हर पावर सैक्रेटरी को दिल्ली में मिलता हूं और उनके साथ चर्चा करता हूं कि कैसे तेजी लाई जाए। इसकी वजह से 11वां प्लान फेज 2 जो 2012 तक होना था, हमने लगभग सभी गांव यानी 55 प्रतिशत गांव जिनमें विद्युतीकरण नहीं पहुंचा था, उन्हें बिजली पहुंचा दी है। बाकी गांवों, लगभग एक वर्ष के अंदर बिहार में हर रिवैन्यू विलेज तक बिजली पहुंच जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सदन को एक और सूचना देना चाहता हूं जो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 18,452 गांव हैं, सिर्फ 10 प्रतिशत घर या बीपीएल घर नहीं, इन गांवों के हरेक घर को विद्युतीकरण करके जो हजार दिन का कमिटमेंट हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया है, उसे पूरा करेंगे।

**माननीय अध्यक्ष :** बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, फिर भी सप्लीमेंट्री बनती है।

...(व्यवधान)

**श्री निनांग इरिंग:** अध्यक्ष महोदया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को एक साथ करने से, मैं आदरणीय विद्युत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी जो मंशा होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि दूरदराज इलाके, ग्रामीण इलाके खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो प्रावधान रखा है, मैंने सब आंकड़े देखे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली का भंडार है, जो जलविद्युत परियोजनाएं हैं, आप इसे मेनलैंड इंडिया में लाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, इस बारे में बताइए?



**श्री पीयूष गोयल :** भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस दिन से शपथ लिए हैं, उन्होंने बार-बार सभी मंत्रियों को उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया, जितना ध्यान इस सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में पिछले 18 महीनों में दिया है, शायद ही भारत के 68 वर्ष के इतिहास में पहले कभी हुआ होगा। मैं स्वयं पॉवर मिनिस्टर की कांफ्रेंस जो छह महीने में होती है, देश के इतिहास में पहली बार देश भर के राज्यों के मंत्री गुवाहाटी में पॉवर मिनिस्टर कांफ्रेंस में शामिल हुए, इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के भी मंत्री आए थे और बहुत विस्तृत रूप से उनकी समस्याओं पर चर्चा हुआ और आगे का रोडमैप बना। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर तो हमारा खास ध्यान है, लगभग 1500 करोड़ के ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और 1500 करोड़ ट्रांसमिशन सिक्किम में ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो 80 हजार घर हैं, काफी दूर-दूर घर हैं, कुछ चीन के बॉर्डर पर हैं, वहां ट्रांसमिशन लाइन ले जाने में समय लगेगा, हमने उसके लिए विशेष तौर पर ऑफ ग्रिड सोल्यूशन किया है, वहां पर सोलर स्टोरेज लगाकर विद्युत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।

**कर्मल सोनाराम चौधरी:** मैडम, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में 50% अभी भी इलेक्ट्रिफाई नहीं हुआ है। पिछली बार 570 करोड़ रुपये के बजाए 460 करोड़ रुपये दिए गए और 100 करोड़ रुपये अभी बाकी है, अगर इसे मई, 2018 तक करना है तो आगे पैसा देना चाहिए। वर्ष 2003-2008 तक राज्य में वसुंधरा जी थीं तब यह 15,000 करोड़ का था जो अब 2008-13 तक 15000 से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया है। वहां डिस्कॉम की हालत बहुत खराब है। अगर इसे वर्ष 2018 तक इलेक्ट्रिफाई करना है तो इसके लिए पैसा देना चाहिए, क्या राजस्थान की डिस्कॉम को बेल-आउट करने के लिए स्पेशल पैकेज देने पर विचार करेंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पारदर्शिता और इन्नोवेटिव तरीके से योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अधिकारियों ने इसका अनुमान 500 करोड़ रुपये का लगाया होगा, हम वही काम आपको 400 करोड़ रुपये में करके देंगे, आप बेफिक्र रहिए लेकिन सभी रेवेन्यू विलेजेज तक 1 मई, 2018 तक बिजली पहुंचेगी, आपके यहां जो दूरदराज ढानियां हैं उसके लिए उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात आपने डिस्कॉम की बात की, विशेष रूप से उदय नाम से उज्ज्वल डिस्कॉम अस्वस्थ योजना नाम से है जिसे कैबिनेट ने 5 नवम्बर को मंजूरी दी है। जो प्रोजेक्ट सभी राज्यों की सहमति से बनाए गए, सभी बैंकों की सहमति से बनाया गया, उस उदय योजना से मैं समझता हूँ। राजस्थान की डिस्कॉम जिसमें

सलाना 12,000-15,000 करोड़ रुपये का लॉस माननीय वसुंधरा जी को विरासत में मिला है उसे हम 2018 तक जीरो कर देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ।

**श्री सुल्तान अहमद:** माननीय बिजली मंत्री ने पूरे देश की छवि पेश की है। बंगाल की सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है, वहां सिर्फ 22 गांव ही बचे हैं। ... (व्यवधान) आज बंगाल विद्युत उत्पादन तो कर ही रहा है, साथ ही पड़ोसी देशों को विद्युत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये जो कुछ गांव बचे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने दिन लगेगे, कितने महीने लगेगे? राज्य सरकार ने यह किस तरह किया है, इसे दूसरे राज्यों को भी देखना और सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह कवरेज किया है। यहां जो आंकड़े दिये गये हैं, उनमें बंगाल पहला राज्य है, जिसमें केवल 22 गांव ही अनइलैक्ट्रिफाइड बचे हैं। क्या केन्द्र सरकार इस बारे में कोई घोषणा करेगी? मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूँ कि हमने 99 परसेंट गांवों को इलैक्ट्रिफाइड किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही बिजली पहुंची है, बल्कि घर-घर में बिजली पहुंची है। बंगाल की यह जो सक्सेस स्टोरी है, उसके पीछे क्या राज है? ... (व्यवधान) आपके गांव में बिजली है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you have any question, please ask. आप अपना प्रश्न पूछिये।

... (Interruptions)

**श्री सुल्तान अहमद :** अध्यक्ष महोदया, बंगाल में अभी कुछ गांव बचे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या राज है? बंगाल बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि दूसरे राज्यों में बिजली की कमी है।

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, हमने विकास के कार्य में, खासतौर पर विद्युतीकरण में राजनीति को बीच में नहीं लाये हैं। हर एक राज्य के साथ न्याय हुआ है। उलटे सबसे ज्यादा अगर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस का लाभ मिला है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला है जहां हमारी सत्तारूढ़ पार्टी शासन नहीं करती है। विद्युतीकरण में जो रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, उसे मद्देनजर रखते हुए हमने काम किया है। जो राज्य अच्छा काम करती है, उसकी हम सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। यह जो 22 गांवों का जिक्र किया गया है, वह ज्यादातर सुंदरवन एरिया में है। इन सबको हमने एज ए स्पेशल केस दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मंजूरी दी है। इनका भी विद्युतीकरण हम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में करेंगे। ... (व्यवधान) हर स्टेट की अलग-अलग परिस्थिति है। अब रेटिंग का अलग प्रोसेस है और रेटिंग के हिसाब से वह रिलीज की जाती है।

## (Q. 62)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मनरेगा योजना कांग्रेस की विफलताओं का पुख्ता सबूत है। जबकि भाजपा के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं कहा है कि मनरेगा कार्यक्रम आजादी के बाद देश का सबसे प्रथम और अग्रणी कार्यक्रम भारत सरकार का रहा है। उसी के साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनसीईईआर के साथ अगस्त 2015 में एक रिपोर्ट निकाली कि इसी कार्यक्रम के आधार पर 32 प्रतिशत गरीबी रेखा में कमी हुई है और डेढ़ करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।

मैं आज प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब इस सरकार ने अपनी एक साल की सक्सेस स्टोरी में मनरेगा को रखा है, तो क्या यह सरकार का एक और यू टर्न है? दूसरा, केन्द्र सरकार ने पिछले चार साल में इसका आबंटन 50 हजार करोड़ रुपये से 38 हजार करोड़ रुपये तक कर दिया, मतलब 30 प्रतिशत घटा दिया और पिछले एक वर्ष में पर्सन डेज वर्क का 200 करोड़ से 133 करोड़, यानी 40 प्रतिशत घटा दिया। ... (व्यवधान) देश में सूखा, बाढ़ और अकाल की स्थिति है और आप देश में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस दिशा में सरकार कब कदम उठायेगी, यह मैं आपके द्वारा प्रश्न करना चाहता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य प्रश्न शार्ट में पूछें और उत्तर भी शार्ट में दिया जाये। अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पायेंगे।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदया, प्रश्न को प्रश्न के तरीके से पूछा जाये और उसे राजनीति में न लपेटा जाये, तो ज्यादा अच्छा है। ... (व्यवधान) मंत्री जी ने जो मेन डेज की बात कही है। ... (व्यवधान) यह कहा है कि हमने मेन डेज घटाये हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदया, मैं उधर नहीं गया हूँ। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इधर आना भी नहीं चाहिए।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्लेम किया है कि 30 परसेंट मेन डेज घट गया है और 40 परसेंट एमाउंट रिड्यूज हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनके शासनकाल में वर्ष 2010-11 में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 35,841 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वर्ष 2011-12 में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और

29,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए थे। वर्ष 2012-13 में इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से घटाकर 33,000 करोड़ रुपए कर दिया और 30,000 करोड़ रिलीज़ हुआ। वर्ष 2014-15 में 34,000 करोड़ का प्रावधान था, हमने 32,977 करोड़ रुपया यानी सारा का सारा रिलीज़ किया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अब हमारा प्रावधान 34,700 करोड़ रुपए का था और अभी तक 30,202 करोड़ रुपए यानी 90 प्रतिशत से ज्यादा रिलीज़ कर चुके हैं।

महोदया, माननीय सदस्य ने मैन डेज़ के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमने जो प्रावधान मैन डेज़ में किया है, वह आज तक कभी नहीं हुआ है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** इसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, पर्सन डेज़ के बारे में बताएं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप इसे दूसरे सप्लीमेंटरी में पूछ लीजिए।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी सप्लीमेंटरी प्रश्न में बताना चाहता हूँ। यह डिमांड ड्रिवन है, हमने अंदाजा लगाया कि 239 करोड़ पर्सन डेज़ होंगे। 239 करोड़ पर्सन डेज़ के लिए 44,410 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने इस प्रावधान को रखा। आज तक हम 118 करोड़ पर्सन डेज़ का पैसा दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बाकी के चार महीनों में ज्यादा से ज्यादा धन जुटाकर पिछले मैन डेज़ से आगे निकलेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, the woman participation rate to total person-days is 58 per cent now in 2015-16. In 2014-15, it was 55 per cent. आपके और हमारे समय के बारे में भी सुन लीजिए, वर्ष 2013-14 में 53 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 51 प्रतिशत था। अब की बार शैड्यूल्ड कास्ट का पार्टिसिपेशन 40 परसेंट रहा है जो कि पिछले साल से ज्यादा है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बैकफुट पर बैटिंग करने की कोशिश की है। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। टाइमिंग आफ फंड रिलीज़ साधारण तौर पर 60 प्रतिशत पहले क्वार्टर में दिया जाता है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से यह फिगर 42 प्रतिशत तक घट चुकी है। अगर राशि नहीं दी जाती है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसी तरह पेमेंट की डिले जो 29 प्रतिशत होती थी, वह अब 72 प्रतिशत हो चुकी है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी और नवीन पटनायक जी ने लिखा है कि आप जल्द से जल्द राशि दिलवाइए, नहीं तो यह प्रोग्राम पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा।

यहीं नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवम्बर को ही केन्द्र सरकार को नोटिस दिया है कि आप जल्द से जल्द इस पेमेंट डिले के 3200 करोड़ रुपये के मसले का सरल हल निकलवाइए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, इसलिए जब तक राशि नहीं दी जाएगी तब तक कार्य कैसे होगा और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का आप क्या जवाब देने वाले हैं?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, डिले पेमेंट के बारे में मैंने अभी कहा कि आज तक की जो एलोकेशन थी, उसके टोटल का हम 90 प्रतिशत एमाउंट रिलीज कर चुके हैं, डिले जहां भी होती है, उसका एक ही कारण है कि राज्य सरकार से उसकी ऑडिटिंग और उसके खर्च का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता तो...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** अध्यक्ष महोदया, इनकी सरकार है। आपके राज्य में अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** तो क्या करें इनकी है। आपकी भी है। वहां आप भी हो। कलैक्टर को बोलो। मुझे भी मालूम है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हां, सबके राज्य में, आप और हम एक ही हैं।

...(व्यवधान)

**श्री गणेश सिंह:** वह इनका राज्य नहीं है।...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष का भी है। आपका राज्य भी है।...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** मैडम, सरकार चाहे किसी की भी हो, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पेमेंट में 72 प्रतिशत की डिले 2014-15 में थी, वह डिले थी। इस साल 2015-16 में 72 प्रतिशत से घटाकर हम उसको 52 प्रतिशत पर ले आए और ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ज्योतिरादित्य जी, ऐसे नहीं टोकते हैं। आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** कहीं न कहीं इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका भी यह फर्ज बनता है कि जितनी ज्यादा जल्दी वे हमारे पास एकाउंट्स भेजेंगे, उतनी ही जल्दी हम राशि रिलीज कर देंगे। यह डिमांड ड्रिवन है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर हॉफ एन ऑवर डिसकशन हो जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** आप नोटिस दे दीजिए।

**SHRI NALIN KUMAR KATEEL:** Madam, thank you very much. There are instances of issue of fake job cards and illegal custody of job cards reported in various parts of the country. There is a need to bring reforms in this regard. Therefore, I would like to ask this from the hon. Minister. What steps are being taken to put an end to fake job cards and other job card related issues?

**SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH :** Madam, I want to tell the hon. Member that there was some leakage and we have received complaints also regarding this, but now, when we have introduced this e-Muster system, that has helped us to a great extent to put the accounts straight and also stop the leakages.

The other system, which we are going to start, would be e-transfer of wages, that is, under DBT, and from 1<sup>st</sup> January next year we are going to start it in the State of Kerala because Kerala being one of the best managed accounts State as far as Panchayat funds are concerned. If we find the results are better in Kerala, then we would introduce this system all over the country.

I would like to add one more thing here. We have more than 11 crore accounts in different nationalized banks and even in the private banks, and 65 per cent of the accounts are in the banks and 35 per cent accounts are in the post offices. So, there are certain areas where there is neither banking facility nor post office facility. There, in certain parts of the State, we have allowed the wages to be given in cash.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Madam, today seven States of our country are facing severe drought conditions. I would like to ask the hon. Minister whether he is taking the necessary steps to ensure that at least 200 working days of MGNREGA are given in these drought-hit areas. Also, relating to the same issue, the average pay per worker is as low as Rs. 50 in certain areas. Is there any possibility to increase the scope of work so as to include plum works like construction of compound walls for common areas so that the average wage per worker can go up?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: As far as drought conditions are concerned, the States or those who have declared drought in their respective areas, may be in some districts or may be in some talukas, there whosoever completes 100 working days under MGNREGA, he would be entitled to 50 days more work. So, we have already made the announcement relating to 150 days of work.

As far as the second question which is about wage increase is concerned, the matter was under consideration. We have appointed one Committee headed by Shri Mahendra Pradhan. That Committee has sent the report and we have accepted that report. What we have said is that wherever the agricultural wage rate has been fixed by a State, it should be the rate of wage under MGNREGA in that particular State. For that, we would be asking Rs. 2,000 crore more from the Finance Ministry so that the wage rate will be according to the agricultural wage rate of that particular State.

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने बैंक फुट पर रहकर भी धोनी की तरह छक्का मारा है। ... (व्यवधान) क्योंकि उत्तर जो दिया गया है, उसमें सब कुछ बता दिया गया है, ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ये तुम दोनों यंगेस्टर करते रहो, उनको क्यों तकलीफ देते हो?

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** मैडम, यह स्कीम जिस दिन से शुरू हुई, उससे लेकर आज तक इसमें केवल खामियां ही देखी गईं। कितने लोग हैं जिनको सौ दिन का रोजगार पूरा मिल पाया? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला?...*(व्यवधान)* सुनिए।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* जब बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** मैडम, ये क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष :** अभी तो आप बाद में जवाब देना, जब मंत्री बनोगे, तब उत्तर देना।

...*(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Do you have any question?

... *(Interruptions)*... \*

**माननीय अध्यक्ष :** यह क्रिकेट का मैदान थोड़े ही है। बैठिए। दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलें।

...*(व्यवधान)*

HON.SPEAKER: Nothing will go on record.

... *(Interruptions)*... \*

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** मैडम, जो ढाई लाख करोड़ रुपये के लगभग पिछले 5-6 वर्ष में स्कीम पर खर्च हुआ, अधिकतर यह देखा गया कि इसमें करप्शन के बहुत सारे मामले सामने आए और जब पूर्व में मंत्री भी थे तो उनके अपने गृह क्षेत्र में बहुत सारे मामले आए और माननीय सांसद उस समय इस विभाग के मंत्री नहीं थे।...*(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. This is not the way.

... *(Interruptions)*... \*



**(Q. 63)**

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Madam Speaker, we know that the maintenance of highways now-a-days has become a very big challenge for the Government. Last year, 1,37,000 people died in road accidents. Today, in India, there is one death after every four minutes.

First of all, I would like to congratulate the hon. Union Government and the hon. Minister for taking the initiative and launching the Green Highways (Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance) Policy, 2015. I believe this will be a progressive step towards environmental conservation and sustainable growth. This initiative will also improve the quality and maintenance of the green cover of national highways. I believe that it will also provide employment opportunities for the local people. I would like to ask the hon. Minister through you whether there is any proposal or steps taken towards the maintenance of the existing highways under this scheme, if so, is it in coordination with the State Governments?

**श्री नितिन गडकरी :** महोदया, हमारे देश में एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है। हमारा प्रयास है कि इसकी संख्या 50 हजार से 60 हजार किलोमीटर बढ़ाकर दुर्घटनाओं को कम करें। सम्मानीय सदस्या ने सही बात कही है कि हमारे देश में पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है और 55 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान होता है जो कि जीडीपी का लगभग तीन परसेंट है। जहां तक रोड के बारे में सवाल पूछा है हमने ग्रीन हाईवे बनाने का निर्णय किया है और रोड के किनारे प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन और मेंटेनेंस के आधार पर स्कीम बनाई है। दिल्ली में इसके लिए तीन हजार एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशंस, चैरीटेबल इंस्टीट्यूशंस, सोशल आर्गनाइजेशंस आदि का वर्कशाप किया गया है। हमने एक नीति बनाई है और उनसे सुझाव लिए हैं तथा आने वाले मई, जून में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे लैंड स्केपिंग में आर्किटेक्ट होते हैं, उसी तरह से रोड का पहले डिजाइन तैयार कराएंगे और उनके साथ-साथ जो आर्किटेक्ट नहीं हैं लेकिन उन्होंने पहले काम किया है, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले पांच-पांच किलोमीटर के स्ट्रेच को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संस्थाओं को देंगे। गूगल और भुवन सेटेलाइट के जरिए हम देखेंगे कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं। नर्सरी के लिए, ट्रक लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए तथा दूसरे एक्विपमेंट्स लेने के लिए हम उन्हें कर्जा भी उपलब्ध कराएंगे।

इससे गांव में 10 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे से पर्यावरण को भी लाभ होगा और अगले जून में हम इस कार्य की शुरुआत करेंगे। इसमें हमने टेंडर प्रोसेस नहीं रखा है। हम लोग पायलट प्रोजेक्ट देंगे, जिसमें जो अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा काम देते जाएंगे और जिन्होंने पूर्व में काम किया है उन्हें बड़े स्ट्रेच देंगे और जो खराब काम करेंगे उन्हें बाहर करेंगे।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप यूपी में काम कीजिए।

**श्री नितिन गडकरी :** हम जरूर करेंगे। इसका वर्कशाप हो गया है और इसमें करीब तीन हजार लोग आए थे, इनमें से यूपी से भी लोग आए थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जैसा मैंने ब्यूटीफिकेशन के लिए कहा कि जिस तरह से लैंड स्केपिंग के लिए आर्किटेक्ट होते हैं, उनकी वर्कशाप हो रही है। इसके अलावा पेड़ काटने की जगह ट्रांसप्लांटेशन के लिए वर्ल्ड की टेक्नोलोजी से संबंधित लोगों को बुलाया है। आज दिल्ली में विदेश से इस टेक्नोलोजी के लोग आए हैं। ये इक्विपमेंट्स कनाडा में बनते हैं, उन लोगों को भी बुलाया है। देश में एक भी पेड़ काटने की हमें जरूरत न पड़े और जितना भी बड़ा पेड़ क्यों न हो, उसे हम ट्रांसप्लांट करने की टेक्नोलोजी हमारे पास आए, इसका भी प्रयास हम कर रहे हैं। यूपी में भी और पूरे देश में भी हम ऐसा निश्चित रूप से करेंगे। इससे दस लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह केवल यूपी का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

**SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA:** Madam, I thank the Minister through you for his elaborate reply. The Minister in his reply has also stated that it will create employment opportunities for the local people. During the framing of the policy, this policy is also set to be implemented through the MGNREGA. I would like to ask the hon. Minister through you whether there is any such proposal of taking this forward through the MGNREGA is under consideration.

**श्री नितिन गडकरी :** महोदया, नेशनल हाईवे पर हम जो खर्चा कर रहे हैं, मेरे मंत्री बनने के बाद से अब तक मैंने डेढ़ लाख करोड़ रुपए के रोड कंस्ट्रक्शन के कांट्रैक्ट साइन किए हैं।...(व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी:** वेस्ट बंगाल में क्या काम किया है? वहां नेशनल हाईवे में कुछ काम नहीं हुआ है।

**HON. SPEAKER:** I am sorry. You will not answer anybody. Nothing will go on record.

... (Interruptions)...

**श्री नितिन गडकरी** : पूरे देश में जितना काम नहीं हुआ है, उतना केवल आपके राज्य में काम हुआ है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You answer only the particular question.

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : आपको केवल उन्हीं के प्रश्न का उत्तर देना है।

... (व्यवधान)

**श्री नितिन गडकरी** : मैं सदन को बता देना चाहता हूँ और सम्माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि कल ही ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया, मैं कोलकाता में था।

HON. SPEAKER: No, this is not.

**श्री नितिन गडकरी** : जितने काम बताये गये, उनको मैंने पूरा किया। आप यदि सिद्ध कर देंगे कि मैंने घोषणा के अनुसार काम नहीं किया तो इस संबंध में मैं सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : यह चर्चा का विषय नहीं है। Mr. Banerjee, please go to your seat first. This is not the way.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you will not answer something like that. You have to answer only the question.

... (Interruptions)

**श्री नितिन गडकरी** : सम्माननीय मैडम, हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक पर्सेंट कॉस्ट केवल प्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन और मेनटेनेंस के लिए रखी है। यदि हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होगा तो उसका वन पर्सेंट कॉस्ट यानी दस करोड़ रुपये हम अलग से रखते हैं। ये फंड अलग से हमारे पास उपलब्ध है, जिसके कारण हमें और किसी फंड की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ-साथ मनरेगा में नर्सरी बनाने के लिए तथा कुछ और बातों के लिए अनुमति है, उसके आधार पर ग्रामीण भाग में आप उसका एडवांटेज़ आप जरूर ले सकते हैं, पर हमारे यहाँ जो काम करेंगे, उनको इंडिपेंडेंटली पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रीन हाइवेज़ बनाने का संकल्प लिया। मेरे प्रश्न का आपने विस्तृत रूप से जवाब दिया। कई बार फोर लेन से सिक्स लेन बनाते हैं, तो वहाँ पर जो प्लांटेशन होता है, उसे हटाना पड़ता है और फिर से नया प्लांटेशन कराना पड़ता है। लेकिन आपने नयी विधि लायी और इसके उपयोग से उसे नहीं काटना पड़ेगा, इस संबंध में आपने जवाब दे दिया। लेकिन, मेरा प्रश्न मूल रूप से यह है कि हम लोग इस दिशा में डिवाइडर में जो प्लांटेशन होता है, उससे हेड लाइट की रोशनी सीधे आँखों पर नहीं पड़ती है और एक्सीडेंट होने से बचाव होता है। रोड सुंदर भी होते हैं और पॉल्यूशन भी कम होता है। नैशनल हाइवेज ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और गोलडन कॉरिडोर, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ होकर निकलता है, वहाँ पर 65 हजार स्क्वायर मीटर जमीन पड़ी है। चूंकि यह मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस क्षेत्र में कई ऐसे पौधे लगाये जा सकते हैं, जो कॉमर्शियल पौधे हैं, जैसे आँवला, जामुन आदि हैं? इससे सरकार को आमदनी भी हो सकती है। क्या सरकार उस स्थान को डवलप करने और कॉमर्शियल पौधे लगाने पर विचार कर रही है?

**श्री नितिन गडकरी :** सम्माननीय सदस्य महोदय के क्षेत्र में जो स्थान अवेलेवल है, उसमें हमने 1200 रोड शेड एमिनिटीज बनाने का निर्णय किया है, जिसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, लैंड स्केपिंग होगा, अच्छे पेड़ लगेंगे, पार्किंग प्लेसेज होंगी, उसमें फूट्स एंड वेजीटेबल्स के लिए एक छोटा मार्केट होगा। उसमें से जो स्पॉट इन्होंने बताया है, ऐसे 60 स्पॉट्स का टेंडर दिसम्बर के पहले निकालने के लिए मैंने कहा था, उनमें इस स्पॉट का भी नाम है। मेरा विश्वास है कि आने वाले तीन महीने में ये टेंडर भी निकल जाएंगे, इनके वर्क-ऑर्डर भी होंगे और वहाँ पर लैंड-स्केपिंग और पेड़ लगाने का काम भी हम निश्चित रूप से करेंगे।

**SHRI C. MAHENDRAN:** Madam Speaker, a lot of accidents have taken place on our four-lane and six-lane National Highways due to the glare from the headlights of oncoming vehicles. In Tamil Nadu, plantations are already laid in the central medians of the four-lane and six-lane national highways but they are not continuous and there are gaps in between. Further, the already laid plantations are also not maintained properly. Is the proposed plantation going to be raised without any gap on the central medians of the national highways in Tamil Nadu to avoid accidents due to the glare of the headlights of incoming vehicles? And, by when would the plantation works be completed?

SHRI NITIN GADKARI: Madam, it is correct that the civil contractors do not have expertise in plantation, transplantation, beautification and maintenance. That is the important reason why we want to create a new agency which can be a charitable institution or an NGO or an organization specializing in plantation, transplantation, maintenance and beautification. Now I feel that after taking these measures there should not be any problem in Tamil Nadu. We will take all preventive measures under your suggestions and we will have a good organization for maintaining the plantation. I feel that by this that problem can be solved.

**श्री राजीव सातव :** अध्यक्ष जी, जो ग्रीन हाइवेज पॉलिसी मंत्री जी ने शुरू की है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जब हाइवेज को हम ग्रीन हाइवेज बना रहे हैं, कई सारे तीर्थक्षेत्र हैं जैसे पंढरपुर है, मंत्री जी भी माहूर में साल में दो बार आते हैं, आँढा है, जो ऐसे तीर्थक्षेत्र हैं, उनके लिए क्या मंत्री जी प्रायरिटी रखेंगे? वे हाइवेज नेशनल ग्रीन हाइवेज बनें, क्या इसके लिए प्रायरिटी देने के बारे में सरकार सोचेगी?

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, मेरा मैंडेट केवल राष्ट्रीय महामार्ग तक सीमित है और आप जिन तीर्थक्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वे सभी राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़ रहे हैं, इसलिए उन तक जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर ही मैं काम करूँगा। जहाँ राष्ट्रीय महामार्ग समाप्त होता है, वहाँ से आगे स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन होता है, वहाँ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं सदन का आह्वान करता हूँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि गोवा के काम की मैं जिम्मेदारी लूँगा, इसी तरह से आप अपनी कांस्टीट्यूंसी के काम की जिम्मेदारी लेकर आगे आइए, वहाँ इनिशिएटिव लीजिए, आपको हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है, हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, यही हमारी इन्टेंशन है, इससे रोजगार का निर्माण होगा और पर्यावरण के गंभीर प्रश्न को भी हम सुलझा सकेंगे।

**श्री गणेश सिंह:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने हरित राजमार्ग नीति, 2015 की शुरुआत की है, यह निश्चित रूप से बहुत स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं और जब पेड़ काटे जाते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वह इस नई नीति के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में मेरा यह प्रश्न है कि उसके रखरखाव के लिए क्या संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भी जिम्मेदारी देंगे या बाहर की किसी एजेंसी को लाएंगे?

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, अगर वहाँ की ग्राम पंचायत इस स्कीम में आती है तो वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर आम के पेड़ वहाँ लगेंगे तो उत्पादन ग्राम पंचायत का होगा। उस गांव के स्कूल भी

उसमें आ सकते हैं, एनएसएस की यूनिट है तो वह भी आ सकती है, एनसीसी की यूनिटी है तो वह भी आ सकती है, सोशल आर्गनाइजेशन है तो वह भी आ सकती है, चैरिटेबल आर्गनाइजेशन है तो वह भी आ सकती है, कोऑपरेटिव आर्गनाइजेशन है तो वह भी उसमें आ सकती है। अगर कोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वह भी आ सकता है। जो लोग उसमें आएंगे उनको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, उन पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन पर होगी और सरकार भी उनको पैसा देगी, लेकिन यह बात जरूर है कि अच्छा काम नहीं करेगा, वह सिस्टम से बाहर जाएगा। जो अच्छा काम करेगा, उसका आगे काम बढ़ाएंगे। उसकी कंट्रोलिंग हम सेटेलाइट से करेंगे, गगन और भुवन से करेंगे। जो अच्छा काम नहीं करेंगे, इसमें भ्रष्टाचार करेंगे, उनको हम आगे काम नहीं देंगे।

**(Q. 64)**

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Hon. Speaker Madam, first of all I would like to congratulate the hon. Minister for the excellent work that he is doing in the road sector. My first supplementary question is, in my parliamentary constituency Nandurbar, Surat-Amravati national highway was sanctioned and approved by the Government in March, 2012 and the total amount for the project was Rs 4,500 crore. The work was given to some private company in June, 2012. The company did not start the work and now in September, 2014 it has backed out from the project. The total cost of this project as of today is around Rs 6,000 crore. In the past three years, the total escalation of the whole project is around Rs 1,500 crore.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to fix any responsibility on the authority or the company whoever is responsible for this delay and find them. I would also like to know from the hon. Minister as to when this national highway is going to start and by what time it will be completed.

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, इस रोड में चार पैकेज थे, जो कंपनी थी, वह चली गयी, उनको मैंने हाथ जोड़ा तो वह चली गयी। उनकी रिस्पांसिबिल्टी फिक्स करनी होगी, उसे यूपीए सरकार पर डालना होगा, इसलिए अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी इसमें से 280 प्रोजेक्ट्स 3,80,000 करोड़ रुपये के हैं। अभी 90 प्रतिशत प्रॉब्लम सॉल्व हो गयी है। जलगांव से अमरावती तक रोड के लिए अभी भूमिपूजन किया गया है, तीन पैकेज शुरू हो गए हैं। चौथा बीओटी में था, उसमें कोई आया नहीं है। उसे अभी फिर से डिक्लेयर किया है, जल्दी ही वह आएगा और तीन महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कैबिनेट ने 21 निर्णय लिए हैं। डिसे के लिए जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार डायरेक्टली और इन्डायरेक्टली जिम्मेदार होती हैं, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है और उसमें उतना पीरियड हम बढ़ाकर देंगे। इसके कारण प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं और अब हमारे लगभग 95 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स चलने लगे हैं, पांच प्रतिशत प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तीन महीने के अंदर शुरू हो जाएगा।

**12.00 hours****PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Law Commission of India:-

- (1) Report No. 253 – “Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts and Commercial Courts Bill, 2015 – January, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3221/16/15]

- (2) Report No. 254 – “The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013-February, 2015”.

[Placed in Library, See No. LT 3222/16/15]

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Removal of Difficulties) Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 2368(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> August, 2015 under Section 113 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 3223/16/15]



वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3224/16/15]

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Madam, on behalf of my colleague, Shri Piyush Goyal, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Coal India Limited and the Ministry of Coal for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3225/16/15]

---

**12.02 hours****STANDING COMMITTEE ON FINANCE**  
**19<sup>th</sup> to 26<sup>th</sup> Reports**

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

- (1) Nineteenth Report\* on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 4<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15) of the Ministry of Planning.
- (2) Twentieth Report\* on the Subject "Planning Process - A Review" of the Ministry of Planning.
- (3) Twenty-first\* Report on the subject "Efficacy of Regulation of Collective Investment Schemes (CIS), Chit Funds, etc. of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services) & Ministry of Corporate Affairs.
- (4) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 10<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment).

---

\* These three Reports were presented to Hon. Speaker on 7 October, 2015 under Direction 71A of the Directions by the Speaker.

- (5) Twenty-third Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 11<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).
  - (6) Twenty-fourth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 12<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Planning.
  - (7) Twenty-fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 13<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Corporate Affairs.
  - (8) Twenty-sixth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 14<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
-

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** अध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्रिविलेज का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि "आउट लुक" मैगजीन ने क्षमा मांगी और यह स्पष्ट किया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था लेकिन उन्होंने जो इर्रिस्पॉसिबल बिहेवियर किया और इस आधार पर माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम जी ने जो बिहेवियर किया, **Madam, he authenticated it and gave the credentials. So, I would request you** कि मेरा जो प्रिविलेज का नोटिस सैक्शन 352 है, इसे आप प्रिविलेज कमेटी को सौंपे और इस संबंध में कार्रवाई करें।

**HON. SPEAKER:** I will go through it. I have received your notice on the question of privilege. The matter is under my consideration. I have allowed to seek all the facts and afterwards I will give my ruling.

**12.04 hours****ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL, 2015\***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move to oppose the introduction of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2015.

Madam, this Bill creates two types of courts in States; one is for the States which have high courts with original jurisdiction and one for the States which have no high courts with original jurisdiction. This original jurisdiction is a British colonial legacy and is an anachronism in modern India. That is why I would like the Minister to remove the clause relating to the original side of the high court and refer the whole thing to a civil court as it is for all other States. Not to create two classes of States but create only one class of State as far as this arbitration proceedings are concerned.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, as per the existing Section 21(e), the court means principal civil court of regional jurisdiction in the district. In certain High Courts, there are original jurisdictions. The existing provision itself provides jurisdiction for district court as well as the High Court. Therefore, it is not correct to say that the amendment Bill has created jurisdiction of courts which are permissible in law. Two types of jurisdiction, *i.e.*, district court and the High Court exists in the principal Act. As per the amendment Bill for the purpose of international commercial arbitration, the court will be the High Court and other arbitrations the district courts as well as the High Courts are already having the

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 03.12.2015

original jurisdiction. Therefore, practically there is no confusion about this...  
(Interruptions)

HON. SPEAKER: You have not given any notice.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I would just ask a supplementary. In our country, there are three chartered High Courts. They are at Kolkata, Mumbai and Chennai. These three High Courts are having the original jurisdiction. So, this cannot be changed by an arbitration Act itself. As usual original jurisdictions have to be kept.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam, if at all they want much more discussion, it can be debated during the course of discussion.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”

*The motion was adopted.*

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I introduce the Bill.

---

**12.07 hours****STATEMENT RE: ARBITRATION AND CONCILIATION  
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2015 \***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2015 (No.9 of 2015).

---

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर - 9 आफ्टर लंच लिया जायेगा।

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3226/16/15

**DISCUSSION UNDER RULE 193****Flood situation in Tamil Nadu and other parts of the Country .... Contd**

HON. SPEAKER: Now the House will take up further discussion on the flood situation in Tamil Nadu and the other parts of the country.

\*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EST) : The present flood situation in Tamil Nadu, especially in and around parts of Chennai is creating havoc.

Thousands of people are homeless houses/huts washed away and also their bicycle/scooters/cars etc all washed away. Industries are also badly affected.

Hundreds died and thousands are injured. They need urgent medical help.

It seems that more than 2000 crore insured properties are damaged/affected. M/o Finance, Govt. of India and IRDA have to take immediate steps and oversee arrangements made by Insurance Companies for quick disposal of claims to the Chennai flood affected people and industries.

As the water recedes water borne diseases etc will spread very fast. Govt. of India should step in and provide adequate medical help along with doctors etc. to control the situation.

---

\* Speech was laid on the Table.



\*SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Andhra Pradesh has been at the receiving end of incessant and unseasonal rainfall recently. Many parts of Nellore, Chittoor and Kadappa region had received heavy rainfall and it has caused a great amount of inconvenience to the people. The rains had led to an overflow of drains and all the major reservoirs were at the brink of overflow. The average rainfall of the Rayalaseema region has been around 196.44mm. The current rainfall has been hovering around 462mm making it difficult for the people to adjust to these conditions. Brief overviews of the damage caused are:

- 35 people have lost their lives
- People have lost close to 613 cattle.
- Close to 146 villages have been affected.
- 467 houses have been fully damaged and 2029 houses have endured partial damage.
- About 2 Lakh hectares of agricultural and agricultural crops have been affected.
- Nearly 550 irrigation tanks have been damaged.
- 1865km Roads have extensively damaged including a big breach of about 100mts on NH16.

The state government, under the effective leadership of chief minister Shri Chandra Babu Naidu Garu, has been able to deftly manage the crisis and is in the process of rehabilitating the people affected in the floods. The state government has also decided to sanction relief on a scale higher than the NDRF norms of relief. In spite of our best efforts there is still a huge deficit of funds required to handle relief measures of this scale. Preliminary government estimates pegs the cumulative loss at Rs. 3000 crores. The state government has already requested the centre for assistance. Hon'ble Chief Minister has also written a letter to the

---

\* Speech was laid on the Table.

Hon'ble Prime Minister asking for immediate assistance. I would like to request that the government has to ensure timely dissemination of the funds towards the state of Andhra Pradesh. Ensuring the timely availability of fund will ensure that the people of Andhra Pradesh will come to back to normalcy at the earliest. As the state was divided recently, it is already reeling under extreme shortage of funds. Further, the annual funds allocated to the state of Andhra Pradesh for disaster management has to be increased considerably as the state is constantly facing threats from natural calamities on a regular basis and is not able to sustain financially.

\*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): The devastation caused by floods due to incessant rain in Chennai is saddening to see the lives of our friends in our neighboring state have been affected to a great extent and our sympathies go out to all the displaced people in Chennai and areas affected by the floods caused by rain.

Our Honorable Chief Minister Sri Siddaramiah ji has announced Rs. 5 Crore as humanitarian relief to Tamil Nadu in a show of solidarity to the affected state. Our Chief Minister has also instructed Karnataka officials to work with the Tamil Nadu officials to provide Medical and any other assistance that may be required during their hour of crisis. I along with all the people of Karnataka hope and wish the floods recede quickly so that people can return to their normal lives very soon.

The questions to be asked are, could this devastation have been prevented? Is this flooding a man-made situation? Chennai Like other metro cities has grown without proper planning. While we cannot prevent rain, urbanization should have been managed much better with proper planning for drains to avoid flooding. While development has become the order of the day, are we paying a heavy price by not paying attention to underlying infrastructure necessities? Large IT parks have come up in spaces that were once marsh lands – the effects of which are now being felt in cities like Chennai. Lakes and reservoirs have been encroached by unscrupulous real estate mafia leading to environmental disasters such as we are witnessing in Chennai. Unless the Urban Development ministry takes urgent corrective steps I am afraid we will only see situations and other environmental disasters increase in the months and years to come in cities like Mumbai, Kolkatta, Delhi. Bengaluru and other places.

The incessant rain in Chennai had its effect in Karnataka as well. As you are aware Karnataka had been reeling under successive droughts for last couple of years. This year only about 30% of the crops could be grown in Karnataka. Now,

---

\* Speech was laid on the Table

due to the unseasonal rains in Karnataka, even the 30% crops that were grown have now been destroyed. Crop loss for the farmers who were already reeling under the draught situation is devastating. In my parliamentary constituency the farmers in Kanakpura, Ramanagra, Channa Ratna, Magadi and Kunigal have suffered not only the drought effect but also crop loss due to the unseasonal rain. The loss for them is unbearable. Urban areas like Chennai or other big cities, will get help during crisis, but rural areas like my own parliamentary constituency suffer in silence during crisis as their voice is not heard. The Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah Ji has written to the Centre asking for relief for all the affected areas of Karnataka. I request the union Government to kindly look into needs of Karnataka and release adequate funds so that the farmers and the effected people of Karnataka get some relief.

Our hearts and prayers are with the people of Tamil Nadu during their hour of crisis. I urge the Union government to not spare any efforts to restore the lives of people in Chennai as soon as possible and also to come up with a comprehensive plan to prevent such disasters in the in the future.

With this I conclude. Thank you.

**\*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)** हम सब जानते हैं कि , तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है । पूरा शहर एवं तटीय इलाकों में पानी भरा हुआ है । लोग अपनी जान बचाकर सलामत जगहों पर जाने के लिए भाग रहे हैं । देश के अन्य भागों में भी कई बार ऐसे हाल देखे गए हैं । कुछ पांच से दस इंच बारिश गिरते ही, पानी का भराव हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में भी पैदा हुई थी ।

मेरा स्पष्ट मानना है इस प्रकार की विषम परिस्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन की ही जवाबदेही है। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की स्थिति से जूझ रहा है । हाल ही में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति के लिए विकसित राष्ट्रों को जवाबदार ठहराया है। निश्चित रूप से उन विकसित देशों ने अपनी सुविधाएं तथा विकास के लिए पूरे विश्व को तबाही की ओर धकेल दिया है ।

आज हमारे देश में खासकर चेन्नई में पैदा हुई विषम स्थिति के लिए हमें ठोस रूप से अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और प्रकृति को सम्मान देते हुए हमारी नीतियां बनानी पड़ेगी । आज शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है , गांवों में से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं । शहर काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं, मगर विकास की रफ्तार, शहरी विकास, दिशाहीन एवं प्रकृति के प्रति सम्मान का कहीं अभाव दिखता है , और इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है । मेरा निवेदन है कि, शहरों के निर्माण एवं विकास में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए । प्रतिकूल स्थितियों में भी शहरों का इनफ्रास्ट्रक्चर टिक पाए ऐसी नीति निर्धारित होनी चाहिए । हम जानते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जैसे कि, बाढ़, बादल फटना तथा भारी वर्षा के दौरान कितनी भी अच्छी व्यवस्था टिक नहीं पाती । मगर भारी वर्षा में पानी के भराव के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन्स, सीवरेज की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए । रोड्स के निर्माण में एक मूलभूत नीति जिसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए । इस प्रकार की नीति निर्धारण में जलवायु परिवर्तन को आदर देना चाहिए । हमे शहरी निर्माण नीति में मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिए । मेरी मांग है कि चेन्नई तथा तमिलनाडु में सहायता पहुंचानी चाहिए ।

---

\* Speech was laid on the Table.

\*श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महाराष्ट्र में लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण यहां के किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं तथा बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 16 जिले सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। जलगाँव की तो आठ तहसीलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। इस साल खरीफ की फसल की बुवाई करने के बाद बारिश न होने के कारण किसानों ने कर्ज लेकर जो भी खाद, बीज आदि पर निवेश किया था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इसी प्रकार गत माह रबी की बुवाई के बाद भी कोई बारिश नहीं हुई। जिसके कारण इसकी बुवाई में किया गया निवेश भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जलगाँव में तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बारिश न होने के कारण जनता को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है। जलगाँव जिले में कई नदियाँ हैं जिनमें ताप्ती, बोरी, अंजनि, गिरजा, तीतुर, बांजरा, आदि शामिल हैं। यदि इन नदियों का रख-रखाव ठीक तरह से किया जाए तो किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा अपितु लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाएगा।

लोअर ताप्ती परियोजना जलगाँव जिले के अमलनेर तालुका में पाडळसरे लोअर ताप्ती परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोळ, धरणगाँव, एरंडोल और चोपडा, भडगाँव, पाचोरा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाले उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास पिछले तीन सालों से अनुमोदन हेतु लंबित है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस परियोजना को अनुमोदन मिला है। अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं। परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके तथा जलगाँव और आसपास क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो सके। हालांकि महाराष्ट्र सरकार शिरपुर पैटर्न के बांध बनाने पर जोर दे रही है परंतु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है। किसानों को जल संचयन हेतु आवश्यक तकनीक व वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे कार्य किया जा सके।

---

\* Speech was laid on the Table.

भयंकर सूखे के कारण राज्य में चारा भी उपलब्ध नहीं है और चारे की कमी के कारण पालतू जानवर- गाय, भैंस रोजाना मौत का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कुछ एकड़ भूमि चारा उगाने तथा पशुओं के लिए शैल्टर स्थापित करने के लिए आबंटित कर दी है, जिससे पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है तथा साथ ही साथ पशुओं को रखा भी जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी व्यवस्था देश के सभी राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र में की जाए ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

महाराष्ट्र में कई साल से लगातार सूखे की स्थिति के कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाए। जिसमें किसानों के पुराने सभी कर्ज माफ किए जाएं, किसानों को आगे खेतों की बुवाई के लिए नए कर्ज उपलब्ध कराए जाएं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को शीघ्रताशीघ्र मुआवजा दिया जाए।

सूखे की स्थिति के कारण रोजगार की स्थिति भी बहुत भयावह हो गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां के किसानों तथा बेरोजगार लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नये रोजगार प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार नरेगा के अंतर्गत इस समय 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यहां के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 150 दिनों की दर से रोजगार दिलवाने के आदेश शीघ्रताशीघ्र जारी किए जाएं।

मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत कर्ज के आधार पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं। जलगांव में सूखे की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर जल्द से जल्द सोलर पम्प मुहैया करवाए जाएं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र तथा विशेषकर जलगांव को भयंकर सूखे की स्थिति से उबारने के लिए एक समेकित योजना बनाई जाए तथा उसे योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाए जिसमें स्थानीय नदियों के जल संचयन की व्यवस्था, किसानों को आवश्यक तकनीक, उर्वरक, बीज आदि मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसे कई सालों से लगातार हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की उपरोक्त सभी समस्याओं पर प्राथमिकता के साथ विचार कर उन्हें निपटाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएगी ताकि महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके।

\*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Last Monday our Prime Minister participated in International Climate Change Summit which was going on in France.

Hon'ble Prime Minister categorically said. "India will fulfill expectations from it and its responsibilities. The country is working to take forward development and protecting environment together."

Protecting environment is a big challenge for developed countries. Pandit Deen Dayal Upadhyay in his speeches on Integrated Humanism or Ekatma Manava Darshan he specified that Human lives should treat environment mother nature.

Nature is not to exploit for our needs or our comforts. It is the wealth in hand to hand over to the next generation.

Here we are discussing about as mother nature wreaked havoc with heavy rains in Tamil Nadu and the parts of South India. Yesterday in Paris Climate Change Summit discussed about weather event flagged to highlight how countries Like India are the victims of climate change that is a result of emissions from rich nations in the past Chennai on Wednesday recorded the heaviest ever rainfall of 294 MM and 345MM in the last 24 hours, breaching the previous record of 261MM set in 1901.'

Met department predicting further downpour over the next 48 hours. Tamil Nadu people still not forgot the Asian Tsunami of 2004, in which the death toll was much higher at nearly 10,000. The damage and disruption this time in faced to be on a similar scale. It is almost double the normal rain.

Chennai receives in the whole of December that is 199 MM every year. In Chennai thousands of people stranded in their homes up to 12 feet water at many places.

In many areas ground floor flats fully submerged. Over a million people hit and already more than 70000 relief camp are opened. The entire southern part

---

\* Speech was laid on the Table



of the city is disconnected. There is no public transport, hospitals running without staff.

Two main bridges there have been closed. Water current is too high to run the boats to reach people. Various industries in the State capital which are also called the 'Detroit's ' of India were badly affected. More than 200 people died in state for heavy rains. Government of India giving full co-operation to tackle this disaster. Army, Navy were deployed on in two Suburban areas to undertake rescue on a war footing .

India always stood together in the time of national disaster. Whole India should join hands to help Tamil Nadu people.

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, कल इस देश में फ्लड सिचुएशन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई और इस डिस्कशन में लगभग 53 मैम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में फ्लड सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर यदि मैं यह कहूँ कि चेन्नई इस समय आइलैंड बन गया है तो यह कहना भी इग्जेजरेशन नहीं होगा। परसों से ही चेन्नई को जोड़ने वाले जितने भी नेशनल हाइवेज और स्टेट हाइवेज हैं, वे सब के सब बंद पड़े हुए हैं। जो फ्लड की स्थिति तमिलनाडु में पैदा हुई है, तमिलनाडु में नार्थ-ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर, 2015 को हुआ और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलूर, चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवम्बर, 2015 से भारी बारिश हुई है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। एक शार्ट पीरियड ऑफ नार्मलसी के पश्चात पिछले तीन दिनों से तेजी से पुनः बारिश हो रही है। दिनांक 1.12.2015 के साढ़े आठ बजे से दिनांक 2.12.2015 के साढ़े आठ बजे तक 24 घंटों में कुल 330 मिली मीटर वर्षा हुई है। इन 24 घंटों में हुई बारिश चेन्नई में पूरे दिसम्बर माह में होने वाली वर्षा से 252 मिली मीटर अधिक है। इस बरसात ने पिछले सौ सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है और इससे चेन्नई में एक अभूतपूर्व आपात की स्थिति पैदा हो गई है।

इस बरसात से चेंबर कम रिज़र्वायर में सेप्टी से अधिक पानी होने की वजह से बाद में 25000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी अडियार नदी में आने से उसका जलस्तर और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई में भी बरसात कम हुई है, परंतु नागपट्टनम से गैडलूरु तक 45 मिली मीटर से 133 मिली मीटर बरसात हुई है। अगले दो-तीन दिनों में भी मैसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानि 100 मिली मीटर प्रति दिन की औसत बरसात की संभावना व्यक्त की है। आशंका से इलाके में लगभग लगातार बरसात हो रही है और रास्ते भी प्रभावित हैं, इसलिए राहत पहुंचाना उतना ही कठिन होता जा रहा है। टेलिफोन कनेक्टिविटी भी इस कठिनाई के कारण एडवर्सली अफेक्टिड हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाईल और 20% लैण्डलाइन कनेक्शन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है। इन स्थानों को छोड़ कर तमिल सरकार ने पॉवर की कमी अभी तक नहीं बताई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इस सीज़न में तमिलनाडु में 269 कजुअल्टीज़, ह्युमन लॉसेज़ हुई हैं। पॉण्डिचेरी में भी दो ह्युमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश में 54 ह्युमन लॉसेज़ की सूचना प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां अभी भोजन, दूध, ड्रिंकिंग वॉटर और मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, जो बतलाया गया है। महोदया, लेकिन मैं सदन

को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज ही 12 बजे हमारे प्रधान मंत्री जी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं। वहां जा कर एरियल सर्वे करने के बाद वहां की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद जो भी आवश्यक होगा, वह कदम वे उठाएंगे।

महोदया, तमिलनाडु सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है, उस आधार पर मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की तीस टीम, जिसमें 1014 पर्सनल्स होते हैं और उनके साथ 110 बोट्स भी हैं। साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम्स, जिसमें 434 पर्सनल्स हैं, को रिलीफ एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रखा है। दो अतिरिक्त कॉलम्स, जिसमें 124 पर्सनल्स होंगे, कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा आज दिल्ली से चार कॉलम्स शाम तक एयरलिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की इन तीस टीमों में से दो पॉण्डिचेरी में डिप्लॉय कर दी गई हैं। नेवी की 12 बोट्स और 255 पर्सनल्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत और 20 डाइवर्स, हेलिकॉप्टर्स, वायज़र रवाना कर दिए गए हैं और अब तक चेन्नई पहुंच गई होंगी, ऐसी संभावना है। भारतीय एयरफोर्स ने इस मूवमेंट में पूरा योगदान दिया है। एनडीआरएफ की 14 टीमों को कल एलर्ट कर दी गई हैं। आज आर्मी के दो कॉलम्स एलर्ट किए जा रहे हैं। हेलिकॉप्टर्स द्वारा रिलीफ कर 22 लोगों को बचाया गया है। कल तक 37 ट्रेन्स निरस्त की गई थीं। आज प्रातः बेसिक ब्रिगेडयार्ड में एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है। जिससे चेन्नई स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ट्रेनों को चेन्नई के नज़दीक कहां तक लाया जा सकता है, यह योजना रेलवे आज बना लेगा। यह सूचना प्राप्त हुई है।

24, अक्टूबर, 2015 को तमिलनाडु राज्य सरकार से 8481 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए मैमोरेण्डम प्राप्त हुआ है। तत्काल राहत के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 940.92 करोड़ रुपये की सहायता कर दी है। इस धनराशि को रिलीज कर दिया गया है। भारत सरकार की इंटरमिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम ने 25 से 29 नवम्बर, 2015 तक राज्य का भ्रमण करके क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट कर लिया है। एक सप्ताह के भीतर यह टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी। जिस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करके हाई लेवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात जल्द से जल्द इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 509.25 करोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत एसडीआरएफ कोष से द्वितीय किस्त में 133.795 करोड़ रुपये भी 23 नवंबर, 2015 को जारी कर दिए गए हैं। पिछले सप्ताह मैंने स्वयं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तमिलनाडु

की मुख्यमंत्री जी से बात की थी। उनके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी आवश्यक सहायता के लिए केन्द्र सरकार सदैव तैयार है।

इसके अतिरिक्त मैंने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से भी बात की है और वहाँ हर संभव सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बातचीत हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1,000 करोड़ रूपए की एक इन्टरिम रिलीफ हेतु मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है। नुकसान का आँकलन करने के लिए जल्दी ही भारत सरकार की एक टीम आंध्र प्रदेश जाएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 330 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 2014-15 के सूखे से निपटने के लिए वर्ष 2015-16 में 181.63 करोड़ रूपए भी एसडीआरएफ से आंध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए गए। ओडिशा के लिए वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 280 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उड़ीसा में फैलीन से जो क्षति हुई है, कुछ और धनराशि हमें उपलब्ध करानी है, वह राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।... (व्यवधान)

**श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) :** यह कुछ नहीं है। क्या यह पॉकेट मनी है?

**श्री राजनाथ सिंह :** हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होते ही इस संबंध में अंतिम फैसला हो जाएगा।... (व्यवधान) पॉकेट मनी की बात नहीं है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** उन्हें पूरा करने दीजिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Tathagata ji, let him complete first and then you can say something.

... (Interruptions)

**श्री राजनाथ सिंह :** पश्चिम बंगाल में वर्ष 2015-16 में एसडीआरएफ के अंतर्गत 10,705 करोड़ रूपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग की गई है। हमने इसमें सेंट्रल टीम भेजी थी और इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष हमने लगभग 387 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल को प्रदान की है।... (व्यवधान) मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ पर गंभीर बाढ़ के कारण भारी जान-माल की क्षति हुई है, तो इस दुःखद प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही

साथ जो घायल हुए हैं और जो इस समय संकट से जूझ रहे हैं, उनके प्रति भी हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, क्या आप इसी के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं?

**श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :** महोदया, हम एक सुझाव देंगे। हम सराहना करते हैं कि सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, अगर सदन की राय हो और आपकी राय हो तो यह जो हर साल दैवीय आपदा आती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, ओले भी पड़ते हैं, इसके लिए अलग से एक विभाग बना दिया जाए। अगर यह विभाग बन जाए तो सहायता करने में देरी नहीं होगी। पहले से ही बजट में प्रावधान हो जाएगा। यह दैवीय आपदा हमेशा आएगी, हर साल आती भी है जिससे कहीं ज्यादा बारिश, कहीं भयंकर सूखा और कहीं अत्यधिक बड़े-बड़े ओले पड़ते हैं, ऐसा प्रतिवर्ष होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि इसके लिए अलग से एक विभाग अवश्य बना दिया जाए जिससे राज्यों को, लोगों को राहत मिले। महोदया आप भी इसमें मदद कीजिए। एक दैवीय आपदा विभाग बना दिया जाए।

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR):** Madam, in my speech yesterday I categorically mentioned that the State of West Bengal is affected both by flood on the one hand and drought on the other. Last week I was informed by Shri Venkaiah Naidu ji that a sum of Rs. 387 crore have been released from NDRF. But this amount in comparison to the amount that the State for, that is, Rs. 6000 crore for floods and Rs. 4000 crore for drought is very less and has now gone up to more than that.

I want to categorically know the system of allotment of funds. The Central team goes there and comes back. But when the amount is decided, that is not fixed up in consultation with the Chief Minister of the concerned State or any representative. It is done *suo motu*. Absolutely, they take the decision on their own.

Madam, in the Planning Commission, the system was, in the presence of the Chief Minister with his Finance Minister, discussion was being done. Accordingly, the amount will be fixed up. But this is a unilateral decision.

We strongly protest against this decision. We feel that it is difficult for West Bengal to survive and as a mark of protest, we are walking out of the House against the Government stand.

### **12.20 hours**

*(At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.)*

**माननीय अध्यक्ष :** मैं आपको भी बोलने का मौका दूँगी। मुख्य मामले उनके ही हैं, इसलिए उनको पहले मौका दे रही हूँ। उनको भी बोलने का मौका दे दूँगी।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I was expecting a very positive and concrete reply from the hon. Minister specially relating to the Phailin issue that I had raised. I had quoted the decision of the previous Government and subsequently what this NDA Government had assured personally to our Chief Minister, privately and also inside the House.

In 2015, three High Level Meetings have already been conducted and I had given specific dates regarding this.

I would like to understand from the hon. Minister one point. Despite those three meetings and despite a written assurance to the Government of Odisha, today we are getting another assurance that in the next High Level Meeting, this will be considered. There were only three casualties in Phailin. More than ten lakh people were evacuated. That is why, we will not get the support which the Government of Odisha has already incurred? This had happened in 2013. That is why, my colleague, Shri Sathpathy, out of anguish, asked whether this is pocket money that you are giving. We have asked for around Rs. 4000 crore for drought relief. There is no doubt that we will be discussing that issue.

Yesterday, the Central team has arrived. Earlier the Odisha Government had given a memorandum to the Government, some officers also went around on their own and created a media glare that we are much concerned but how much did we get? It is hardly Rs. 280 crore. This is the time, in the month of December,

that we have to prepare our farmers who are in distress for the next rabi season. I need not give those details. But we were expecting much more.

HON. SPEAKER: Please ask only clarification. I know that you are very articulate.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I want to understand from the hon. Minister on this matter. The amount of Rs. 200 and odd crore is a pittance. Therefore, I would urge upon the Government on whether you are going to release more money instead of waiting for the report of the Committee that has gone there.

**माननीय अध्यक्ष :** इन दो वाक्यों में सब बात आ गई। श्री थम्बी दुरई जी, आपके यहाँ तो अभी इसका संकट बना हुआ है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I am very thankful to you that you have allowed a discussion on the flood situation specially in Tamil Nadu. Nearly 53 Members spoke on the discussion, as our hon. Minister said. This shows the importance and seriousness of the situation prevailing in Chennai and other areas. It is not only that Chennai is the only affected area. There are other districts as well which are affected like Thiruvallur, Cuddalore, Villupuram, Puducherry and Tuticorin. It is a very unusual situation. As our hon. Minister said, after 100 years, we have seen such a kind of grave situation in Tamil Nadu and especially in Chennai. Chennai has a Corporation like Delhi. We have never seen such a marooned stage in the history of Chennai. The hon. Minister has already said that there is no food shortage and rescue operations are going on well. It is because of the efforts of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma. She has taken all efforts in this regard. She also visited the affected places previously. Today, she took the aerial survey also. I am happy that our Prime Minister also, as you said, today is visiting to see the situation there. It is a very grave situation.

You have said that you have released Rs. 940 crore. That is not correct. This includes the money that was given during the previous year, the amount of nearly Rs. 650 crore given for disaster management. So, this is not a new thing.

Therefore, I am requesting the hon. Minister to see that the amount requested by our hon. Chief Minister, Amma, is fully released.

Yesterday, all the hon. Members showed sympathy. I am thankful to all of them. But at the same time I would like to tell you that it is not going to solve our problems. We need rehabilitation programmes. For that financial assistance is more important. When we are faced with such an unprecedented situation, giving a meagre amount would not help. Therefore, we need funds immediately. After this, to rehabilitate, to build the roads again in the city and in other areas, other Ministries also, not only your Ministry, like the Ministry of Urban Development must play a vital role.

HON. SPEAKER: Dr. Thambidurai, you have to seek only clarification.



... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI :The Minister of Urban Development who is also the Minister of Parliamentary Affairs, should take the lead. Yesterday he himself narrated as to how he found it difficult to get information. ... (*Interruptions*) Today also we discussed it. Therefore, I am requesting the hon. Minister to discuss it with the hon. Prime Minister and see that whatever assistance that our Chief Minister of Tamil Nadu has requested is extended. That is my request.

HON. SPEAKER: Shrimati Hemamalini, do you want to seek clarification on this issue?

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): I want to say just a few things.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मिनिस्टर से कुछ पूछना चाहती हैं, तो ही बोलें।

श्रीमती हेमामालिनी : मैं कहना चाहती हूँ। I would like to speak just a few lines. Thank you so much.

अभी मंत्री जी ने चेन्नई की इस संकट की घड़ी में बहुत सारी मदद देने की बात की है। सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत सारी प्रोब्लम्स अभी है कि shortage of food, drinking water, medicine, hospital supplies and more importantly outbreak of epidemics, especially waterborne diseases, such as diarrhea, यह सब आने की अभी सम्भावना है। यह जो बारिश हो रही है...(व्यवधान) अगर यह बारिश ऐसे ही कंटीन्यू होगी तो बहुत सारी प्रोब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं।

Chennai used to be a very beautiful place once upon a time. In the ancient times, it used to have a lot of water bodies, like lakes and tanks, which dried up in due course of time. Instead of maintaining that people have encroached and the development authorities have also been supporting in developing all these places. That is why this problem has taken place.

I feel the most important thing is the city and town planning. The city and town planning cannot continue to be as *ad hoc* as it is in India. City planning should involve experts in urban planning, housing, transportation, water and

sewage system authorities. ... (*Interruptions*) This cannot and should not be done by the IAS officers alone. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is okay.

... (*Interruptions*)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :** अध्यक्ष महोदया, इस तरीके से एक महिला की आवाज को दबाया गया है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कोई दबाया नहीं गया है।

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: This is wrong information. ... (*Interruptions*) She is giving wrong information. ... (*Interruptions*)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** अगर वे बोलना चाहती हैं तो उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Jyotiraditya Scindia ji, I know very well. बात वह नहीं है। आप इतनी चिन्ता मत करिये। बात इतनी सी ही है कि डिस्कशन पूरा हो चुका है। We are not again discussing the same thing. The Minister has replied. Now, you can only seek clarification. This is the way. आप इतनी चिन्ता मत करो, ज्योतिरादित्य जी, हमें भी महिलाओं की चिन्ता है। खड़गे जी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अब बस बहुत हो गया, क्लैरीफिकेशन लेना है। नहीं, इसे बढ़ाओ मत।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें अब केवल क्लैरीफिकेशन ही होगा, खड़गे जी। अब दोबारा चर्चा शुरू मत करो।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, आप सेंटेंस भी पूरा नहीं होने देतीं, मुश्किल यही है।... (व्यवधान) कल मैंने चर्चा के वक्त एक बात पूछी थी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक बार एरिएल सर्वे करके देख लीजिए। इसके लिए मैंने कल ही अपील की थी। तब मेरा मज़ाक उड़ाया गया था। उस वक्त यह कहा गया कि हमारी सरकार हवा में नहीं उड़ती।... (व्यवधान)

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) :** मैडम, ऐसा कोई मज़ाक नहीं उड़ाया गया था।... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप इसे देख लीजिए, नहीं तो मैं इसे वापस लेता हूँ।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सरकार ने आपकी बात मान ली न?

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मुझे आज इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एरिएल सर्वे पर जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। लेकिन, जो अलॉटमेंट ऑफ मनी है, वह तमिलनाडु को, ओडीशा को दिया गया है। असम को इसमें नहीं दिया गया है। वेस्ट बंगाल के बारे में आपने नहीं बताया। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपने जो नीति आयोग बनाया है, उन्हें बुलाइए। आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है? अगर वह कम है, तो आप उसकी राशि बढ़ाकर जिन-जिन राज्यों में इसका अफेक्ट हुआ है, वहां पर इसका प्रावधान कीजिए।

दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, वह तो कर ही रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीजें भेजनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ आज बेंगालुरु पर पड़ रहा है। चेन्नई में जितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, वे सारे लोग आज बेंगालुरु में आ रहे हैं। बेंगालुरु में स्कूल का, पानी का और दूसरे चीजों का बोझ पड़ रहा है।

मेरी अपील है कि चाहे वह फूड पैकेट्स हों, वाटर बॉटल्स हों, या मेडिसिन्स हों, उसे आप जितनी भी हाई-राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप उन्हें नीचे तो फेंक नहीं सकते हैं। मैं आपसे यह अपील करता हूँ। आपने इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया। कम से कम इसकी व्यवस्था करने के लिए और राशि बढ़ाने की मैं अपील करता हूँ, चाहे वह चेन्नई के लिए हो, वेस्ट बंगाल के लिए हो। आपने असम को तो इसमें कुछ भी नहीं दिया।... (व्यवधान) जितना देना है, उसकी घोषणा कीजिए। फिलहाल चेन्नई के लिए जो अर्जेंट है, या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह भी आप कीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** कविता जी, आप बैठिए।

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निश्चित रूप से जान-माल की भारी क्षति होती है। सदन में जब भी इसकी चर्चा होती है, तो संबंधित राज्यों के माननीय सदस्य अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि वे अपने आक्रोश की, अपने गुस्से की, अपनी नाराज़गी की अभिव्यक्ति करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और मैं भी उसे अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में, अपने-अपने राज्यों में संवेदनशीलता के साथ राजनीति करते हैं। अगर जनता के ऊपर कोई संकट अथवा कोई मुसीबत आती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें तकलीफ होती है। मैं मानता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार के द्वारा इस संकट की घड़ी में, चाहे जितनी भी राहत क्यों न मुहैया करायी जाए, वह पर्याप्त नहीं

कही जा सकती है। लेकिन, मैं सदन को इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के द्वारा जितना अधिकतम सहयोग संभव है, वह अधिकतम सहयोग केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया है और भविष्य में भी कराया जाएगा। इतना मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ।

हमारे माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो यह प्रश्न उठाया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग विभाग होना चाहिए, तो वह विभाग है, जो इस काम को देख रहा है।

सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने यह प्रश्न किया कि इसमें कौन-सा तरीका है? आप किस प्रकार से उसे देते हैं? जब कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा किसी राज्य में आती है, तो वहां की राज्य सरकार पूरी सिचुएशन को असेस करने के बाद एक मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपनी सेंट्रल टीम भेजती है। सेंट्रल टीम वहां पर असेसमेंट के बाद अपनी रिपोर्ट यहां सबमिट करती है। आफिसर्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें उस पर विचार होता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और उसके बाद हाई लेवल कमेटी जो कि मेरी चेयरमैनशिप में है, वह यहां पर आती है, जिसमें मैं रहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं और कुछ आफिसर्स रहते हैं। इस तरीके से हम लोग इस संबंध में अंतिम निर्णय करते हैं। पश्चिम बंगाल का क्या मामला है, इसके बारे में मैं देखूंगा। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह नहीं होता है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry, Shri Sudip Bandhyopadhyay. आप बाद में बैठकर चर्चा करें, यह ठीक नहीं।

... (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, he has agreed. He has already yielded. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Every now and then, you are speaking.

... (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: In my long parliamentary life in this House for many years.... ... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** यह क्या है? बैठिए।

... (व्यवधान)

**श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) :** अध्यक्ष जी, उनको बुला रहे हैं, हमें भी बुलाइए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह मेरा प्रिविलेज है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Kindly listen. The House belongs to the Opposition mainly not for the ruling Party. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kindly take your seat. Let me understand.

... (*Interruptions*)

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय:** आई एम नॉट हेमा मालिनी जी कि अचानक बैठ जाऊं। ... (व्यवधान) She is a dignified lady. She sat down. I would finish my speech and then sit down. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** सुदीप जी, आपस में चर्चा नहीं। आप भी पर्टिकुलर बात बोलिए। यह जो आपका डिस्कशन चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को भी कहूंगी कि आप अपनी जो भी कमेटी है, आप अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को बुलाकर बात करें। यहां तो यह बात डिसाइड नहीं होगी। आपने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। Again and again don't go on discussing like this.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: No, Madam, it is nothing new. पिछले सेशन में लोक सभा एक दिन नहीं चल पाई। इस बार डेली चलती है। आपको खुश होना चाहिए। आपका खुशी का मुंह हम लोग देखना चाहते हैं। आपका गुस्सा हम लोगों को पसन्द नहीं है। पिछले सेशन में एक दिन नहीं हुआ, इस बार पूरे दिन होगा, पूरा सेशन होगा।

What I wish to say is that after Independence, eastern zone is economically deprived. Particularly West Bengal was mostly exploited and deprived of. Regional balances are there. Eastern zone is the worst sufferer of regional imbalance. The same situation still persists. My humble suggestion is this. Take special care towards the eastern region – be it Odisha, Assam, Bihar and other States. I think, they should be given some priority. The eastern region should be allowed to be freed from the worst sufferer of the regional imbalances as I explained here.

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, अभी भर्तृहरि जी ने ओडिशा के जिस सवाल को खड़ा किया था, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी वह धनराशि विद इन फ्यू डेज रिलीज कर दी जाएगी।

तंबिदुरै जी ने चेन्नई के संबंध में बात कही। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां का एरियल सर्वे करने का फैसला किया है। वह अब यहां से प्रस्थान कर गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कुछ न कुछ घोषणा होगी ही। लेकिन इसके पहले जो एसडीआरएस का एमाउंट था, उसके अतिरिक्त भी एप्रॉक्सिमेटली 400 करोड़ प्लानिंग कमीशन से चेन्नई को हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सब मिलाकर लगभग 940.22 करोड़ की सहायता धनराशि चेन्नई को दी गई है।

हेमामालिनी जी ने जिस प्रश्न को खड़ा किया था, पानी, मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ये सारी चीजें, तो मेडिसिन और फूड पैकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा सकता है। हमारे आर्मी के पर्सनल्स उसको प्रोवाइड करने की वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए, तो एयर सर्विस के द्वारा भी यदि तमिलनाडु को पानी ले जाना होगा, तो हम ले जाएंगे और तमिलनाडु के लोगों को हम पानी की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। ...(व्यवधान)

अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों में भी इस प्रकार का संकट पैदा होता है, हमारी सरकार पूरी तरह से और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन राज्यों के साथ खड़ी रहेगी।

**12.40 hours****SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re :Hardships faced by rubber cultivators of Kerala**

HON. SPEAKER: Now we take up Special Mentions.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity. I would like to take this opportunity to make a submission regarding a very important problem faced by the rubber growers in Kerala.

As you know, rubber cultivation is the backbone of Kerala's economy. Kerala accounts for 78 per cent of the area under rubber cultivation and 90 per cent of the total rubber produced in India. There are 40 lakh rubber growers in the State, and an overwhelming majority of them are small and marginal farmers. Over 90 per cent of the households in my Parliamentary Constituency depend on rubber sector for their daily bread. Therefore, any adverse impact on the rubber sector will have a corresponding shock on Kerala's economy and livelihood of its people.

The present problem of rubber growers emanates from large scale import of natural rubber and subsequent fall in price in the domestic market. The quantity of rubber import has been increasing for the last several years. Earlier, the average import of natural rubber per annum was 2 lakh tonnes. However, 6.5 lakh tonnes of rubber has been imported in the last 18 months alone. Over 42 per cent of the rubber manufactured in the country last year was the imported rubber. This means nearly half of the rubber produced in the country became surplus due to the negligence of the rubber manufacturers.

India produces sufficient quantity of natural rubber. But rubber manufacturers always try to import natural rubber in bulk quantity for dipping the price in the domestic market. Massive influx of foreign rubber creates an artificial surplus of natural rubber in the domestic market. Therefore, the rubber manufacturers are not demanding rubber produced in the country.

In addition to rubber sheets, the manufacturers are importing other forms of rubber such as block rubber. Cheap rate is their major attraction. For instance, price of block rubber in international market is equal to the amount of Rs. 75 per kg. Massive influx of block rubber also causes further decline in the price of sheet rubber produced in the country. Moreover, the import of tyre, especially the used tyre also adversely affects the prospects of rubber growers in the country.

According to the data given by the Rubber Board, price of natural rubber was Rs. 243 per kg. in 2011. At present, the rate is at Rs. 106 per kg. This is the lowest rate in history. The last two years have been the worst period for rubber growers in the country as it marked a slash of Rs. 57 per kg. Even though the official figure shows a price of Rs. 106 per kg., the trade is not carried out at this rate. Therefore, middlemen procure rubber at rates below Rs. 100 per kg. It should be noted that the production cost of one kilogram of natural rubber is Rs. 150. As a result, the price of natural rubber has fallen below the cost of production. On the contrary, the fall in price of natural rubber does not mark corresponding decline in price of finished products of rubber.

HON. SPEAKER: Please conclude. You cannot make a lengthy speech.

... (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: Madam, this is a very important issue. We raised this issue many times in this House, and we got many assurances from the Government. You may remember that during the Budget Session, we sought the protection of the Speaker and you were kind enough to intervene and we got an assurance, but nothing has been done so far in this regard. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: Madam, the Rubber Board is totally paralyzed. The posts of Chairman, Secretary and Rubber Production Commissioner are still vacant. ... (*Interruptions*) So, we demand a ban on import of natural rubber. That is our request and we seek your protection in this matter. ... (*Interruptions*)



HON. SPEAKER: You can all associate with him.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: S/Shri P.K. Biju, P. Karunakaran, Jose K. Mani, N.K. Premachandran, Kodikunnil Suresh, Mullapally Ramachandran, M.K. Raghavan, D.K. Suresh, R. Dhruvanarayana, Rajeev Satav, Adv. Joice George, and Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Anto Antony.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please take your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसे डॉयलॉग नहीं होता।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, यदि वे चाहते हैं कि मैं इस संबंध में रिस्पॉंड करूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस अहम सवाल को खड़ा किया है। मैं इस संबंध में संबंधित मंत्री जी से बात करूंगा और उनकी इस बात को वहां पहुंचाऊंगा ताकि उसका समाधान निकालें।... (व्यवधान)

---

HON. SPEAKER: Today is the World Disability Day. हमें ऐसे निःशक्तजनों को मानसिक रूप से भी शक्ति देनी है। श्रीमती टीचर और श्रीमती मीनाक्षी लेखी दोनों ने मुझसे इसके लिए अनुरोध किया है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Teacher.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Speaker, Madam, I thank you for giving me an opportunity. Today is World Disability Day and it is celebrated in a vast number of ways around the globe.

According to Census 2011, there are 2.68 crore persons with disabilities in India, that is 2.21 per cent of the total population. However, in reality, this figure could be much higher. India is also a signatory to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

As a signatory of UNCRPD, the Government of India has an obligation to take appropriate measures to ensure all persons with disabilities. There should be access on an equal basis with others to the physical environment, to transportation, to information and communications including technologies and systems, and to other facilities and services both in urban and in rural areas.

The Hon. Prime Minister announced accessibility campaign on World Disability Day. I welcome it. I wholeheartedly welcome these types of campaigns on this day and it is very necessary. But, what is the ground reality?

More than 50 per cent of the disabled persons do not have identity cards and they are not getting the various benefits because of not having the identity card.

So, on this day, I urge upon the Government to ensure that all the people with disabilities should get their identity cards. It is their right. Pension should be

increased for all of them. The Government should declare disability pension of Rs. 3000 per month to those who are having more than 80 per cent of disability.

Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju, Adv. Joice George, Shri P. Karunakaran, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Rajeev Satav are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदया, मेरी मित्र श्रीमती टीचर ने युनाइटेड नेशन्स द्वारा आज जो निशक्त जन दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हमें निशक्त जनों के प्रति अपनी भावनाओं में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। जहां प्रकृति ने उनकी एक शक्ति को कम किया है, बाकी शक्तियों को औरों से अधिक किया है। निशक्त जनों के प्रति हमारे विचार को बदलना चाहिए और कहीं न कहीं वेल्फेयर की योजनाओं को बदलकर स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल उन्नयन और डिफरेंशिएटेड एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि क्षमताओं की तरफ ध्यान देकर योजनाओं का निर्माण किया जाए और उन क्षमताओं से देश की जो वर्क फोर्स है, वे भी श्रम दान के माध्यम से देश की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। उसे आधार बनाकर हम तमाम योजनाएं स्किल ट्रेनिंग और डिफरेंशिएटेड एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुमारी शोभा कारानन्दलाजे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राहुल कस्वां, श्री देवजी एम. पटेल, श्री हरीश मीना को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिड़) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के प्राचीन तथा उभरते हुए पर्यटन स्थल दतिया के लिए यात्री हवाई सेवाओं की आवश्यकता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल सोनागिरी, उनाव का सूर्य मंदिर, दतिया जहांगीर महल और विश्व प्रसिद्ध पिताम्बरा पीठ तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर दतिया में धार्मिक एवं सामान्य पर्यटकों की निरंतर वृद्धि हो रही है। दतिया से संपर्क के लिए अभी झांसी और ग्वालियर से ही रेल संपर्क संभव है। अतः दतिया पहुंचने के लिए पर्यटकों को बहुत परेशानी होती है। उल्लेखनीय है संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से भारत सरकार की नीति की घोषणानुसार को उद्धृत करता हूं, 'छोटे नगरों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।' मैं केन्द्रीय पर्यटन मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दतिया को राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल कर लिया है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा दतिया की हवाई पट्टी तैयार कर ली गई है और इस पट्टी पर शासकीय और अशासकीय छोटे हवाई जहाज आसानी से संचालित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के पर्यटक स्थलों और छोटे नगरों के विकास के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। वर्तमान में आगरा, खुजराहो और वाराणसी में कई वर्षों से हवाई सेवाएं संचालित हैं इसी क्रम में दतिया को जोड़ना उचित होगा। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से दतिया में हवाई जहाज के संचालन की स्वीकृति दी जाए।

**श्री विनोद कुमार सोनकर :** माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देकर बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा व सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता व उत्साह पैदा किया है, जो एक सराहनीय कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच व अभियान से प्रभावित होकर लोगों में बेटियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों में संवेदना बढ़ी है, वही उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं ... (व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) :** मैडम, यह स्टेट का विषय है इसे यहां नहीं उठा सकते हैं। ... (व्यवधान)

**श्री विनोद कुमार सोनकर :** जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों की संवेदना बढ़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-बडगों पूरेहेम, थाना-मानिकपुर, जनपद-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 नवम्बर को कक्षा 10वीं की छात्रा कु. कल्पना पटेल सुबह-सुबह कोचिंग जा रही थी उसी समय कुछ मनचले उसे छेड़ने लगे जिसका विरोध करने पर बाइक से कुचल कर इस बच्ची की हत्या कर दी गई, इसके बावजूद पुलिस

द्वारा अपराधियों को संरक्षण देते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के इस रवैये से गांव के लोगों व छात्राओं में भय व्याप्त है। मेरे प्रयास से बाद में पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। इस घटना से उस गांव की सभी छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है जिससे दिन-प्रतिदिन महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न व हत्या, अपहरण तथा छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री हरिनरायन राजभर और श्री शरद त्रिपाठी को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG):** Thank you Madam. India is one of the fastest growing countries as far as its population and its economy are concerned. Every year 1.2 billion population is added at the rate of 1.5 per cent to 1.7 per cent. Though we are growing economically, a major part of our population is still living below the National Poverty Line.

India is highly ranked in the world by World Bank for the number of children suffering from malnutrition. The main cause for malnutrition in India is gender inequality as the social status of women is still under developed. Women who suffer from malnutrition give birth to less healthier babies.

Reports state that every second child in India is malnourished. Children from Muslim households, Scheduled Castes and Scheduled Tribes face higher rates of malnourishment. Madhya Pradesh and Jharkhand have very high rates of under-nutrition.

Many welfare schemes like the Integrated Child Development Scheme, National Children's Fund, National Health Mission have been launched by the Government of India, but still the number of malnourished children is increasing. The United Nations estimates that 2.1 million Indian children die before reaching the age of five years every year. The malnutrition rate is 42 per cent among children in India. As many as 1,500 children die everyday due to lack of a balanced diet.

The West Bengal Government under the leadership of our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has brought various steps like Support to Training & Employment Programme, Organizational Assistance for Women & Child Development, Integrated Programme for Street Children, Balika Samridhi Yojana.

The Government has to monitor and improve nutritional status of children in India by ensuring Nutritional Status of Women during pregnancy; dietary intake of children and lactating mothers; availability of safe, clean drinking water, sanitation and hygiene facilities; well balanced, nutritious diet to be provided through ICDS and improved medical assistance through Government and NGOs; and by providing good environment.

Madam, I would like to make a last suggestion to the Government. A Committee should be formed consisting of Members from the Central and State Governments to monitor the training programmes and schemes carried out to eradicate malnutrition, and also strict action should be taken against those who malpractice in this human cause. Thank you. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Santosh Ahlawat is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Aparupa Poddar.

Now, Shri Radheshyam Biswas.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Hon. Speaker, there was a decision to set up 660 Nirbhaya Centres across India by the Union Government. A letter dated 26-6-2014 was issued to me to help to provide the requisite land for construction of Nirbhaya Centres in the district headquarters. On the basis of this letter, the Deputy Commissioner, Hailakandi of my constituency allotted a plot of land *vide* his letter no. HRC/11/2015 dated 21<sup>st</sup> February for this purpose. I have already communicated the same to the hon. Minister *vide* my letter no. RBWCD/3/15 dated 16-3-2015. But till now, no appropriate action has been taken by the Ministry of Women and Child Welfare Development.

Though our hon. Prime Minister announced to give priority for the rapid development of the North Eastern Region but in this case no priority has been given till today. So, through this august House, I would like to make a request to the hon. Minister of Women and Child Development to sanction the requisite amount for the construction of the same. Thank you.

HON. SPEAKER: Kumari Sushmita Dev is permitted to associate with the issue raised by Shri Radheshyam Biswas.

**SUBMISSIONS BY MEMBERS .....Contd**

**(ii) Re: Need to construct a memorial in the name of Dr. Rajendra Prasad in his native village Zeradai, Siwan District, Bihar**

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** अध्यक्ष महोदया, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। राजेन्द्र चिंतन समिति उनका प्रोग्राम, संसद परिसर के बाहर जो मूर्ति है, वहां मना रही है और सेंट्रल हाल में भी आपने राजेन्द्र प्रसाद जी के चित्र को पुष्पांजलि दी है, माल्यार्पण किया है। राजेन्द्र चिंतन समिति का एक सुझाव है। मेरा यह कहना है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पैतृक गांव जिरादेई, जिला सिवान, बिहार में स्थित है। अभी चुनाव के दौरान मुझे भी उस गांव में विजिट करने का अवसर मिला। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा उपयोग में ली गयी और उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं अस्तव्यवस्थ अवस्था में उनके पैतृक गांव में पड़ी हुई हैं। यद्यपि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उनके घर को संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है और एएसआई का एक अधिकारी भी तैनात कर रखा है। लेकिन इन सबके बावजूद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के जीवन का त्याग और तपस्या को देखते हुए उनके पैतृक घर में एक म्यूजियम बनाने की मांग वर्षों से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से मांग है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के जिरादेई स्थित उनके पैतृक गांव में एक उचित स्थान पर, जो उनका पैतृक निवास है, वहां पर एक म्यूजियम की स्थापना की जाये, जिससे उनके जीवन की महत्वपूर्ण झलकियां उपलब्ध हो सकें, ताकि नौजवान और भावी पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रोडमल नगर, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री सी.आर. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी.एम. पटेल, कुमारी सुष्मिता देव, श्री राम चरित्र निषाद, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री सुधीर गुप्ता, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राजीव सातव और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**13.00 hours**

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सबने सेंट्रल हॉल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर माला अर्पण की है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी थे। यह मांग वर्षों से लंबित मांग है। हमने सारन में माननीय जय प्रकाश जी के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने की



बात कही है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी कास्टीटुएंट असैम्बली के मैम्बर थे और संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। मेघवाल जी ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से सरकार इसका संज्ञान लेगी और हर संभव राष्ट्रीय स्मारक बनाने के दृष्टिकोण से जो कार्यवाही की जा सकती है, करेगी।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक) :** सदागत आश्रम के बारे भी सोचिए, जहां वह ठहरे थे और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वहां रहे थे।

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** अभी वहां कांग्रेस का कार्यालय है। उसे खाली करके अगर कोई विचार बनता है...

**माननीय अध्यक्ष :** इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह नेशनल प्रापर्टी है।

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** यह नेशनल प्रापर्टी है तो कांग्रेस के सदस्यों से बाद में चर्चा की जा सकती है।

---

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Madam Speaker, my 'Zero Hour' submission is in respect of constitution of a National NRI Commission and also to set up a National NRI Welfare Board.

A good percentage of Indians living outside India belongs to a lower or middle income group. Unfortunately, they are facing so many problems whether in India or outside India. But unfortunately, no Government is taking serious note or concern about the issues and problems, which are being faced by the NRIs in our country. They face several problems during their life in foreign countries and also when they return to India. Protection of their rights in India and protection of their families and relatives in India need more attention.

Madam, the welfare of the NRIs who return to India and their rehabilitation become the task for the Government. But at present, there is no system functioning exclusively to look after the welfare of the NRIs. The issues and problems faced by the NRIs outside the country and inside the country are also pending without any solution due to the absence of an exclusive system for the same.

So, my submission is that an NRI Welfare Board and the NRI Commission are necessitated. At this juncture, I would like to make a submission that in the State of Kerala, we are getting Rs. 85,000 crore as foreign exchange earnings only because of these NRIs; and in Kerala, an NRI Commission has already been constituted.

Madam, as this is a matter involving country to country international importance, I would urge upon the Government of India to constitute a National NRI Commission and also a National NRI Welfare Board to look into the issues of the NRIs in India. Thank you.

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सदन में एक बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आज विदेशी बीज उत्पादकों का भारतीय बाजार पर कब्जा होता चला जा रहा है। हमारे किसान विदेशी बीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह बाजार करीब 30,000-40,000 करोड़ का है। हमारी मेहनत की विदेशी मुद्रा की जो कमाई फिर से विदेशों में जा रही है। हमारे

देश में 40 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं और 200 के आसपास एग्रीकल्चर कॉलेज हैं फिर भी हमारे देश के किसान उन्नत किस्म के बीजों के लिए अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं। यह गंभीर चिंता और विचार करने योग्य विषय है।

महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों से आयातित टमाटर के बीज 40,000 रुपए किलोग्राम, गोभी के बीज 26,000 रुपए किलोग्राम से 60,000 रुपए किलोग्राम, पालक के बीज 70,000 रुपए किलोग्राम, खरबूजा के बीज 75,000 रुपए किलोग्राम, मक्का के बीज 5,000 रुपए किलोग्राम और गेहूँ के बीज 1,000 रुपए किलोग्राम मिल रहे हैं। अब किसान क्या करेगा? उनकी लागत तो बीज, खाद और पानी में लग जाती है। फसल होते-होते किसी न किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाती है। उनके पास फिर आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना लाभांश दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की खुशहाली एवं तरक्की सम्भव नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश में ही उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन हो, सस्ते से सस्ते, उन्नत किस्म के सभी प्रकार के बीज किसानों को उपलब्ध हों, इससे ही किसानों को राहत पहुंचा सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार किसानों की इस गंभीर समस्या पर तत्परता से ध्यान देगी।

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** माननीय अध्यक्ष जी, बिहार राज्य के अन्तर्गत एन.एच.ए.आई. द्वारा बनायी जा रही हाजीपुर से छपरा तक चतुर्भुज सड़क परियोजना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इस परियोजना के विलम्ब के क्या कारण हैं? इस सड़क के पूर्ण नहीं होने के कारण सारण प्रमंडल के छपरा शहर में हमेशा जाम लगा रहता है जिसके कारण विशेष तौर पर बीमार लोगों को घर से अस्पताल तक लाने ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कई बीमार लोगों के प्राण चले जाते हैं तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल समय पर नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा छूट जाती है जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस सड़क परियोजना के पूर्ण होने से पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) के कई जनपदों को सुगम सड़क योतायात का लाभ मिलेगा यानी कि यह सड़क पूर्वांचल एवं बिहार आने जाने वालों के लिए काफी लाभदायक होगा एव देश को इससे काफी ईंधन की बचत होगी।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सार्थक कदम उठाए। धन्यवाद।

**श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्य काल के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

राजस्थान में वर्षा के अभाव में किसानों की खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है और सम्पूर्ण क्षेत्र में अकाल की स्थिति है। चुरु संसदीय क्षेत्र में 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है जिसमें से 87 प्रतिशत से अधिक वर्षा पर निर्भर है वहां की स्थिति तो और भी विकट है। किसानों ने खरीफ की फसल के समय बुवाई, बीज, खाद आदि के लिए कर्ज लेकर फसल की बुवाई तो कर ली लेकिन फसल का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ है। सूखे एवं अकाल के कारण किसान कर्ज के बोझ में दब गया है। इस समय घोर आर्थिक संकट की घड़ी में राजस्थान का किसान हताश एवं निराश महसूस कर रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूखे एवं अकाल के लिए विशेष पैकेज जारी कर संबंधित पटवारी हल्का से गिरदावरी रिपोर्ट, सर्वे जांच करवा कर आर्थिक सहायता सीधे किसान के बैंक खाते में प्रदान करने का आदेश दें ताकि इस संकट की घड़ी में अकाल की चपेट में डूबे हुए राजस्थान के किसान को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री देवजी एम.पटेल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं यहीं से बोलूँ। आज देश में मोटा अनाज पैदा करने वाला किसान बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, जैसे जो किसान धान और गेहूँ का उत्पादन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन बहुत ही खराब है। इसका कारण यह है कि एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी कम है और दूसरे जो सरकारी दर है, उस पर भी किसान के धान या गेहूँ की खरीद नहीं की जाती। खासकर बिहार की स्थिति तो और भी दयनीय है जहां कि सरकार धान और गेहूँ के खरीदने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए पिछले साल भी यह काफी विफल हुई है। मेरे अपने जिले औरंगाबाद जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, दो जिले औरंगाबाद और गया हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। पिछले साल वहां के किसानों का सौ करोड़ रुपया बकाया ह, इसी तरह से गया जिले के किसानों का भी एक अरब से ज्यादा रुपया बकाया है और रोहताश जिले में करीब 37 करोड़ रुपए किसानों के धान के बकाया हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** आपने जो विषय enhance the support prices of cereals दिया था, उसके अनुरूप नहीं बोल रहे हैं।

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :** मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि एमएसपी की दर बढ़ाई जाए क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह संशोधित नहीं हुई है। इसके अलावा शत प्रतिशत खरीद की गारंटी की जाए। मैं सुझाव देते हुए यह मांग भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से गन्ना किसानों का गन्ना मिलो के माध्यम से खरीदा जाता है। गन्ना किसान अपना गन्ना मिलों तक पहुंचा देते हैं। उन्हें एक

पर्ची मिल जाती है और उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यही व्यवस्था धान और गेहूं के लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहां हजारों-हजार चावल मिल हैं। अगर किसान अपना धान वहां पहुंचा दें और उन्हें पर्ची मिल जाए और उनका पैसा उनके बैंक एकाउंट में चला जाए जब यह व्यवस्था लागू होगी, तब किसानों को फायदा मिलेगा।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री छोटेलाल (राबट्सगंज) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे किसानों की गंभीर समस्याओं पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार दो-तीन वर्षों से कम वर्षा के कारण सूखा पड़ा है। इस कारण किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को, खासकर जनपद सोनभद्र, जनपद चंदौली, मिर्जापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहां किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए और इनका सभी तरह का कर्ज माफ किया जाए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के किसानों का कर्ज माफ किया जाए तथा कर्ज वसूली रोक दी जाए। कम ब्याज पर किसानों को रुपया देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए एवं किसानों को कृषि कार्य मनरेगा से जोड़ा जाए। किसानों को पचास प्रतिशत सब्सिडी पर डीजल दिया जाए। नगवां लिफ्ट और सोन लिफ्ट के द्वारा सभी नहरों को जोड़ कर हर खेत को पानी दिया जाए। बाढ़ सागर परियोजना को मधोपुर-चंद्रप्रभा नदी में जोड़ा जाय ताकि चकिया-चंदौली तक सभी किसानों को पानी मिल सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री रामचरित्र निषाद को श्री छोटेलाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT):** Madam Speaker, I am deeply grateful to our hon. Chief Minister, Madam Mamata Banerjee because due to her only I have become Member of this august House.

Madam, I am coming to the point. The contamination of ground water in India has become a major health hazard during the last few decades. Arsenic contamination of ground water is a specific problem in nine districts out of 20 districts in West Bengal. Out of which, my constituency, Basirhat, with a population of over 15 lakh people, is the first most affected area. In the past, the House has recorded the effect of the serious threat of arsenic. But with deep sorrow, I would like to inform the House that my entire constituency, that is, Basirhat, is still in black days. I wonder to inform you that more than four crore people are affected with diseases caused due to arsenic.

Madam Speaker, earlier during the BJP Government, the Central Government funded 75 per cent for the project related to this issue. Then the allocation came down to 50 per cent during the last few years and recently, unfortunately, the fund has been discontinued.

Madam, Speaker, as a result, treatment plants have become inactive and have shut down due to huge maintenance costs and abstraction of excessive percentage level of arsenic contents. Keeping in view this acute problem, before it goes out of hand, I deeply urge upon the Government to immediately pay special attention to the supply of arsenic free water to all the people of the country because it is not only the duty of the Government but it should be done on humanitarian ground, which by virtue is the right of the people. I like to warn the Central Government to take a time-bound strategic programme before it breaks out as a pervasive threat. Madam, I want to speak only two lines in Bengali.

\*We know that our dynamic leader Smt. Mamata Banerjee is an embodiment of development and progress. She can be compared to Mother Teresa. She is already doing a lot for the benefit of her people and working untiringly in the interest of the common man. Thus I urge upon the Central Government to take immediate steps in this regard and supplement her initiatives. \*

**श्री छेदी पासवान (सासाराम) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक गंभीर मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी सांसदों के कस्टोडियन और संरक्षक हैं। हम लोगों के क्षेत्र में सभी सांसदों की छवि खराब हो रही है और छवि पर उँगली उठायी जा रही है। इसका कारण यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को दो करोड़ रुपये विकास के लिए दिये जाते हैं और हम लोगों के संसदीय क्षेत्र में छः-छः विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विधानसभा क्षेत्र पर 83-84 लाख रुपये ही पड़ते हैं। इससे कोई भी विकास का काम हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। लोगों के दिमाग में यह है कि एमपी से बड़ा पद विधायकों का होता है। इससे हम लोगों की छवि पर उँगली उठ रही है। आप हम लोगों के संरक्षक हैं। इसलिए इसमें सुधार कीजिए। इसके अलावा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का निर्देश है कि प्रत्येक वर्ष आपको एक आदर्श ग्राम बनाना है और एक ग्राम पंचायत को गोद भी लेना है। हम लोगों को वहाँ भी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इनके लिए अलग से राशि विमुक्त नहीं की गयी है। हम लोगों की ऐसी बदनामी हो रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र को सुचारू रूप से विकसित करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद निधि में प्रत्येक वर्ष कम से कम 24 करोड़ रुपये किये जाएं। निधि

---

\* .....\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Bengali.

बढ़ाने हेतु सदन के माध्यम से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देशित करने की कृपा की जाए। ...(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** सांसद निधि बढ़ाने की बात करें, लेकिन बदनामी की बात न करें। आप काम करते रहें। Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the matter raised by Shri Cheddi Paswan.

**SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR):** First of all, I would like to thank the hon. Speaker for giving me an opportunity to place my request in this prestigious House on behalf of the people of my constituency, Perambalur. I humbly submit my profound thanks to the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

In Perambalur district, around 3000 acre of agricultural land was acquired from farmers in Iraiur, Iyanperaiyur and Pennekonam villages. The land was acquired at a very cheap rate by a private firm from Andhra Pradesh during UPA regime to set up a Special Economic Zone (SEZ) in Perambalur. Though the State Government is ready to extend all possible help to set up SEZ, nothing has been done in this regard by the Union Government so far.

The farmers, who had sold their land to the Union Government for this purpose, are also facing a lot of problems due to unemployment and non-cultivation of their lands. Educated youths of this backward area are not getting proper employment opportunities. Perambalur is a backward area. There are no industries or factories to create employment opportunities for the unemployed educated youth as well as farmers.

Hence, I urge upon the Union Government through this Winter Session of the Parliament to take urgent necessary steps to set up a SEZ in Perambalur.



**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** मैडम, मैं आपके माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती के इस शुभ अवसर पर अपने लोक सभा क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोलने की मांग करता हूँ।

मेरा लोक सभा क्षेत्र अम्बाला वर्ष 1952 से एक आरक्षित क्षेत्र है। वहाँ गरीब छात्रों के लिए गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा की आजादी के 68 साल बाद भी भारी कमी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 करोड़ युवाओं को वर्ष 2022 तक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम जोड़ने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में दो दिन - 26 एवं 27 नवम्बर को भारत के संविधान एवं डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के प्रति योगदान पर चर्चा कराई है, जिससे हिन्दुस्तान के दलितों के दिल और दिमाग में एक सकारात्मक संदेश गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR):** Madam, I rise to draw attention of this House to the severe agricultural distress in my State of Uttar Pradesh. Of all the States in India, Uttar Pradesh has had the highest deficiency in rainfall this year, leading the State Government to declare 50 of 75 districts as drought hit.

The latest survey by the economist Jean Dreze, which I just read, which covered 1,200 households across seven districts of Bundelkhand, recorded that the *rabi* crop, which has just been sown, has been damaged by more than 75 per cent in the seven districts. Ninety per cent of people said that for the last three months, not only have they not consumed any pulses, but they have not even consumed any milk, leading to a serious nutritional deficit.

According to the National Crime Records Bureau, 38 per cent villages have reported at least one hunger death. This is the third consecutive year of drought in Bundelkhand and the situation is very similar to famine in other parts of the world.

Madam, if you look at the three basic bigger crops in Uttar Pradesh, namely, sugarcane, rice and wheat, the fact is that in UP, for the last three years, there has been no change in the State Advice Price of sugarcane which is now Rs. 280 per quintal which was raised from Rs. 240 per quintal in 2012. The production cost of sugarcane itself is Rs. 253 per quintal which does not take into account either labour or transportation, which means that per crop, the farmer is actually losing money. The issue of drought is, of course, another debate.

If you look at the wheat sown this year, it is reduced by 10 million hectares this year. Even if you look at the average return for the paddy farmers, we are looking at a monthly income of Rs. 1,306. This is as per the Commission for Agricultural Costs and Prices. If you take into consideration that a labourer gets about the same price, you can understand the absolute desperation of the farmers right now.

Madam, what is the role of banks in this? A variety of banks have lent Rs. 1,578 crore to the farmers of Bundelkhand alone. Why is the situation still so desperate? For the first six months of the cropping season, the interest rate is four per cent *per annum*, but if you fail to pay the principal over one year, it is 22 per cent *per annum* as compared to urban home loan which is 12 to 13 per cent *per annum*.

The truth is that the suicides that are taking place either go unreported or go under-reported. I was reading about the death of Kadore Kushwaha in Lalitpur, and the local NGO *Sai Jyoti Sansthan* has mentioned that last year more than 40 suicides have taken place just in Lalitpur, which have gone completely unreported. There is an astonishing statistic that just in one District Jalaun 24 deaths have taken place in the month of March this year.

HON. SPEAKER: You should not mention the whole thing. You can say that the agrarian crisis should be looked after and that is all.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Madam, if you could just give me a minute because it is rather important.

**माननीय अध्यक्ष :** जीरो ऑवर में संक्षिप्त में बोला जाता है।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Madam, just in the District of Banda, 56,000 people have migrated over the last one year and it is not just because of the fact that these crops are failing. It is also that there is no access to finance. You get a bank loan, it is so draconian that you cannot pay it back and then there is a naming and shaming in your local area. उनकी कुर्की लग जाती है। Who gets the money from these loans? According to statistics, only 25 per cent of the money goes to marginal farmers of under 3 acres or less, and 60 per cent goes to farmers of over 15 acres, which means ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Madam, give me just one minute. I will just wrap it up. All that I am saying is and I have a lot to say, but I will respect your verdict.

HON. SPEAKER: Yes.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: I just want to say that although the Swaminathan Committee Report was rejected by several Governments of 50 per cent plus MSP, but if we can look at just two things. One is the deficiency price payment, that is, when prices fall below a threshold level the farmers will get that level or, second, if we look at price intelligence in the Agriculture and Food Ministries, which can see where the prices are going and where farmers are going to get extremely destitute and they look at a planned way so that the gap can be fulfilled. Thank you, Madam.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री अजय मिश्रा टेनी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री फिरोज वरुण गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल के अन्तर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां सैंकड़ों वर्ष पुरानी टाटा जैसे प्रतिष्ठित उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा हजारों बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हैं। वहां विभिन्न प्रदेशों के लोग आकर रोजगार प्राप्त करते हैं। यहां उद्योगों की स्थापना हेतु असीम संभवानाएं हैं। कोल्हान प्रमण्डल के अंतर्गत आयरन ओर, कार्बनाईट, यूरेनियम, कॉपर, सोना एवं उच्च गुणवत्ता युक्त मैंगनीज, पन्ना और नीलम जैसे कीमती धातु की माईन्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उपरोक्त संसाधन एवं अनुकूल वातावरण को देखकर देश-विदेश के निवेशक यहां निवेश हेतु इच्छुक हैं। इसके साथ यहां बसे उद्यमियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर निर्यात होता है, जिससे व्यापारियों को दूसरे प्रदेशों में अपने व्यवसाय कार्य हेतु आना-जाना लगातार होता रहता है। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर जो जमशेदपुर से सटा हुआ है। जमशेदपुर में उद्यमियों तथा नागरिकों द्वारा एक लम्बे समय से एक हवाईअड्डा बनाने की मांग की जाती रही है, फिर भी अब तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह क्षेत्र वायु मार्ग से कटे होने से, खास कर उद्यमियों तथा निवेशकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर को निकटतम एयरपोर्ट रांची से जोड़ने वाले सड़क मार्ग की भी स्थिति काफी बदतर है, जिसके कारण एयरपोर्ट पहुंचने में काफी समय लगता है।

महोदया, जमशेदपुर को एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु सभी अनुकूल वातावरण होते हुए भी एकमात्र एयरपोर्ट के अभाव में निवेशक विनिवेश करने हेतु उत्साह नहीं दिखाते हैं। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और टाटा के आपसी सहयोग के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है।

महोदया, इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चाकुलिया और धालभूम गढ़ में सैंकड़ों वर्ष पुराना हवाई अड्डा उपलब्ध है, जो ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध में विश्व की दूसरी बड़ी डिफेंस हवाईअड्डा के रूप में बनाया गया था। यह 13 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह झारखण्ड, बंगाल और ओडिशा के सिमांचल एरिया में स्थित है। यहां हवाईअड्डा बनने से तीनों राज्य को लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस क्षेत्र के विकास की असीम संभवानाओं को देखते हुए यहां एक आधुनिक अंतर्राज्यीय हवाईअड्डा स्थापित करने की मांग करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):** Thank you, hon. Speaker Madam. I am thankful to you for giving me this opportunity to raise the issue regarding lack of rake points for fertilizers in Odisha.

In my State of Odisha almost 70 per cent of people depend on agriculture and to increase their productivity most of them rely upon use of fertilizers. In order to ensure availability of adequate quantity of fertilizers, it is necessary to have fertilizerrake points including the required infrastructure like platform, covered shed, electricity, drinking water, approach-road for thecarriages, etc. The rake points, which are currently available for the purpose, are also not up to the level. Hence, I urge upon the Minister of Chemicals and Fertilizers as well as the Minister of Railways to provide more number of rake points for fertilizersand also to modernize the existing rake points in Odisha in order to ensure storage and timely distribution of fertlizers to the farmers in my State. Thank you, Madam.

**SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL):** Hon. Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise the issue of effective implementation of Western Ghats Development Programme (WGDP) in my Dindigul constituency.

Western Ghats Development Programme (WGDP) is being implemented in Dindigul constituency to conserve the forest area of the Western Ghats. Fire prevention works, soil and moisture conservation works, anti-poaching measures and solar fencing are some of the major activities being carried out under this scheme. In Dindigul, Madurai and Theni districts, the scheme has been implemented through the Tamil Nadu Watershed Development Agency fund in the past.

To strengthen biodiversity conservation as well as undertaking tree plantation outside the forest areas to increase tree cover, the Tamil Nadu Forest Department under our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has implemented the Japan International Cooperation Agency assisted an externally

aided project named “Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project.” The loan agreement between the Government of India and the Government of Japan has been signed. The project is to be implemented from 2011-12 to 2018-19 with an outlay of Rs. 686 crore through creation of a Project Management Unit sanctioned by the Government.

Raising teak plantations on river *padugai* lands is aimed at creating timber resources in the State by planting teak on the canal banks and on river *padugai* lands to increase tree cover outside the reserve forests and to prevent soil erosion in canal and river banks. The proposal to raise teak plantations on canal and river banks and *padugais* of Dindigul, Madurai, Sivaganga and other districts is going to be implemented at a total cost of Rs. 35.31 crore over a period of six years, that is, from 2008-09 to 2013-14 covering an area of 20,700 hectares. I would request the Government to extend this scheme for another six years.

Hill Area Development Programme is being implemented only in the forest areas of Nilgiris district for conservation. Soil and moisture conservation works, fencing the forests, fire prevention measures, anti-poaching measures and improving wildlife habitats are being carried out under this scheme. I urge the Environment and Forest Minister to extend this scheme in Dindigul district also.

The Thirteenth Finance Commission has recommended an amount of Rs. 142.48 crore for Tamil Nadu towards grants-in-aid for forests for the period 2010-11 to 2014-15 for development of forests and preservation of forest wealth. I request that adequate financial assistance be extended to the Government of Tamil Nadu in the financial year 2015-16 to implement the Western Ghats Development in an effective manner. Thank you.

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Hon. Speaker, while the Central Government had allocated one per cent of its Gross Domestic Product (GDP) for higher education, the Tamil Nadu Government under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma had earmarked 1.5 per cent of the Gross State Domestic Product for it. This is the highest

allocation among all the States in the country. The inclusive higher education policy adopted by the State Government has helped in taking higher education to the doorsteps of villagers. During the last few years, the Government headed by our beloved leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma had started as many as 52 colleges. Due to the sincere attention given to higher education, the Human Development Index of Tamil Nadu now stands at 0.736 while the national average stands at 0.619. The Gross Enrolment Ratio for higher education in Tamil Nadu stands at 38.2 per cent due to the sincere efforts of the Chief Minister. No other State in the country has attained such a ratio.

Therefore, I would like to know whether the Government will consider providing more financial assistance to the State Government of Tamil Nadu to carry forward the task of higher education. Thank you.

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) :** अध्यक्ष महोदया, आज विश्व के जो भी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले हैं, वे बहुत आहत हैं। मैं भी बहुत ही भरे मन से यह बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सारा सदन और आप भी जब यह बात सुनेंगे तो इस बात पर आपको भी दुख होगा। क्योंकि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वह मानवता को जिंदगी जीने का तरीका बताता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई एक भाषा का, एक सूबे का, एक राज्य का नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमारे गुरुओं ने जहां लिखा, उसको खास तौर पर 15 भक्तों ने, जिसमें भक्त रविदास जी, भक्त कबीर जी, भक्त परमानंद जी, भक्त नामदेव जी और अनेकों हमारे ऐसे लोग हैं। जिस ग्रंथ ने यह बताया हो कि :

" अक्ल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे,

एक नूरु ते सब जग उपज्या, कौन भले, कौन मंदे।"

मैडम, लेकिन आज पंजाब में जो हालात बने हैं, आपने भी आखिर में मौका दिया है। परंतु पंजाब में 12 अक्टूबर को सबसे पहले फरीदकोट में, गांव बरगाढ़ी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने, जिनको हम अंग बोलते हैं, उनकी ऐसी हालत कि कहने से भी मन घबराता है, जो हालात पंजाब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ किए गए, और उसके बाद ब्रज जवाहर सिंह वाला, आज मैडम, छह महीने हो गए हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वहां से चोरी हो गए, जहां सिखों की पार्टी बताने वाली अकाली दल बीजेपी, वहां पर राज कर रही है, आज छह महीने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले नहीं हैं। ... (व्यवधान) मैडम, यह बात सुननी पड़ेगी।

**माननीय अध्यक्ष :** आप एक अच्छी बात उठा रहे हैं, किसी पर एलिगेशन मत कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह :** मैडम, ये क्या बात है? ये टॉलरेंस की बात करेंगे? ...(व्यवधान)

**श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) :** मैडम, ये राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैठिए गुबाया सिंह जी, सभी आहत हैं। वही बोल रही हूँ। इस पर राजनीति मत कीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do not make any politics out of it.

...(व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, मौका मिलेगा इनको, ये बोलें। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: That will not go on record.

... (*Interruptions*)... \*

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, उसके बाद, जब नौजवान लड़के इस बात पर गांवों में बैठे तो उनको बरगाढ़ी में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला कर मार डाला, जो लड़के वहां लंगर दे कर गए थे। ...(व्यवधान) मैडम, हमने काले दिन पंजाब में देखे हैं। ...(व्यवधान) यह इलैक्शन से पहले की साजिश है कि वे काले दिन पंजाब में आ जाएं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज़ आप बैठिए, यह झगड़ा लगाने की बात नहीं है।

...(व्यवधान)

---

\* Not recorded



**श्री रवनीत सिंह :** मैडम, उसके बाद लुधियाना में धवदी गांव में, अमृतसर में, भटिंडा में, महाराज गांव में, फिरोज़पुर में, संगरूर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों की बेअदबी की गई और कोई चीफ मिनिस्टर या कोई अकाली मंत्री वहां नहीं गया। वहां गया कौन? हमारे नेता वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी वहां पर मलहम लगाने गए। ...(व्यवधान) उसके बाद राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी को मिले और यह मांग की, क्योंकि मरने वालों के परिवार की मांग थी, पंजाब की मांग थी कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। ...(व्यवधान) उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इंकवायरी की मांग की। ...(व्यवधान) आज आपके सामने मेरी मांग है, पंजाब के लोगों की मांग है, जो अत्याचार पंजाब में हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज से वहां पर इंकवायरी करवाई जाए कि किसलिए हमारे ये नौजवान लोग मारे गए हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do not make allegations.

...(व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, किसलिए हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बेअदबी की गई है? ...(व्यवधान) सिखों के प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी यहां बोले। ...(व्यवधान) होम मिनिस्टर साहब ने सन् 1984 की बात की है। ...(व्यवधान) लेकिन अगर यह बात करते कि पंजाब में आज क्या हो रहा है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भगवंत मान को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.40 p.m.

**13.39 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till  
Forty Minutes past Fourteen of the Clock.*

---

**14.43 hours**

*The Lok Sabha re-assembled  
at Forty-Three Minutes past Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Matters under Rule 377.

**MATTERS UNDER RULE 377****(i) Need to take remedial measures to control the increasing rate of premature births in the country**

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) :** महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ जिसका सम्बन्ध गरीब एवं निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से है। पिछले दिनों मुम्बई में हुए निओनेटोलोजिस्टों के सम्मेलन में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे देश के लिए चिन्तित करने वाले हैं। उस सम्मेलन में निकला निष्कर्ष यह कहता है कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर तीसरा बच्चा प्रीमेच्योर यानी उचित 9 महीने की अवधि से पहले जन्म लेता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के बारे में परिवार को चिन्ता बनी रहती है। जो आँकड़े एन.एन.एफ. और फाउण्डेशन ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज द्वारा दिए गए हैं, उनके मुताबिक वर्ष 2010 में दुनिया में होने वाली प्रीमेच्योर डिलीवरीज में से 25 प्रतिशत भारत में हुई थीं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे बच्चों में दो-तीन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम, गर्भावस्था के दौरान उचित न्यूट्रीशनल खुराक दी जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों के जन्म के समय उन्हें संक्रमित रोगों से बचाने हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और तीसरा, सरकारी अस्पतालों में ऐसे समय में उचित साधनों की एवं योग्य चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए योग्य कार्यक्रम तय किया जाए और देश में कार्यरत स्वास्थ्य संगठनों को साथ लेकर आगे के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में देश में गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh – Not present.  
Dr. Bholu Singh.

**(ii) Need to conduct CBI probe into the irregularities in  
Indira Awas Yojana in Bihar**

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में इंदिरा आवास की योजनाएँ भ्रष्टाचार एवं घोटाले की भेंट चढ़ गई हैं। इंदिरा आवास आबंटन के सिलसिले में जितनी प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं एवं पारदर्शिता दिखाने की कोशिशें हुई हैं, वे सभी दिखावटी हैं। घोटाले की दुर्गंध बड़े पैमाने पर उपस्थित है। प्रथमतः, जो बी.पी.एल. सूची तैयार की गई, उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति का प्रवेश तक नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी सीमाओं और रेखाओं का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, चाहे बैंक में इंदिरा आवास की निधि के द्वारा आबंटन हो अथवा डाकघर के माध्यम से सभी बिचौलियों के पेट में पड़े। नतीजा यह है कि जिन्हें इंदिरा आवास दिये जाते हैं, वे बन नहीं पाते। बनते भी हैं तो आधे-अधूरे, उनमें भी अत्यंत घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नहीं बनने के कारण लाभकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। वे तथाकथित इंदिरा आवास छोड़कर पलायन कर जाते हैं जिससे गाँवों में ये सारे आवास खंडहर दिखाई पड़ते हैं। जिन्हें इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हैं, वे अपनी टूटी-फूटी झोपड़ियों में अभी भी रह रहे हैं। इंदिरा आवास की योजना इस सदी की सबसे बड़ी घोटाले की योजना के रूप में लहलुहान होकर पड़ी है। गरीबी हटाओ, उनका उद्धार करो, यह एक छलावा ही साबित हुआ है। ऐसे महा घोटाले की जाँच भारत सरकार सीबीआई से कराने के लिए कदम उठाए। इंदिरा आवास योजना महाघोटाले ने शिकार बनाकर करोड़ों विपन्न परिवारों को मूर्छित लहलुहान करके रख दिया है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virendra Kashyap. Not present.  
Shri Satish Chandra Dubey.

**(iii) Need to set up Land Custom Station at Valmiki Nagar  
parliamentary constituency, Bihar**

**श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर अनुसूचित जाति, जनजाति व थारू बाहुल्य क्षेत्र है। आज के समय में यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। पहले वाल्मीकि नगर के वन से लकड़ी वगैरह निकालकर लोग अपना जीवन-यापन करते थे, लेकिन टाइगर रिज़र्व हो जाने के कारण वन से कोई भी सम्पदा निकाल पाना बंद हो गया है। तभी से यहाँ स्थानीय लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पहले नदी से पत्थर, मिट्टी और बालू भी निकाला जाता था। आज़ादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में उद्योग-धंधे स्थापित नहीं हो पाए हैं। अगर विदेश मंत्रालय यहाँ भंसार (एल.सी.एस.) खोलता है तो भारत सरकार को आर्थिक रूप से फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ वाल्मीकि नगर के हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार की प्राप्ति होगी तथा पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के संबंध और मज़बूत होंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Anshul Verma. Not present.  
Shri Kapil Moreshwar Patil.

**(iv) Need to construct a railway line connecting Kalyan-Titwala-Murbad in  
Maharashtra**

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी (महाराष्ट्र) में मुरबाड तहसील है जो मध्य रेलवे के टिटवाला स्थान से केवल 15 किलोमीटर और कल्याण से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरबाड तहसील के अंतर्गत एम.आई.डी.सी. क्षेत्र आता है जिसके कारण यहाँ रोज़गार हेतु भारी संख्या में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इस क्षेत्र में आयात-निर्यात का एकमात्र साधन प्राइवेट सड़क ट्रांसपोर्ट है जिसके कारण यहाँ के लघु उद्योगों को राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने में मुश्किल हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कल्याण-टिटवाला-मुरबाड तक रेलवे की नई लाईन बिछाने हेतु आवश्यकत कदम उठाने की कृपा की जाए। इस रेलवे लाईन के निर्माण से यहाँ के लघु उद्योग भी राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना सकेंगे।

**(v) Need to launch a recruitment drive for youth living in border areas of Jammu and Kashmir for employment in armed forces of the country**

**श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर में भारत पाक सीमा से लगे इलाके में रहने वाले देशभक्त लोगों की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो कि बिना हथियार के भारत पाक सीमा पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी को सहन करते हैं। रोजाना पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी में इन लोगों की जान चली जाती है, घर-बार तबाह हो जाते हैं, पशु-मवेशी भी मारे जाते हैं, जिससे ये लोग फसल नहीं उगा पाते हैं और इनके बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर में भारत पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले देशभक्त नौजवानों के लिए सेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा अन्य अर्धसैनिक बलों में भर्ती का विशेष अभियान चलाया जाये, जिससे ये देश की सेवा करते हुए सीमा क्षेत्रों पर डटे रहकर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर सकें। इससे न सिर्फ इनको रोजगार प्राप्त होगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

**(vi) Need to set up a defence production unit in  
Bhind, Madhya Pradesh**

**डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का भिण्ड जिला विशेष रूप से भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के केन्द्र स्थल में अवस्थित है। इस क्षेत्र में डाकुओं का वर्चस्व होने के कारण केन्द्र सरकार के औद्योगिक संस्थान अथवा कारखाने स्थापित नहीं हो पाए हैं। सड़क एवं रेल मार्ग का अभाव भी बड़े औद्योगिक संस्थान स्थापित होने में बाधा कर रहे हैं, परन्तु अब यह क्षेत्र डाकुओं के वर्चस्व से मुक्त हो चुका है और गुना इटावा रेल लाइन चालू होने से यह क्षेत्र देश के सभी प्रमुख रेलमार्गों से जुड़ चुका है।

इस क्षेत्र में लगभग दो लाख हैक्टेयर शासकीय भूमि उपलब्ध है। यद्यपि यहां की भूमि के बीहड़ होने के कारण बड़े औद्योगिक संस्थान या कारखानों की स्थापना के उद्देश्य से इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, जो आसानी से किए जा सकते हैं। इतना बड़ा भू-भाग उपलब्ध होने तथा विकास से वंचित होने के कारण यहां रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़े कारखाने एवं संस्थान, परीक्षण संस्थान आदि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका सम्पर्क भारत के किसी भी नगर में आसानी से हो सकेगा। भिण्ड इटावा रेल लाइन शुरू होने तथा इस बीच उदी से बटेश्वर होते हुए आगरा से नई रेल लाइन जुड़ रही है, जो सुरक्षा, उत्पादन एवं सेना के आवागमन के लिए बहुत ही सुरक्षित तथा आसान मार्ग है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भिण्ड से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सैनिक जाते हैं तथा भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो रेल और सड़क मार्ग से अब सुविधाजनक हो गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भिण्ड (मध्य प्रदेश) में रक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जायें।

**(vii) Need to set up a Super Speciality Hospital and Medical College  
in Mandsaur, Madhya Pradesh.**

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर, मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर न सिर्फ क्षेत्रीय, बल्कि समीपस्थ राज्य राजस्थान तक से मरीज़ आते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। मंदसौर में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के चलते आकस्मिक घटनाओं के समय मरीज़ों को उदयपुर, अहमदाबाद या इंदौर लेकर जाना पड़ता है। पिछली सरकारों का ध्यान छोटे शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की ओर कम ही रहा है। इंदौर से उदयपुर के बीच के जिलों में, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, नीमच जिलों सहित जावरा एवं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आदि जिले आते हैं, इनमें न तो कोई सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल की सुविधा है और न मेडिकल कॉलेज की, जिसका परिणाम दुर्घटनाओं के समय लोगों को जान गंवाकर और गंभीर बीमारियों में बाहर खर्चीला इलाज कराने को मज़बूर होकर भुगतना पड़ता है। आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता नाकाफी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनता के अमूल्य जीवन की रक्षा एवं उन्हें इलाज के महंगे खर्चों से बचाने के लिए मंदसौर में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना चाहिए।

**(viii) Regarding encroachment over ponds and lakes in the country particularly in Bundelkhand region**

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान देश में ऐतिहासिक राजाओं द्वारा बनाए गए तालाबों और झीलों पर अवैध कब्जों पर दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि इतिहास लेखन में राजाओं द्वारा जल संचयन हेतु विकसित की गई तकनीक को उचित स्थान नहीं दिया गया, पर तथ्य के रूप में जल की कमी वाले क्षेत्रों में इन तालाबों ने जनता की प्राण रक्षा की। पर, आज उन्हीं तालाबों एवं जल संचयन स्रोतों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पानी की समस्या एक यथार्थ सामाजिक दुःख है। बुन्देलखण्ड में मुख्य आजीविका का साधन कृषि है और आश्चर्यजनक रूप में यहाँ पानी की बहुत कमी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मानव जीवन को सुखी बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ, परन्तु मेरे क्षेत्र का जनमानस जल उपलब्धता और आधुनिक तकनीकी में सह-संबंध को अभी तक खोज नहीं पा रहा है, जो इस क्षेत्र के चन्देल राजाओं ने एक हजार वर्ष पूर्व खोज लिया था। भारत सरकार द्वारा हमीरपुर और महोबा जिले में घोषित डार्क जोन में इन तालाबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय जनता आंदोलन को एक विकल्प के रूप में देख रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड सहित पूरे देश में जीवन रेखा वाले तालाबों एवं झीलों से तुरन्त अवैध कब्जे हटाए जाएं एवं संबंधित व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

**HON. DEPUTY SPEAKER:** Shri Harishchandra alias Harish Dwivedi – not present.



**(ix) Need to establish a new BSNL Telephone District in  
Palghar, Maharashtra**

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): Consequent upon the division of Thane district of Maharashtra a new district of Palghar was established on 1<sup>st</sup> August, 2014, but the district BSNL Telephone office continues to be at Kalyan.

The population of new Palghar District is more than 25 lakhs. Places like Vasai-Virar Municipal Corporation, Palghat, Dahand, Jawhar are under Palghar District. Boisar city is a big industrial estate and Tarapur Atomic Power Station is coming in the new District. Due to rapid increase in population, suburban trains are running from Churchgate-Mumbai to Dahahu Road Station. Presently, there are about 1,50,000 BSNL landline telephone connections and more than two lakh mobile connections are coming under the Palghar District. So, there is a necessity of a new telephone district for Palghar. I, therefore, request the Government to establish a new BSNL telephone district for Palghar revenue district.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria – not present.

**15.00 hours****(x) Need to set up an airport in Saharanpur district, Uttar Pradesh**

**श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :** महोदय, हमारी सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने की एक योजना संचालित की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत सहारनपुर जनपद में भी हवाई अड्डे का निर्माण कर इसको हवाई सेवा से जोड़ा जाना बेहद उपयोगी रहेगा।

सहारनपुर जनपद प्राचीन काल से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र रहा है। यहां विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला उद्योग एवं होजरी उद्योग संचालित हैं जिसके उत्पादों का सम्पूर्ण विश्व में निर्यात होता है। इससे संबंधित देशी-विदेशी व्यापारी प्रतिदिन सहारनपुर आते हैं। आई.टी.सी., स्टार पेपर मिल्स जैसे बड़े उद्योग भी यहां स्थापित हैं एवं विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता शाकुम्भरी देवी का मन्दिर व दारूल उलूम देवबन्द भी यहां पर स्थित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'स्मार्ट सिटी योजना' में भी सहारनपुर का चयन हो चुका है। सहारनपुर नगर मण्डल मुख्यालय भी है।

अतः इतने महत्वपूर्ण जनपद में पूर्ण रूप से चालित हवाई अड्डे का निर्माण होना बेहद उपयोगी कार्य रहेगा जो नई दिल्ली स्थित हवाई अड्डे का बोझ कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हरिद्वार, यमुनानगर आदि जनपद सहारनपुर के बेहद नजदीकी एवं महत्वपूर्ण जनपद हैं। इन सभी जनपदों के यात्री प्रतिदिन यहां से हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में एक पूर्ण रूप से चालित हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**(xi) Need to introduce a train service between Allahabad and Ajmer via Guna and Maxi in Madhya Pradesh**

**श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) :** महोदय, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और यहां कई ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इसी क्रम में ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के रूप में इलाहाबाद और अजमेर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन दोनों नगरों को जोड़ने के लिए तो बहुत सी रेलगाड़ियों का परिचालन होता है, मगर गुना-मक्सी ट्रैक होते हुए कोई भी रेलगाड़ी का परिचालन नहीं होता है। इस ट्रैक से अगर रेलगाड़ी का परिचालन होता है तो रेल मंत्रालय के साथ-साथ वहां की आम जनता के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इस रेलगाड़ी को इलाहाबाद से माणिकपुर, करवी, झांसी, बीना, गुना ब्यावरा, मक्सी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच एवं चित्तौड़ होते हुए अजमेर तक चलाया जा सकता है। इस ट्रैक पर रेलगाड़ी चलाने का एक मकसद और भी है, क्योंकि इस रेलगाड़ी से धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को गंगा स्नान, चित्रकूट, ओरछा, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ, माउंट आबू, पुष्कर और अजमेर शरीफ आने-जाने में काफी सुविधा होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को इन स्थानों पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र की जनता के पास रेलवे द्वारा इन स्थानों पर आने-जाने का साधन नहीं है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 2 करोड़ है और रेलवे को इस रेलगाड़ी के परिचालन से ज्यादा से ज्यादा राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

दूसरी बात, इस ट्रैक पर रेलगाड़ी के परिचालन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और वहां के लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ-साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस ट्रैक पर रेलगाड़ी के परिचालन के लिए अलग से ट्रैक बिछाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गुना-मक्सी ट्रैक पहले से कार्य कर रहा है और ज्यादा समय खाली पड़ा रहता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुना-मक्सी ट्रैक पर इलाहाबाद से अजमेर तक रेलगाड़ी का परिचालन जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जाए ताकि आम जनता के साथ-साथ पर्यटकों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके एवं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थलों तक पहुंच सुगम हो सके।

**(xii) Release of CSR by Neyveli Lignite Corporation for solving flood situation in Cuddalore district of Tamil Nadu**

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, Cuddalore district in Tamil Nadu was severely affected by heavy rains during the current North East Monsoon. Due to heavy floods, thousands of inhabitants in this area were affected and 25000 acres of cultivated lands were inundated. About 300-1200 c/s of water was pumped out from Neyveli Lignite Corporation (NLC) mines and passed on to river Paravanar causing heavy flooding and damages to nearby villages.

NLC has a responsibility to mitigate the damages caused due to pumping of excess water to villages around NLC mines and it will be appropriate for NLC to spend from their CSR funds. This situation occurs every time NLC mines are inundated with rain and flood water.

I, therefore, urge Neyveli Lignite Corporation to release funds from their CSR funds immediately to solve the problems caused by them and NLC should also initiate precautionary activities like strengthening and raising the bund levels and de-silting of the upper Paravanar.

**(xiii) Need to implement water supply projects in Atal Mission cities**

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Sir, the cities and towns in Tamil Nadu face a crucial water crisis. The State Government of Tamil Nadu has already submitted Annual Action Plan for 2015-16 under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Mission with a project outlay of Rs. 3249 crore to the Ministry of Urban Development. After due assessment, it was found that only 48 per cent of urban households in Tamil Nadu are having water supply connections while water supply is 81 litres per capita per day as against the norm of 135 lpcd. Only 27 per cent of the urban households are connected to sewerage network capturing only 26 per cent of total sewerage being generated. Water supply in the 27 Atal Mission cities in Tamil Nadu ranged from a low of 30 litres per capita per day in Pallavaram to 135 lpcd in Salem.

Accordingly, seven of the 12 cities of Tamil Nadu included in the Smart Cities Mission have been proposed for water supply related schemes since in none of these cities water supply is as per the norm of 135 lpcd. These cities are Chennai with the present water supply of 58 lpcd, Coimbatore with 58 lpcd, Vellore with 60 lpcd, Erode with 64 lpcd, Madurai with 76 lpcd, Thanjavur with 88 lpcd and Tiruppur with 110 lpcd. The rest of the smart cities can be covered in subsequent years.

Atal Mission cities in Tamil Nadu account for a population of 1.37 crore as against the total population of 7.20 crore of the State. It is the need of the hour to ensure 100 per cent coverage of all the urban households with water supply and sewerage network services in the next four to five years besides enabling water supply at 135 lpcd.

I, therefore, urge that, as demanded by the State Government, water supply projects should be implemented in 11 of the 27 Atal Mission cities with an investment of Rs. 3147 crore besides investing Rs. 34 crore for providing sewerage network services in Vailankanni and Rs. 69 crore for developing parks and green spaces in all the 27 Mission Cities.

**(xiv) Need to allot Chhendipada and Chhendipada-II coal blocks in lieu of Tentuloi coal block to Odisha Thermal Power Corporation Limited**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Government of Odisha has requested the Ministry of Coal, Government of India many a time for allocation of Chhendipada and Chhendipada II Coal Blocks in lieu of Tentuloi Coal Block to M/s Odisha Thermal Power Corporation Limited as the cost of extracting coal from Chhendipada and Chhendipada-II Coal Blocks is very cheaper than that of Tentuloi Coal Block. However, no response from the Ministry has been received so far.

The State of Odisha has one of the largest deposits of power grade coal in the country. The demand for power in the State is growing rapidly due to the increased coverage of household and higher consumption. Therefore, the Government of Odisha is setting up a major project in the public sector for the benefit of the people of the State. So, allocation of these Coal Blocks to Odisha Thermal Power Corporation Limited will help in making available power at a cheaper rate to the consumers of Odisha.

I, therefore, urge upon the Government to allot Chhendipada and Chhendipada II Coal Blocks in lieu of Tentuloi Coal Block to Odisha Thermal Power Corporation Limited keeping in view the interests of the millions of consumers of Odisha.

**(xv) Need to regularize the services of employees working in  
Lal Bahadur Shastri College, Mumbai, Maharashtra**

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, through this august House, I want to draw the attention of the Government and the Ministry of Shipping regarding confirmation of the employees working in Lal Bahadur Shastri College, Mumbai being administered by the Merchant Marine Education and Research Trust since 1994.

There were 21 employees appointed on a temporary basis in different categories like peons, sweepers, clerks, drivers, etc. Subsequently the Trust was closed down and the College was affiliated to the Indian Maritime University which was established in Chennai, Tamil Nadu. Unfortunately, those 21 employees were not confirmed in the service and they are still working as temporary staff even after completing twenty years of uninterrupted service. I must say with heavy heart that they are being deprived of all the privileges of a permanent employee. They are living under constant apprehension that they might lose their jobs.

Therefore, I urge upon the Minister of Shipping to issue orders for confirming 21 employees who have put in more than 20 years of service so that their families could lead a happy and peaceful life.



**(xvi) Need to include dairy farmers in the Mahatma Gandhi  
National Rural Employment Guarantee Programme**

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Hon. Deputy-Speaker, presently cattle shed construction and fodder plants are already included in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme. The availability of land is very difficult in Kerala in comparison to other States and as a result, the number of dairy farmers who are getting benefits under this programme has been reduced in Kerala. Most of the existing dairy farmers have 2 to 8 milking cows for their livelihood and 80 per cent of the total consumed milk in Kerala is produced by these farmers. The major issues faced by this sector are diseases, unavailability of cattle feed and workers. They are not in a position to pursue their profession of dairy farming as they cannot eak their livehihood.

Hence, I urge upon the Government to include dairy farmers under MGNREG Programme and efforts should also be made to attract more farmers in this sector.

**(xvii) Need to declare Giri-paar region of Sirmaur District,  
Himachal Pradesh as a Scheduled area**

**श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :** उपाध्यक्ष महोदय, गत कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोग अपने क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने के लिए मांग करते आ रहे हैं। सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे कम विकसित जिला है तथा गीरी-पार क्षेत्र से जाना जाता है। इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना बिल्कुल न्यायसंगत एवं तर्कसंगत है। उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र जो सिरमौर रियासत के समय का ही हिस्सा हुआ करता था, अब उत्तराखंड प्रदेश में है जिसे कई वर्षों पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इन दोनों क्षेत्रों के रहन-सहन, वेश-भूषा, सामाजिक आदान-प्रदान तथा अन्य रीति-रिवाज एक जैसे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश के गीरी-पार क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करवाने के लिए यहां के लोग प्रयासरत व संघर्षरत हैं।

गत वर्षों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया था तथा वर्ष 2011 में वहां के स्थानीय लोक सभा सांसद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री से मिला और अपना पक्ष रखा जिस पर माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने प्रदेश सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जिसे अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को शीघ्रातिशीघ्र जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए।

**(xviii) Need to undertake construction of roads under  
Hardoi parliamentary constituency, Uttar Pradesh.**

**डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनहित में माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2013-14 वह 2014-15 में सम्मानित सांसदगणों के प्रस्तावों पर कौन-कौन से मार्ग निर्माण कार्य कराये गये हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र हरदोई (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने के लिए अपने पत्र दिनांक 13.11.2014, 30.11.2014, 31.10.2014 वह 08.08.2015 से इनह मार्गों के निर्माण हेतु अनुरोध कर चुका हूँ लेकिन सरकार के दो वित्तीय वर्ष गुजर जाने के बाद भी लंबित प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया गया है। क्षेत्रीय को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यह मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिससे किसानों को ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों के आवागमन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में निम्नलिखित मार्गों का सीएसआर/सीएनसीपीएल के अनुसार निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाये :-

1. श्रीमऊ से उमरौली जेतपुर
2. पाली नगर से लौकहा हथौड़ा
3. कटिघरा से दौलतपुर तिराहा
4. ग्राम सादुल्लापुर से सैंतियापुर
5. ग्राम पेंग से थमरवा, शाहपुर बिनौरा
6. दौलतपुर से थमरवा
7. ग्राम कनकापुर से ग्राम संगरावों
8. ग्राम बेलाकपूरपुर से टेनी नहर पटरी

**(xix) Need to provide adequate compensation to farmers distressed  
due to loss of crops caused by deficient rains and crop disease  
in Aurangabad and Gaya districts of Bihar**

श्री सुशील कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद और गया जिला के गांवों में खरीफ की फसल पर्याप्त वर्षा न होने और फसल में रोग लग जाने के कारण सूख गई है जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। गैर-नहरी क्षेत्र के अलावा नहरी क्षेत्र के किसानों की फसलों की भी समान स्थिति है। नहर में सिंचाई के पश्चात् भी जलाशयों में पानी सूख गया है और तकनीकी खराबी अर्थात् पानी का स्तर नीचे रहने, पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने और नहर-नालों की उड़ाही ढंग से नहीं होने के कारण किसानों को प्रायः फसलों की बर्बादी होती है जिसके कारण प्रतिवर्ष किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस वर्ष में हमारे क्षेत्र के प्रायः सभी किसानों की फसल नष्ट हो गई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में फसलों की क्षति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय दल का गठन कर प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और संबंधित किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक मुआवजा राशि प्रदान कराने की कृपा की जाए।

**(xx) Need to set up a civil airport in Rajakhera tehsil of  
Dholpur district, Rajasthan**

**डॉ. मनोज राजोरिया :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर(राजस्थान) की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश के आगरा एवं मध्य प्रदेश के मुरैना व ग्वालियर जिले से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का आगरा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां स्थित ताजमहल दुनिया के सात अजूबे में शामिल है। परंतु दुर्भाग्य से आगरा में सिविल एयरपोर्ट नहीं है। राजाखेड़ा में एयरपोर्ट बनने से 20-25 मिनट में सड़क मार्ग द्वारा आगरा पहुंचा जा सकता है। यदि राजाखेड़ा में सिविल एयरपोर्ट बन जाता है तो न केवल ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली जिलों तथा मध्य प्रदेश के मुरैना व ग्वालियर जिलों तथा आगरा के निवासियों को एयरलाइन्स की सुविधा प्राप्त होगी तथा इन क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में सिविल एयरपोर्ट बनवाए जाने की कार्यवाही करवाकर आम जन को लाभ दिलाएं।

---

**15.19 hours****BUREAU OF INDIAN STANDARDS BILL, 2015 ....Contd.**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we are taking up Item No. 10, the Bureau of Indian Standards Bill, 2015.

Now, Prof. K.V. Thomas to speak.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Hon. Deputy-Speaker Sir, at the outset, I wish to support this important legislation which has been moved by Shri Ramvilas Paswan, the hon. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. This legislation extends the formal recognition to the Bureau of Indian Standards (BIS), as the national standards body so that the BIS can legitimately represent our country in various international bodies.

I recall that as Minister in charge of the Department of Consumer Affairs in 2013 I had the privilege to move almost the same Bill in this House, and then it was sent to the Parliamentary Committee for further examination. Now, the new Government has come, the new Parliament has come. Shri Paswan has gone thoroughly into this Bill and with only a few supplementary, I wish to wholeheartedly support the Bill.

The proposed Bill is a fitting tribute to our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi because the Consumers Protection Act, 1986 and the Bureau of Indian Standards Act, 1986 are his contribution. Now, bringing this legislation today, Shri Ram Vilas Paswan is actually congratulating Shri Rajiv Gandhi for the imaginative legislations - the Consumers Protection Act, 1986 and the Bureau of Indian Standards Act, 1986.

The salient features of the proposed legislation *inter alia* seeks to provide for establishment of the BIS as national standards body of India to empower the Central Government to authorise any other agency having necessary accreditation for the purpose of conformity assessment against Indian standards; to enable the Government again to bring more products, systems and services under the ambit

of standardisation; to provide for compounding of offences, and also to make certain offences cognizable, to prevent misuse of standard mark, etc.

As in the introduction, the hon. Minister said that this is one of the landmark legislations where not only the Government bodies but also other organizations and even self-certification is being allowed to fix the standards.

No doubt, the Bill has dealt with all vital issues comprehensive. But I would like the hon. Minister to give a fresh look into the following aspects of the Bill.

Sub-section 1 of Section 3 establishes BIS as a national body for the purpose of the provisions of the Act. However, there is no express provision for establishment of Governing Council which shall consist of the Bureau and other Members. Sub-section 3 of Section 3 needs certain clarity in defining the constitution of the Bureau and the Governing Council.

Sub-section 3(e) of Section 3 empowers the Central Government to appoint such number of other persons representing Government, industries, scientific and research institutions, consumers, etc. there should be a cap on the total number of Members so appointed by the Government. It is not desirable to give discretion to the Government to fix the total number of Members since this amounts to excessive delegation.

The Act itself should fix the maximum number of members in the Council. It is also not clear whether the Governing Council is a permanent body or subject to dissolution and if so, the circumstances thereof.

Similarly, Clause 5 of the Bill gives unbridled powers to the Executive to constitute any number of committees for any purpose. This is again excessive and undefined delegation. There should be a cap on the number of committees to be established. The total number of committees that can be constituted should be specified in the Act itself.

Clause 34 of the Bill provides that any person aggrieved by an order made under Sections 13,14,17 and 33 can prefer an appeal to the Director General, BIS.

However, it is seen that all such aforesaid decisions against which appeals have been proposed were authorised to be taken only by the Director General, BIS. In other words, DG, BIS has been authorised to decide the issues in original and also the appeals on such decisions taken by him. This negates the very principle of jurisprudence that no person can sit on judgement on his own decision. It is desirable that the appellate powers are vested with the Executive Committee.

Sub-clause 3 of Clause 34 provides that every appeal made under Clause 34 shall be accompanied by such fees as may be prescribed. Levy of fees for preferring appeal is unfair and is not customer friendly. The provision of levy of fee for appeal should be deleted.

Clause 20 in Chapter 4 of the Bill envisages constitution of a fund called “Bureau of Indian Standards Fund” in which all grants and loans made to the Bureau by the Central Government, all fees, charges and fines received and all sums received from such other sources as decided by the Central Government should be credited. It has also been stipulated that the fund would be used towards the salary, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Bureau, expenses of the Bureau in the discharge of its functions and the amount of fine received to be used specifically for consumer awareness, consumer protection and promotion of quality of goods, articles, processes, system and services in the country. In other words, the receipts and payments made out of the BIS Fund are not brought under the budgetary process since these have been kept outside the Consolidated Fund of India. I understand that the extant orders of the Ministry of Finance and the Ministry of Law stipulate that all funds received by any institution – be it autonomous or otherwise – are primarily public money and all such money received by and on behalf of such institutions would be part of the Consolidated Fund of India. The expenditure from such funds can be only through appropriations approved by Lok Sabha. No receipt of money or no expenditure can escape the scrutiny by Parliament.



These are some of the suggestions I would like to give to the hon. Minister. Now, I would also like to mention some of the salient features of the Consumer Protection Act in our country. We are one among the nations which is above even many of the developed nations on consumer protection.

Our motto is 'consumer is God'. India is one among the few countries which has a slogan for the consumer protection: 'Jago Grahak Jago', that is, wake up the consumers. We have got a number of legislations. For example, yesterday the hon. Minister said hallmarking. It is one of the landmark provisions. We have made the BIS. This is not done by the Government agencies alone; there are other agencies. There is a self-certification which has been found to be accepted by the international bodies.

India is one of the countries where drinking water is being standardised. Weights and measures are being standardised. Even biscuits, soaps etc. are being standardised. The contribution of Rajiv Gandhi in bringing this legislation in 1986 has a far-reaching effect. Even service has been standardised.

I would also like to bring to the attention of the hon. House and the hon. Minister that there are two issues which we have to handle. One is this. When I was handling this Ministry, we constituted two Committees. One is about the misguiding advertisements which are cheating the consumers. The advertisements of health foods are coming in the newspapers. I think the advertisements of health foods have come to a stage that even the mother are switching over from breast feeding to ready-made food. So, this is something where we have to be serious.

Then the advertisements come regarding the cosmetic items that if you use a particular hair oil, your hair will grow well.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Thomas, a lot of advertisements are being given of ayurvedic products.

PROF. K.V. THOMAS: People are being cheated. We had constituted another Committee regarding wastage of food. India is such a country that, on the one side, there are very wealth people. They have got enormous food. Food is being

wasted. Even in marriages, in functions the wastage of food is there more than 70 per cent. In a State like Kerala, we feel pained. We had a story a few weeks back that in Wayanad district, an entire family depends on the food they get from the mid-day meal. If the schools are in holidays, the entire family is in starvation. So, this is the situation. We also find that in States like Kerala, the marriages are conducted like festivals. Huge wastage of food is taking place in the country. A large section of people in the county do not have food for even one time. So, I think, these are some of the issues. We had a Committee; the proceedings are before you.

So, these issues should be followed up. Anyhow, before I conclude, you have a big task ahead and we will support you on all efforts which are for the growth of the country. With these words, once again, I support this Bill.

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) :** महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं प्रो. थोमस का भी आभारी हूँ कि उन्होंने अपने तथा अपने दल के द्वारा इस बिल का पूर्ण समर्थन किया है।

### **15.35 hours**

(Shri Konakalla Narayan Rao *in the Chair*)

जैसा थोमस जी बता रहे थे कि बीआईएस एक्ट 1986 से मौजूद है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता था लेकिन अब इसकी सरकारी तौर पर मान्यता नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी आफ इंडिया के रूप में हो रही है जो कि पहले नहीं थी, हम इसके लिए माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। अभी भारतीय उद्योग जगत विश्व में अपने सामानों को आराम से निर्यात कर सके, उसके लिए बीआईएस की हॉल मार्किंग बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा सामान विश्व मानक के अनुरूप होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे भारतीय उपभोक्ताओं को यह होगा कि वे एश्योर्ड रहेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वह क्वालिटी प्रोडक्ट है। इस बिल के लाने से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदुस्तान को उद्योग जगत का मैनुफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखा है, जिसके तहत मेक इन इंडिया पर विभिन्न जगहों पर काम चल रहा है, हिंदुस्तान विश्व में उद्योग का सिर मौर बन सके, उसके लिए भी यह बिल बहुत ही आवश्यक था क्योंकि जब तक भारत के सामान की गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रमाणित नहीं होगी, तब तक हम विश्व में अपने प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारा पड़ोसी देश, जो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, पूरी दुनिया में उसका सामान सप्लाई होता है, लेकिन उस देश के सामान की रेपोटेशन हिंदुस्तान के गांवों तक इतनी खराब है कि उसे मजाक के तौर पर लिया जाता है। हमारे यहां उस देश के सामान के बारे में एक चुटकला प्रचलित है। " एक हिंदुस्तानी व्यक्ति की शादी उस पड़ोसी देश की लड़की से हो गई। कुछ ही दिनों में उस लड़की का स्वर्गवास हो गया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस मुल्क की थी, इसलिए कितने दिन चलती।" इस तरह से जब हम किराने की दुकान में भी जाते हैं और पूछते हैं कि अगर यह इस देश का सामान है तो कितने दिन चलेगा। दुकानदार कहता है कि जब तक आप पैसा नहीं दे रहे हैं तब तक मेरी गारंटी है और जब आपने पैसा दे दिया तो यह आपकी गारंटी पर निर्भर करेगा। इस तरह के सामानों का निर्यात वह मुल्क हमारे यहां करता है और हमारे देश को डंपिंग ग्राउंड बना कर रखा है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब डब्ल्यूटीओ में हम जाएंगे तो वहां एक नियम है कि अगर आपके यहां किसी सामान का स्टैंडर्ड निश्चित है तो दूसरे मुल्कों को भी उसी स्टैंडर्ड का माल उनके देश में भेजना है। चीनी खराब सामान का हमारा देश जो डंपिंग ग्राउंड बन गया है, इस बिल के आने के बाद यह

रुक सकेगा। हमारे देश में भी स्टैंडर्ड सामान बनेगा और विदेशों से भी जो सामान आएगा, उसकी क्वालिटी पर नियंत्रण लगेगा। यह इस बिल से बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इस बिल की जो खासियत है, वह यह है कि यह केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि कोई भी एजेंसी जिसके पास प्रोपर एक््रीडिटेशन है वह इंडियन स्टैंडर्ड की जांच करवा सकती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है या नहीं। इस तरह की जांच इंडिपेंडेंट बॉडी से करवाने पर हमारे सामान को विदेशों में बेचने के लिए निर्यात करने में बहुत सुविधा होगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बेहद आभारी हूँ।

यह ओपन सीक्रेट है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है तो वह भारतीय गृहणियों के पास है लेकिन जब सचमुच में उन्हें जरूरत होती है और उस गोल्ड को बेचने की जरूरत पड़ती है तो बेचते समय पता चलता है कि यह तो 14 कैरेट का गोल्ड है या 18 कैरेट का गोल्ड है। इससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। गोल्ड में हॉल मार्किंग एसेंशियल करने का प्रावधान कीमती धातुओं के लिए उठाया गया है, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि कम से कम जो भी सोना वे खरीदेंगी, प्लेटिनम या सिल्वर, वह धातु मानक के अनुसार होगी।

इसके अलावा बीआईएस में साढ़े नौ हजार से अधिक उत्पादों में 19300 स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं लेकिन अभी तक केवल 92 प्रोडक्ट्स पर ही कानून लागू है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 400 प्रोडक्ट तक इसे ले जाने की सोच रहे हैं। यह बहुत अच्छा कदम है और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम इसके तहत लेकर आएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद इस बिल में मंत्री जी ने इंस्पेक्टर राज का खात्मा किया है। इसके लिए भी मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि इस बिल के द्वारा सिम्प्लीफाइड कंफरमेंट्री असेसमेंट स्कीम है कि वह सैल्फ सर्टीफिकेशन कर सके, इंडस्ट्री खुद मार्केट सर्विलेंस करके अपने प्रोडक्ट्स की जांच कर सके, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापिस ले सके, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा इस बिल में सर्विसेज और प्रोसेस को पहली बार शामिल किया गया है, यह भी बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हम लोग विदेशों से जो इक्विपमेंट्स लाते हैं, मैं डाक्टर हूँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाए जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि हर इक्विपमेंट का अलग सर्टीफिकेशन होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है और हम लोग बिलकुल एश्योर्ड होते हैं जबकि इंडियन एक्विपमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो केबल या दूसरे प्रोडक्ट्स लगे हैं, वे किस क्वालिटी के हैं, यह पता नहीं चलता था। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रोसेस शामिल किया है, वह बहुत अच्छा है।

इसके अलावा स्मार्ट सिटी के लिए जो प्लानिंग हो रही है, फूड की यहां तक कि पीने के साधारण जल को भी इसमें लाने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही

मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव यह है कि आईएसआई का बहुत ज्यादा दुरुपयोग इस देश में होता है। बहुत सारी ऐसी घटिया कम्पनियां हैं जो नकली माल बनाती हैं और आईएसआई मार्क लगाकर बेचती हैं और उपभोक्ता समझ नहीं पाता है कि यह माल सही है या गलत है। बहुत जगह तो रेड करके पकड़ा जाता है लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं, मैं अपने ही प्रदेश की बात कहता हूँ। मैं बिहार का डाटा देख रहा था कि तीन साल में एक रेड भी नहीं की गई। केंद्र सरकार की कोई एजेंसी होनी चाहिए जो कि दूसरे प्रदेश में जहां उनका कोई रेड का इंटरैस्ट नहीं हो तो वहां कम से कम नकली सामान नहीं बिके। कौशलेन्द्र जी भी हमारे सामने हैं। इस चीज का प्रयास होना चाहिए कि हर जगह सामान की गुणवत्ता की जांच हो सके। उन प्रदेशों में भी होना चाहिए जहां सरकारें इसमें दिलचस्पी न रखती हों कि नकली माल बिक रहा है या असली माल बिक रहा है। इसके अलावा हम जो सैल्फ एक््रीडिटेशन इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, इसका अगर दुरुपयोग होता है तो पांच लाख का जुर्माना या सजा, यह बहुत कम है। इसके लिए बहुत कड़ा कानून बनाने की जरूरत है।

हम देखते हैं कि दूध में यूरिया डाल कर मिलावट की जाती है। इस तरह हम पूरी जेनरेशन को खराब करते हैं, इसके लिए तीन-चार महीने की सजा का प्रावधान बहुत कम है। अगर हम सैल्फ एक््रीडिटेशन की पावर इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं और वह गलत करती है तो सजा बहुत होनी चाहिए। खास कर फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि इसमें गड़बड़ी मिलती है, तो इसके लिए इतना कड़ा प्रावधान होना चाहिए जिससे कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत न करे। हम लोग देखते हैं कि यदि पाँच हजार किलो दूध-निर्मित सामान की जरूरत है तो दो दिन में बनकर आ जाता है। दूध का उत्पादन तो फिक्स होता है, लेकिन दीपावली में जितना चाहिए उतना मावा मिल जाता है। ये सब चीजें बंद हो सके, इसके लिए मैं कहूंगा कि कड़ा कानून बनाया जाए। इसके अलावा जो टैस्टिंग लैबोरेट्री का प्लान बन रहा है, इसमें अगले साल चार-पाँच लैब्स जोड़े जाएंगे, यह सफिशिएंट नहीं है। यदि बीआईएस को आगे बढ़ाना है तो माननीय मंत्री जी को वित्त मंत्री से कहकर एक साथ बहुत-सारे एक््रीडिटेशन सेन्टर खोलने चाहिए, जहाँ पर सामान की भी जाँच हो सके और जो व्यापारी अपना एक्सपेंशन करना चाहें, तो तुरंत इसकी जांच हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण बिल को लाये। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'मेक इन इंडिया' कैम्पेन का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन है, वह है- 'Zero defect, zero effect' होने का, यह तभी हो सकता है, जब यह बिल पास हो। इसलिए इतना अच्छा बिल लाने के लिए मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ तथा इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ।

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma for enabling me to part in the discussion on the Bureau of Indian Standards Bill, 2015.

The Bill seeks to provide for a National Standards Body. Moreover, the Bill will enable the Union Government to bring more products, systems and services under the ambit of standardization.

The Bill will enable mandatory hallmarking of precious gold metals besides preventing misuse of standard mark. The Bill further seeks to repeal the Bureau of Indian Standards Act, 1986, that is, Act 63 of 1986.

BIS has already been representing India in various international bodies and has formulated over 19,300 standards for about 9,500 products and services under 16 categories.

Sale of precious spurious and substandard articles is an alarming issue. It concerns the safety and the health of the consumers at large. So, we should ensure standardization to be mandatory for each and every item sold. Non-standard electrical and electronic items, be it Chinese or local products, stresses the need for a comprehensive legislation.

It is learnt that there are mandatory standards for only 122 categories of items as per the Industrial Development Regulation Act. It is not just imported items, but even many of our domestic products are sold without complying with any standard.

International trade agreements give full freedom to any country to make standards for goods. So, we should make certain standards mandatory for manufacturers.

In Europe, there is 100 per cent compliance for standards. I hope that India will gradually move towards that direction. A large number of items and services are to be covered under one go. If standardization is made mandatory, then the Government may also opt for self-certification by the manufacturers. The

manufacturers can get their products tested through Government approved laboratories or test centres before self-certification. There can also be a comprehensive mechanism to get all information relating to standards like energy efficient, child friendly and environment friendly.

Without having a certificate or license from the Bureau of Indian Standards, no person can make a public claim through advertisements of his goods conforming to an Indian standard. Any person who contravenes this provision, shall be punishable with imprisonment.

Three more aspects, which are pertinent in the current Bill are: 1) mandatory hallmarking for all precious metal articles; 2) prevention of misuse of standard mark; and 3) 'mandatory recall' of non-standard items and compensating the consumers.

The Bureau of Indian Standards has made it mandatory to emboss a hallmark on all standardized gold jewellery, which is called BIS hallmarked jewellery. This protects the consumers.

Nowadays, the gold ornaments are made in advanced machines, and nothing really goes waste. However this tradition of calculating wastage continues and this is expressed in terms of percentage, which is charged from the customers. The wastage charges typically vary from 10 per cent to 18 per cent, and in most shops, it is 18 per cent. There should be some uniform procedures for ensuring fair practice in gold trade.

Section 18 makes obligatory provision for the license holder to display the making and labelling requirements of the product. There are 16 broad categories including textiles, packaged water, food items etc. If anyone wants to add a new category to the current list, he can apply for it. It covers so many areas to avoid substandard products.

To ensure quality and safety to the consumers, our policies are well-formulated in painstaking detail and well-intentioned. Therefore, the BIS should

do away with the voluntary scheme and make it mandatory for all the products to conform to basic quality standards.

For now, the consumers must look for the ISI mark while buying products. As you can see, granting of license to use is quite stringent. Generally, the product certification scheme is voluntary in nature. However on consideration of health and safety of the consumers, ISI mark has been made compulsory by the Government for a number of products.

Compulsory use of standard mark has been directed by the Union Government under Section 16 of the current legislation for products covered under the scheduled industry. The Government should come forward to expand the list of products beyond the scheduled industry.

The data available with the Bureau of Indian Standards shows that over 60 per cent of the recently registered products are 'made in China'. This highlights the eagerness of Chinese manufacturers to enhance their processes and meet Indian standards to take into our rapidly growing markets.

But there are a vast majority of goods from electricity bulbs and thermometers to Ganesha and Laxmi idols where the Government is yet to have domestic standards, resulting in unregulated entry of Chinese products. This is reflected in the growing trade deficit.

International trade rules stipulate that standards for imported goods need to be the same as those for local manufacturers. There is a need to have standardisation of service sector such as education, ICT, Tourism, retail and logistics to help India.

The current legislation also has provisions to provide recall, including liability of products bearing the standard mark but not conforming to relevant Indian Standards. Section 31 ensures that the license holder is liable for the injury caused by the non-conforming goods.



As per the statistics provided by BIS through an RTI application from 2001 to 2008, only 815 cases were filed by BIS in courts against those who used false ISI mark on products.

This data furnished by BIS itself is very disturbing. Moreover, filling and pursuing of single complaint case under BIS Act costs about rupees one lakh and about two to three years litigation. Undoubtedly, the BIS Act lacks teeth.

Enforcement machinery of BIS is not very satisfactory. The judicial process and pendency of cases are something not to cheer about. Hence, BIS should be given complete prosecution powers to act on every item.

In Mumbai, recently within a span of three days, 6438 bikers were fined rupees two hundred each for wearing helmets without ISI logos. Reports of helmets breaking are common, over 85 per cent of them are claimed to be of sub-standard quality in spite of being under mandatory ISI certification.

Hon. Chairperson, Sir, as we are discussing about the standardisation, quality assurance of goods and services in the country, I want to mention here that even the bottled water is still not safe for human consumption. The State Government of Tamil Nadu headed by our hon. Puratchi Thalaivi Amma is the pioneer and forefront in implementing various schemes for the welfare of common people's social, health and economic status and to maintain standardisation of goods.

I want to mention some of the schemes being implemented in Tamil Nadu and getting full support of the people from all walks of life. The first and the best among the scheme is the cheap and best, very hygienic 'Amma Kutineer' (bottled mineral water) is being supplied at rupees ten in bus terminals and even in the long distance express buses.

Hon. Chairperson, Sir, I want to point out that the same water bottle is being sold in Railway Stations as 'Rail Neer' at rupees fifteen and in open market at rupees twenty all over India. But in Tamil Nadu, it is sold only for rupees ten.

The second scheme is 'Amma Unavakam' (Amma Tiffin Centre) is selling very hygienic food of idli at rupee one with Sambar and Chutney. The same *idli* is selling in the hotel at Rs.10 per piece. I want to mention here that the Central team visited Chennai recently to assess the damage caused by the heavy incessant rain. The team members also tasted the food in Amma Unavagam and appreciated the scheme.

The third one is 'Amma Medical Shop' which is selling medicines at 15 per cent rebate to the patients without any restrictions of income groups. This operation will help to eradicate fake medicines being sold to the customers.

The fourth one is 'Amma Salt'. It is selling iodized salt at a rate less than the open market rate.

The fifth one is 'Amma Vegetable Market' which is selling green vegetables at the cheapest rate because the Government is procuring all the fresh green vegetables from the farmers directly and selling it to the people without any profit.

The sixth one is 'Amma Cement'. Under this scheme, cement is sold at a very cheap rate of Rs.190 per bag containing 50 kilograms to the people to construct house through which the dreams of many poor people have been fulfilled.

Hon. Chairperson, all these schemes are being implemented to maintain standardization and quality of the products at the cheapest rate and also to safeguard the people from buying fake products.

This is the theme of this Bill. So, I quoted all these programmes which are going on in Tamil Nadu and these may be followed all throughout the country.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA: Sir, I will conclude. The kind of standards that exist in the country, the huge infrastructure that is employed for testing, inspection and enforcement activities--all come at a cost that has to be borne by the consumer directly or indirectly. So we need to find out if the consumers' money is being used efficiently.

I hope the Bill, when enacted, will definitely promote harmonious development of the activities of standardization, making and quality certification of goods and services. Let the Bureau of Indian Standards rise up to the occasion with full vigour in setting standards.

Hon. Chairperson, Sir, I wholeheartedly support the Bill moved by our hon. Minister Shri Ram Vilas Paswan and I conclude by thanking the Chair. Thank you.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Respected Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak on this Bureau of Indian Standard Bill, 2015.

I think all of us are supporting the Bill and thanking the Government of India for bringing this Bill which is actually rather an extension, with a few amendments, of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. It is coming with more authentication, more extension of the products, vision, penalties, etc.

The BIS is a body which determines the Indian standards and also it harmonizes the national standards with authentic international standards. This Bill is trying to include even the services also. I think, by standardizing the product processes, this Bill will be helpful to the consumers. It will be consumer friendly. Not only will it help the consumers but also it will be helpful for the business transactions. Also, it will help, if the standards are more or less on par with the international standards, authenticate export and import of Indian materials and business.

### **16.00 hours**

The main functions of BIS are standardisation, formalisation, certification, granting licence to use trademarks on the products and processes under licence and to take delineate actions against the defaulters. The Bureau of Indian Standards set standards for different products. Most of the standards applicable are voluntary as some of my colleagues have already mentioned.

According to the Government officials, this is in contrast to the global preview where obtaining standards is mandatory for any business or any consumer product. In India there are only 122 products for which there are mandatory standards. This list includes goods ranging from cement, steel products and household electrical goods and is set to be widened.

### **16.02 hours**

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

Our standard regime is still in a nascent stage of development. The awareness and adoption of standardisation is very low. Indian exports face many

difficulties and products have been barred on grounds of meeting mandatory standards. Such situations crop up in discerning markets like US, Europe and Japan. So far BIS has formulated 19300 standards in different areas for standardisation of 9500 products and services. But so far around 400 products have been identified only across different segments for which Government is planning to set up planning and safety standards. This shows that we have to go far more ahead.

The new regulation is to repeal the earlier Act. The BIS Bill, 2015 seeks to provide a path to achieve the following objectives. Its first objective is to set up the BIS as the national standards statutory body. This is being done for the first time. Originally, in 1947 there was an Indian Standards Institution which was the body to deal with standardisation. But it was only an informal body. Then, a Bill in this regard came in 1986 which truly placed the bureau as a statutory body and it extended its range up to goods. Previously, it was for materials and processes only. At present, it is being extended to the services and systems.

My hon. colleague, Mr. Thomas has already spoken about the formation of this body which will include a Governing Council and the Executive Body. It will consist of Director, Executive Members, Government officials and State Ministers. As this is the question of standardisation, I would suggest that we should include in it some experts from different fields. They may not be the part of Governing Council but they can be there in the Executive Body.

Many of us have said that it is very good that we are extending the Bill up to the 'services'. There are different kinds of services. For example, medical service may include hospital service with medical professional service and medical hospital service. It could be education, restaurant and so on. I do not know how this vast task could be done by the Bureau. The term 'services' is not clearly defined. What sort of service will be covered and up to what standardisation is to be done and who is going to standardise it. It is not clearly defined.

It enables the Government of India to bring mandatory certifications regime such as article process or service considered vital from the viewpoint of health, safety, environment, prevention of deceptive practices, and establishment of peace and security for the consumer as well as the businesspersons. This will assist consumer to receive ISI certified products and prevent import of below par products. There will be multiple types of simplified conformity assessment schemes. It is good that the persons, who are selling the products, can themselves come and get it certified from the certifying authority. There will be self-declaration of conformity against any standard to give multiple simplified options to manufacturers for standard adherence. It is kept keeping in view probably that more number of manufacturers will come for certification.

This Bill will enable the Centre to appoint any authority alongside BIS for verifying conformity of products and services. It says 'any authority', but it has not clearly defined what sort of authority will be there and what its formation will be with respect to each item.

This will also enable the Government of India to implement mandatory hallmarking of precious metal articles, namely, gold, platinum etc. Here, I would like to bring to the attention of the hon. Minister that there are other metals like iron, brass and steel which are very important for the consumers in the sense that substandard use of these metals may lead to disasters like damage and collapse of a bridge and many other hazards relating to construction field. In this era where we are facing natural calamities like earthquakes, cyclones and floods, we need more of solid materials to save the human lives.

It has not specified the accreditation process for checking laboratories. It should have been clearly stated in the Bill. Anyway, this Bill is quite good.

The last thing I want to say is that some report has already expressed the apprehension whether BIS at this moment is ready to take the challenge of this

vast task. The WGC study said that the BIS lacks adequate resources for testing, monitoring and enforcement.

Keeping those things in mind, I would request the Government to pass the Bill.

Anyway, I am supporting the Bill. Thank you.

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2015 बिल पर भाग लेने का मौका दिया। Sir, this is a historic Bill. Once this Bill is passed and implemented in letter and spirit, it is going to positively contribute to the interest of the consumers in our country. Hence, I say that this Bill is historic. I stand here to support the Bill.

मैं इसी पॉइंट से चर्चा शुरू करना चाहूँगा। कल मंत्री जी का सदन में वक्तव्य था। उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी। उसी पॉइंट से मैं चालू करूँगा। उनका वक्तव्य यह था कि बाहर से घटिया सामान आता था। This was a point that the hon. Minister made yesterday on the floor of the House.

There is a company called the Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL). It is a public sector company. It is a Navratna company, and all Indians are proud of such public sector companies like BHEL. BHEL had just reported the first quarterly result for the current financial year. उस रिज़ल्ट में क्या निकला? The profitability of the company has gone down by 82 per cent. 82 प्रतिशत का प्रॉफिट घट गया। What are the reasons? Of course, there are many reasons, but one of the primary reasons is that the Chinese companies who are black listed in China are dumping their products in our country and posing a challenge to those companies who are producing quality products in our country. This is a challenge and this is what the hon. Minister was making a mention of.

I will give another example regarding a sample test by the Department of Agriculture. The Department of Agriculture has collected some 20,600 samples and out of that 3,800 samples contained pesticide residue and 1,180 of those contained such pesticide residue that are not permitted to be used in our country. This is the quality of products, which we are eating day in and day out.

I will give another example. चाय का जो एक्सपोर्ट होता है, we all know that almost 18-20 per cent of our tea that is getting produced in our country used to be exported out of India. Now, the figure has come down to 10-12 per cent. What is



the issue? The issue is quality has gone down, and we are not able to reach that quality.

I will give the last example of how we are suffering regarding the hallmarking of gold jewellery, which several speakers have already spoken about. एक बात हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी 15 साल पहले चालू हुई थी। In July this year, none other than the World Gold Council, has come up with a Report कि इंडिया में लगभग 30 प्रतिशत गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग होती है। कोई 9 कैरेट का गोल्ड बेच रहे हैं, कोई 22 कैरेट का बेच रहे हैं, कोई 14 कैरेट का बेच रहे हैं। But the poor consumer is paying for 22 carat even if he is getting 9 carat. This is the problem. Hence, this particular Bill is going to address that issue.

Today, as per the Industrial Development Regulation Act, only 122 categories of items are coming under the purview of BIS. But with this Bill, the good part is that, all the products, services and processes that are going to be sold in our country are going to be within the purview of this new legislation. Hence, it is a historic Bill because it is going to positively affect all of us.

But this Bill comes with a couple of concerns. I have got five key concerns, which I would like to place for consideration of the Government and the hon. Minister. The first one is this. Who is going to be in the Board that is going to be constituted? How can we ensure that the Board works without fear or favour and does not become another wing of the Government of India? I am saying this because there is a possibility of coming under fear and favour. Why cannot we have an independent Board for such an important subject, which the country is going to legislate?

Secondly, on what basis you are going to fix standard? There are "n" numbers of goods, services and processes which are going to come up. Are we all equipped to do it? Do we have the ability as of now and resources as of now to take up this humongous task? Are we prepared to do it? It is a very key issue,

which we cannot afford to forget. Once we forget, the interest of the consumers will suffer.

Thirdly, where are our testing laboratories? Who is going to man all those laboratories? Do we have the required manpower to man all the testing laboratories and have specifications for the standardization, which we are talking about today?

The fourth point is regarding self-certification. Our hon. Member from Bihar, Dr. Jaiswal, who was here, had made a mention about what is happening in Bihar. This must be happening in many parts of the country. The self-certification in India has unfortunately not worked. We appreciate the Government's move that in 80 per cent of the cases, across the globe, it is happening on self-certification, but it has not worked in India. So, what are the checks and balances we have got in the system to take this into account because the consumer again should not pay the price? Are we equipped or are we ready to address that?

The last point is, coming back to the issue of exports again, what standards we are going to make with regard to the international standards. When we say that we will have a standard for the imported goods, what are the standards we are going to follow? International standards have got many things – we have got the American standard; we have got the European standard; and we have got many other standards. So, what are those standards which we are going to have because the international trade agreement very explicitly says that a country can have its own standards, but the standards have to be one and the same for the imported product and for the domestic product?

In the light of the above, while I support the Bill, I request the Government and the hon. Minister to take cognizance of all the concerns which are of very, very serious nature before passing the Bill, and take care of the concerns of the consumers of our country. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the BIS Bill which is proposed to replace the existing 1986 Act. This is a very important Bill. If India has to become a global economic superpower, standards are an extremely important subject, and we cannot become a global economic superpower without passing such type of bills. It is also very important from the point of ease of doing business and our Make in India initiative. It is good that the Bill proposes to widen the scope and bring in more products under standards regime and end the Inspector Raj, which is a positive sign. It also aims to prescribe, through the proposed legislation, standards for services and processes under its ambit for the very first time. Mandatory certification regime of an article, process or service is necessary from the point of view of health, safety, environment, prevention of deceptive practices, security, etc. So, I welcome this Bill.

I hope that it contributes to improve the ease of doing business in the country. It is a good sign that the Bill is allowing multiple types of simplified conformity assessment schemes, including self-certification and market surveillance, instead of inspectors visiting factories, thereby ending the Inspector Raj on standards. Apart from this, the Bill also proposes to recall products even if these were ISI marked but not conforming to relevant Indian standards. The other positive aspect of this Bill is that it allows foreign and Indian entities other than the Bureau to be recognized as the standardizing authority. This is done to create an investor-friendly regulatory framework which is in tune with global standards along with protecting the consumer.

But the problem with the Bill is that it seeks to place several activities into a single place which is not an international practice and nowhere in the world had National Standards Body been utilized the way we do in India because it is doing regulatory work, market surveillance, registration, etc. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to allow BIS to primarily focus only on certification and standardization.

Coming to definitions clause, I did not find any definition of 'certification' or 'accreditation'. I request that the terms may also be defined as accepted internationally to avoid any disputes in future. Sir, BIS has prepared a standard IS/ISO/IEC 17000:2004 which contains definitions on 'review' and 'attestation'. So, in the same way, 'certification' and 'accreditation' may also be defined.

Now, I will come to clause 7 of the Bill which deals with the appointment of Director General. Sir, BIS is a fully autonomous body not financed by the Central Government. Clause 7 (3) indicates that the Central Government will appoint Director General, which is not advisable. It amounts to interference in the affairs of an autonomous organization. Secondly, BIS is a scientific and technical organization and needs a scientist or a technical person to head it. Under the earlier NDA Government, a Committee under Shri Sharad Pawar Ji recommended that BIS should be headed by an eminent scientist. The Government accepted this recommendation, but has not implemented it. So, I request for better maintenance of standards, BIS should be headed by a scientist.

Now, under clause 9(2)(f), the Bill proposes direct accreditation by BIS which is in direct conflict of interest. I am saying, conflict of interest because BIS itself is a conformity assessment body for testing or certification service or standard setting service. So, how can it accredit other similar bodies? It is a conflict of interest in the activity of accreditation and when this work is being done by National Accreditation Board for Certification Bodies in Quality Council of India and BIS itself has been accredited by an Accreditation Body for its Management System Certification Scheme, how can BIS accredit other bodies? This is clear conflict of interest and needs to be removed.

The Bill is a consumer-friendly and helps in stopping unfair and unscrupulous trade practices, because the existing Bill lacks legal power to prosecute the unfair people. It is a good move. Also, I would suggest that somehow we also need to align this with the Advertising Standard Council of India. Many times, I have seen in the country where various manufacturers are

making certain claims about products and services that do not hold true and how can they hold people accountable and how can it be aligned with the BIS and other bodies, that is something that needs to be studied.

Hon. Minister is aware that for the last so many years, the Government is not financially supporting the BIS and the BIS itself is surviving on its own. Now, the Bill proposes to give more autonomy to the BIS. It is a welcome step. But mentioning 'prior approval of the Government' for doing such and such thing by the BIS cripples the BIS to go down to the block level to ensure BIS certified goods are supplied to the customer. It also hampers in expansion of its infrastructure which is a must in the area of standardization with rapidly changing technology. So, I would request the hon. Minister to remove Government control on BIS and let it expand on its own infrastructure all over the country.

Clause 10(3) talks about constituting technical committees. In practice, at present, the highest committee in the BIS dealing with standards formulation is Standards Advisory Committee. Then there is the Division Council which finalises the standards. Division Council also constitutes Sectional Committees, sub-committees and panels. But, there is no mention of Division Council in the Bill. You are only talking about Technical Committee which is non-existent in the present set up of BIS. So, there is confusion. I would request the hon. Minister to clarify this.

The next point is that the BIS issues certificate of conformity under clause 13. But, if any risks arise from its certification, who is going to compensate? It is a common knowledge that BIS have to cover liabilities arising from its operations in the geographical area in which it operates. There is no mention about insurance or corpus to address in any such eventuality. You have only said that BIS is a body corporate under clause 3(2) and it can sue and be sued. So, I would request the hon. Minister, since the Government is not going to fund BIS henceforth, how BIS is going to address this issue.

One of the major issues beyond certification is enforcement. There are so many enforcement bodies and agencies in the country and concerted coordination among all of them will make it more effective. How will we take up this concerted effort is something, that needs to be looked at.

With the proposed Bill, I am confident that India will catch-up with the world standards and fulfil the hon. Prime Minister's slogan of "Zero Defect, Zero Effect."

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, I thank you for this opportunity. Standards are extremely important. They affect the consumer; they affect the quality of life. Standards affect manufacturers and industries. They affect the economy. But more than that, they affect the implementation of Government policies and schemes. Standards can affect the image of our country on the global stage. And in healthcare, standards can actually save patients lives or kill patients.

I would like to congratulate the Government and the Hon. Minister for introducing this Bill. The previous Government also recognised it, credit goes to them as well, and they referred it to the Standing Committee. The Standing Committee has given about 12 recommendations. Once again I would congratulate the present Government and the Minister for accepting about 10 of the 12 recommendations given by the then Standing Committee and including them in the Bill. It is heartening to note that despite our political differences, in rare situations like this we all come together in the interest of the country. I hope other Bills also get passed in a similar manner.

The Bill seeks to repeal the 1986 Act of the Bureau of Indian Standards. It is timely and much needed. It seeks to establish a Governing Council assisted by the Executive and the Advisory Committees within the Bureau. The BIS has significant roles to play through its functions – consumer protection and promotion of trade of standardised goods and services. A strong Executive is definitely a welcome move.

It certifies precious metals, especially gold. Without this, the other schemes of the Government like the Prime Minister's Gold Monetisation Scheme could not be implemented. But I think with this the gold monetisation scheme can easily be implemented now. The Bill seeks to include standardisation of services especially healthcare, environment practice, safety and security. It is indeed the need of the hour.

I would like to point out here the National Accreditation Board for hospitals and healthcare has so far accredited only 51 hospitals while there are 358 still pending applications and thousands of them have not even applied and have not been accredited by NABL. Standards for public health in India are so low that India loses 66 per cent of the GDP annually because of premature death and preventable illness. We need standardisation and conformity assessment for the service sector too.

There are thousands and thousands of standards, actually lakhs of standards. There are standards for the light, there are standards for the brick, for the mic, electronics and every product you can think of. Every product has a standard. But it is practically impossible for the Government to take the sole responsibility of standardisation, implementation and monitoring and regulation of standards. So, it is the responsibility of the industry and other private bodies.

It is a very welcome thing that yesterday the Minister said he had taken cognisance of that and by recognising, endorsing and accrediting other standard institutions within and outside the country. That is a very progressive move that our Government and our Ministry have taken.

The Bill provides for self certification. Again this is a very welcome move. One cannot possibly monitor thousands and lakhs of standards. So, self certification simplifies things. Also, if somebody self-certifies, when they approach the courts, it gives them proof that they have certified and they are not following. So, I think it is a very good move.

The Bill gives rights to police officers above the rank of DSP to search, seize without warrant. Again, a welcome move. We support the Bill. The Bill is very much required in achieving the goal of standardisation in the country.

I have some suggestions. Many suggestions have already been made by other hon. Members and so I will limit myself to some of the suggestions. BIS must promote private testing laboratories in India not only by accreditation but also providing them financial assistance and subsidise the cost of testing to



deserving customers. Subsidise the cost of testing for bricks and other things for MSME sector. Even if they go to private laboratories, I think the Government should look at subsidising this.

The Bill should include provisions for giving BIS access to scientific and research institutions because it is not an administrative and enforcement task. A lot of science and research is required in developing the standards. So, all the scientific organisations within the country under CSIR should be involved with the BIS.

One of the things I think the Bill ignored and it was in the Standing Committee was that BIS is a short-staffed and under-researched organisation. Many Indian products still fail to get certified because the laboratories are not certified. So, I think we need to strengthen and provide more staff to the BIS. The regular review and revision of standards is needed to meet changing technologies and advancement and there are many examples.

Secondly, there are several regulatory authorities that publish their own standards, like the Central Pollution Control Board, the Food Safety and Standards Authority of India, the Central Drugs Standard Control Organisation, NABL for hospitals and healthcare providers, the National Highways Authorities of India etc. So, there are many standard organisations. They must be given the same teeth as well. There should be similar penalties when those standards also are deviated and there should be similar powers to monitor.

Lastly, there should be a harmonisation on all this. The Government should focus on the required standards for implementing new policies and make huge investment. In case of this gold monetisation, we are very glad that standards for gold and precious metals are there.

We are trying to get into solar energy. The standards are not there and definitely we need India-specific standards. I will go into a little detail about solar energy. We are planning to invest thousands of crores of rupees and import solar panels from China and Germany. They export one kilowatt panel but that one

kilowatt panel in India does not generate one kilowatt of power. Even if it is of good standard, it generates half of that much. So, all the industries that went to solar energy in India are all loss-making except two or three. All the people who started manufacturing solar panels either closed down or they are in losses. When they do project assessment, they say solar megawatt costs Rs 6 crore, but when you compare apple to apple, it costs Rs 36 crore for each solar megawatt and that is unviable. So, I think not only exports but imports also have to be monitored and there have to be India-specific standards.

As for fly-ash bricks, once again we don't have sufficient testing laboratories. Fly-ash bricks reduce pollution and give employment and business to small entrepreneurs but they are not accepted well in the construction industry because of inability to test them and maintain certain standards. So, there should be much more laboratories doing this.

There is one more very important thing. While I can attribute or blame many things for standard, I would like to attribute my cough today that I am also having to the quality standard of air. Exactly 9.9 kilometres from here, there is a waste management. They burn the waste and they generate 30 megawatts of energy. I think IL&FS or some company like that does it. Today we are burning 4,000 tonnes of waste of Delhi mixed with plastic and it is going into the air and it is causing pollution. So, our quality standard for air is not in tune with the requirement. They are burning plastic and putting smoke in the air. When you look at the chimney, there is no smoke because it is invisible because of darkness. That is happening as we are speaking. We should bring standard and do it legally, because it is not part of the quality standards for air.

Lastly, I think a lot of people said that GST Bill can add 2 per cent to our GDP. But I think this Bill is very important because this Bill, if implemented properly, can add more than 3 per cent to our GDP. We support the Bill. It affects the image of India and the pride of India in the global arena.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Hon. Chairman Sir, first of all I welcome this move by the Government to introduce this Bill for discussion and passing. On behalf of CPI(M), I support the Bill. This Bureau of Indian Standards Bill 2015 replaces the Bureau of Indian Standards Act 1986. As we know, the Bureau of Indian Standards Act in 1986 established a bureau for the purpose of standardization, marking and certification of articles and processes. After 29 years, we have to replace the existing Act and bring in another Bill. In 29 years, we have formulated over 19,300 standards and about 9,500 products and services. As the earlier Member mentioned here, lakhs of products and services have increased; so we have to seriously look into it.

Sir, the Bill broadens its ambit and allows the Central Government to make it mandatory for certain notified goods, articles and processes.

Sir, the Bill includes goods, services and system and it also defines goods, services, processes and system.

With regard to the establishment of BIS, it is said that the Bureau will constitute a Technical Committee of experts for the purpose of formulating such standards and constitute a general council which look at the general superintendence, direction and management of the Bureau. We also have to constitute an Executive Committee to look into the standards and working of the Bureau.

Sir, so far as certification of goods and services is concerned, the Bureau would be the licensing authority for quality standards. I had a personal experience. While I was travelling to Rajasthan, I bought one Bisleri water bottle at Delhi. When I looked at the name at the bottle letter 's' was missing. So, a lot of duplicate products are being marketed throughout the country. How can you work out self-certification in the country? I would request the Minister to give a serious look to it.

The Bureau can establish and maintain testing laboratory for quality assessment and conformity assessment for the goods, services and articles. I

would like to know from the Minister the condition of the present laboratories in our country. I came across one news item and with your permission, Sir, I would like to quote that news. Our Union Minister of Food and Consumer Affairs, Shri Ram Vilas Paswan on Sunday visited one of the laboratories in Patna. During his inspection of the office and the laboratory, Shri Paswan found that different equipment used for conducting quality checks were not working. When none of the machine was working the Minister asked them as to how they were carrying on with their work. He also transferred the officer to some other place. We have eight laboratories in our country and we too have officers but they are not in good working condition.

As per the data given by the Ministry, we certify 25,000 goods and services every year. How can that be possible? Without sufficient instruments in working condition how can it be possible to give 25,000 certificates to goods and services every year? At the level of Ministry a serious supervision of the condition of our laboratories as also our officers around the country is required.

Hallmarking is used to certify precious metal articles like silver, gold, platinum and palladium and their alloys. A hallmark indicates the proportionate content of the precious metal in an article as per the Indian standards. In our country the annual consumption of gold, which was estimated at 65 tonnes in 1982, has increased to over 500 tonnes in 2015. So this much increase in the hallmarking work particularly of gold is there. How can the present offices and laboratories can fulfil this requirement of our country? It is also absent from this Bill. Therefore, I would like to request the Minister to have a look at it. There are more than one lakh manufacturing units in our country. We have to seriously look into this matter.

India is a signatory to Vienna Convention of 1972 and 1975 regarding hallmarking of gold. But till today we are lagging behind the international standards.

As regards mandatory certification of goods, the Bill allows the Central Government to notify certain goods and articles which would compulsorily need to carry a standard mark regarding public interest, safety of environment, prevention of unfair trade and practice as also national security. But food items are not included in this list. I would like to request the Minister to include food items also.

We are aware of recent episode of ban on Nestle Maggie in our country. But they went to the court and got some relief. How is it possible that a food item contains more lead which continued for several years in our country? Even after the ban on Maggie, Patanjali introduced Noodles and it has already started marketing in our country. How is it possible? I think it is very essential to see the condition of food items as it will affect our generation after generation. So a serious look by the Government is necessary as far as standardisation of food items is concerned in our country.

A provision of Rs.5 lakh penalty is there in this Bill. I think it should be increased to a sufficient amount. There is Clause 31 in Chapter V for the consumer protection but that is not clear. How will the consumers get benefit from different agencies? I would like the Minister to clarify this.

A lot of medicines are produced in our country. Recently a report appeared in the media that 20 per cent of the medicines which are produced in our country lag behind prescribed standards. Moreover, some of these medicines are already banned in the United States and some other countries. So, we have to look into this seriously as it would affect the health of our people. It would also affect our international status.

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** सभापति महोदय, आपने अति महत्वपूर्ण इंडियन स्टैन्डर्ड इंस्टीट्यूट बिल पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। इस देश की सारी जनता के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक कानून में संशोधन लेकर आए हैं। इस कानून में 29 सालों के बाद सुधार आ रहा है और मेरी सरकार यह सुधार ला रही है। इसे मैं बहुत आनंददायी घटना समझता हूँ।

सभापति महोदय, मैं छोटी-छोटी चीजों की तरफ देखता हूँ, तो हर चीज में आईएसआई मार्क लगा होता है। मंत्री जी ने इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वह हॉल मार्क जैसा आना चाहिए। कोई भी आईएसआई मार्क के लिए प्लास्टिक की पर्ची लगा देता है। पता नहीं, वह आईएसआई है या नहीं, उसे कौन जांचेगा? अब कोई भी मैटीरियल ले लो, बर्तन ले लो या कोई भी चीज हम मार्केट से लेते हैं, *whether it is metallic or any other thing.* हर चीज पर कभी-कभी आईएसआई मार्क मिलता है। दूध की थैली पर भी आईएसआई मार्क मिलता है, लेकिन फिर भी उस दूध में प्रदूषण है। उसमें कुछ जहर इत्यादि मिक्स किया हुआ है। ऐसा करने में किसी को डर नहीं लगता था। यह पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। आपने कौन सी चीजें को लिया है? आपने एक भी छोटी चीज नहीं छोड़ी। *I do not know whether hon. Member Shri Biju mentioned about food products or not. But food products also are certified by BIS because processing is done. Is it not? Standards will be there. The BIS has to certify that.* हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहां चाइना की चीजें आ रही हैं। उन पर भी आईएसआई मार्क लगाकर मार्केट में बेच देंगे। आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि अगर गाड़ी भी ले लें, नया मॉडल भी बाहर आ गया और उसे यहां लाना है तो सर्टीफिकेशन करना पड़ेगा और बिना सर्टीफिकेशन के गाड़ी मार्केट में नहीं आयेगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य घटना है।

मैं इसमें दो-तीन चीजों का ही जिक्र करूंगा। जब आप आईएसआई कर ही रहे हैं, तो इन चीजों में हमारी जो यंत्रणा खड़ी होगी, उस पर मुझे संदेह है। अच्छा हुआ कि लाइसेंस राज चला गया, लेकिन जो यंत्रणा हम खड़ी करने वाले हैं, वह बहुत सशक्त होनी चाहिए। अगर वह सशक्त नहीं हुई, तो फिर हमें इसके परिणाम नहीं मिलेंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत डिटेल में बोलने की बजाय दो-तीन चीजों का खास जिक्र करूंगा कि इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें यह कम्प्लसरी कर दिया है कि गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा, उसे लेकर आना ही पड़ेगा, सर्टीफाइड करना ही पड़ेगा। उसके बाद वह मार्केट में आयेगा। अब जब मार्केट

में आया है, तो उसकी जांच करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब सर्टीफिकेट आ गया, पता नहीं वह आया या नहीं। लाइसेंस राज न हो, लेकिन सरप्राइज विजिट करके मार्केट में देखना चाहिए। मैं फूड प्रोडक्ट्स में देखता हूँ खासकर दूध के बारे में प्रताड़ना हो रही है। हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए जो शासन होना चाहिए था, वह शासन इससे भी ज्यादा सख्त इस कानून में आना चाहिए था। हम जो जहर बच्चों को दे रहे हैं, उसके लिए सख्त शासन होना चाहिए।

**Prohibition or manufacture/sale of certain goods without standard mark.** मैं समझता हूँ कि यही उसकी बहुत महत्वपूर्ण कलम है। इन्होंने एक चीज और कही है। एक क्लोज और है कि -

**Accreditation outside India also. If it has been done outside India, recognise or accredit any institution in India or outside which is engaged in standardisation.** ये चीजें पब्लिक को कैसे मालूम होंगी? मैं माननीय मंत्री जी से विनती है कि छोटी-छोटी चीजों की जानकारी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता की तरफ जानी चाहिए। हम कानून अच्छे बनाते हैं, लेकिन हाल ही में मैगी का क्या हुआ? हमने देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि मैगी जहरीली है, इसलिए उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। उसके बाद किसी ने कह दिया कि मैगी अच्छी है, तो फिर वह मार्केट में आ गयी। अब हमारी सरकार कहती है कि हम मैगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, लेकिन तब तक लोग मैगी खा लेंगे। ये जो चीजें हो रही हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह कानून आगे चलकर इसमें रुकावट लायेगा।

आजकल बाजार में आ रहे केले देखिए। पहले केले का छिलका पीला दिखता था, तो अच्छा समझते थे, अगर उस पर दाम रहते थे तो और अच्छा समझते थे। लेकिन आजकल टेबल वेराइटी आ गई है, उसका छिलका पीला होता है, पूछते हैं तो कहा जाता है कि किसी कैमिकल में डुबाकर लाते हैं। इसे कौन देखने वाला है? बाजार में सब्जियां, फ्रूट बेचे जा रहे हैं, क्या इस पर ध्यान है? जैसे केले की बात है, वैसे ही आम की भी बात है। आम का सीजन अप्रैल से शुरू होता है लेकिन हम देखते हैं कि दिसंबर में भी मार्केट में आ जाता है। इसका भी छिलका पीला होता है, इसके लिए कुछ कैमिकल यूज करते हैं। मेरा प्रश्न है कि कैमिकल यूज पर कैसे प्रतिबंध लगेगा?

पहली बात है कि मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए। प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आर्गेनिक खेती की बात हो रही है। सिक्किम राज्य आर्गेनिक खेती

करता है, यह बहुत स्वागत योग्य है। मेरा प्रश्न है कि इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या करने वाले हैं? सेब देखो तो लगेगा कि बहुत सुंदर प्रदेश से आए हैं। इनके बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है कि कश्मीर से आए हैं, अच्छे हैं। इन चीजों पर विचार होना चाहिए। मुझे लगता है एक ही समय पर सब कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा विश्वास है कि इन चीजों पर सरकार ध्यान देगी। माननीय मंत्री जी इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे।

अंत में, मैं एक बार दोबारा इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।



SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Bureau of Indian Standards Bill, 2015.

I compliment the Union Government and the hon. Minister for bringing this important Bill replacing the 1986 Act at a time when India has pledged its commitment to 'Make in India' programme and is hoping to further globalize the economy ensuring easy and free flow of capital, technology and labour. Our Standards regime is still at a nascent stage. We have no choice except implementing globally acceptable standards if we have to make a name in the global markets.

Indian exporters have faced many situations in which products have been barred on the grounds of not meeting mandatory standards. Such situations crop up in discerning markets such as the US, European Union and Japan. Similarly, if we do not have proper standards regime, we are likely to import sub-standard products and that is what is exactly happening now.

The Objects and Reasons which is forming a part of the Bill eminently sum up as follows:

“The World Trade Organisation (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade encourages all member countries to adopt international standards and also move towards mutual recognition of certification systems. WTO guidelines also provide that enforcement of standards should have uniform application for both domestic industry and imported goods. In view of the increasing significance of standards and conformity assessment systems in world trade, it is essential that the BIS re-orient itself to adequately address the future challenges as the National Standards Body of India.”

The three important features of the Bill are:

- (a) At present, only products and systems come under the ambit of standards. The Bill proposes to include services besides articles and processes under the standardization regime.
- (b) It will also enable the Government to bring under the mandatory certification regime such article, process or service which it considers necessary from the point of view of health, safety, environment, prevention of deceptive practices, security, etc.
- (c) The mandatory certification will help consumers receive ISI certified products and will also help in prevention of import of sub-standard products.

It is being widely reported in the news that dangerous chemicals are used in important food products like milk, fruits, ghee, pisciculture, aquaculture, horticulture, etc. not to speak of shampoo, cosmetics, fast foods, etc.

**16.55 hours**

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Only three days ago, the Government busted fake adulterated ghee supply racket to none other than the Tirumala Balaji Temple. The Delhi Police's Crime Branch unearthed a fake *desi* ghee manufacturing unit in a Paschim Vihar DDA flat on October 15, 2015. This is happening all over the country.

An expose by Headlines Today reveals the ghee that we consume is not being prepared from milk. Rather, it is animal fat, crushed animal bones, to give it that granular texture, palm oil, essence, for the smell and hazardous chemicals that are being used to prepare ghee. Even more shocking is the fact that the people involved are continuing to operate despite a National Human Rights Commission's notice.

Just a few months ago, a Division Bench of Andhra Pradesh High Court had to direct both the Andhra Pradesh and Telangana Governments to immediately raid all fruit shops, especially mango shops as they have been using dangerous chemicals for ripening. The Bench comprising hon. Chief Justice observed,

“For earning some extra rupees, you are putting scores of lives at risk. Such traders are worse than terrorists, killing generations of people with slow poison. Calcium carbide is a chemical compound whose two main products, acetylene, a colourless gas, widely used as a fuel and calcium cyanamide, used as fertilizer in agriculture, are extremely harmful to the human body and is carcinogenic. Farmers pluck fruits before they ripen naturally and ship them to the markets where these are treated with calcium carbide, which acts as a hormone stimulator and thereby hastens the ripening process.”

The Telangana Government has busted a racket where urea and detergents are being added to produce milk. No wonder the cancer disease is growing like wild fire.

The hon. Union Health Minister, Shri J.P. Nadda, admitted in the Budget Session of Parliament in March that food adulteration is a very serious issue. One out of five food samples fails quality test in India reports the FSSAI Annual Public Laboratory Testing Report 2014-15. Out of 49,290 food samples tested by the apex food body, 8,469 samples did not clear the laboratory tests for food safety, bringing the rate of food adulteration, contamination or mislabeling to a gasp-worthy 20 per cent. It was just 13 per cent in 2011-12. Yet the number of convictions for economically motivated adulteration of food has come down from 3,845 in 2013-14 to just 1,256 now.

It is time the country acts against all kinds of adulterated foods in the country. One of the reasons why India has not captured export markets is the quality issue. While enacting legislation with good intentions is welcome, what is more important is actually achieving the high standards. Otherwise, all our efforts of emerging as a major global player will not bear fruit.

With these few words, I support the Bill. Thank you very much.

**श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। हम लोगों द्वारा, इस सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हमारा देश तेजी से तरक्की की ओर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका सांचा बना हुआ है, वह अंदर से खोखला है क्योंकि चाहे हम इंसान की बात करें या देश की बात करें, जिस तरह के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो मिलावट होती है, उससे हम सभी लोगों का, इंसानों का और इस देश का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।

### **17.00 hours**

सदन में हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जब ये हमारी उम्र के थे, उस समय घी-दूध और अच्छी मात्रा में खाते थे, लेकिन कोई भी इन चीजों में मिलावट न होने की वजह से बीमार नहीं पड़ता था। आज की तारीख में अगर हम इनकी तरह एक-एक लोटा भरकर घी खा लें तो जिंदा नहीं बचेंगे। यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है? डाक्टर मना कर देता है कि घी मत खाना, दूध मत पीना क्योंकि कोलोस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यह सब मिलावट के कारण ही हो रहा है। जो चीजें प्राकृतिक हैं, आप उनका कितना भी सेवन कीजिए वे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी लेकिन अगर वही चीज नकली है तो वह आपको तुरंत नुकसान करेगी।

माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा देश तरक्की की ओर चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा देश तरक्की की तरफ चल रहा है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं कि हम जिस बिल को लेकर आए हैं, इसमें इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कही गई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन जब भी कहीं सख्ती की जाती है, कड़ा कानून आता है तो उसका एक डर भी रहता है कि क्या यह कानून सही रास्ते पर जाएगा या गलत रास्ते पर जाएगा। कहीं इस कानून के द्वारा भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट अगर पास करवाना है, क्या उसे पास कराने के लिए कहीं गलत तरीका तो नहीं अपनाया जाएगा, इस चीज को भी माननीय मंत्री जी को देखना पड़ेगा। मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर फोरम है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाए कि उनकी भी राय है और प्रोडक्ट को जांचने की उनकी क्षमता को देखा जाए। मैंगी का मामला हम सभी ने देखा कि एक लैब उसे पास कर देती थी और दूसरी लैब उसे फेल कर देती थी। उसकी क्या हकीकत रही, किस लैब ने उसके सैम्पल को पास किया और किसने फेल किया, अगर आपस में लैब के रिजल्ट्स में विरोधाभास है तो इसका मतलब है कि हमारी लैब में भी खामियां हैं। हम यह बिल ले कर आ रहे हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की जांच जब लैब में की जाएगी, तो उनकी रिपोर्ट्स अलग-अलग आएगी, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांचने में समस्या सामने आएगी।

महोदय, हम लोग हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें। हम सभी में से बहुत से सदस्य दिल्ली में खान मार्केट जाते होंगे। वहां जॉनसन एंड जॉनसन की एक क्रीम रखी है। उसमें से एक हिंदुस्तान में बनी है और एक विदेश में बनी है। हम लोग बाहर वाली क्रीम को क्यों प्रेफर देते हैं। ऐसा उसमें क्या है? हमारा भरोसा हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर से उठा हुआ है। इस भरोसे को हमें बरकरार करना पड़ेगा। मैं सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से और जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमारे यहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनकी रक्षा हम लोगों को ही करनी पड़ेगी और इस बिल को हम सर्वसम्मति से पारित करें तथा यह बिल अच्छी तरह से लागू हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री ओम बिरला (कोटा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण बिल इस सदन में लेकर आये हैं। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिल की आवश्यकता थी। भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 को हटाकर भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 लाया जा रहा है। भारत देश उपभोक्ताओं का एक बड़ा देश है। यह देश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामानों का एक बहुत बड़ा बाजार भी है। जिस तरीके से हिन्दुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे उत्पाद वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए, सेवाएँ देने के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। इस देश के अंदर भारतीय उत्पादों का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। भारतीय वस्तुओं के सेवाओं का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसी तरीके से हमारी कुछ धातु की वस्तुएँ जिसमें सोना, चांदी आदि वस्तुएँ आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा व्यापार हिन्दुस्तान से बाहर भी होता है। इसलिए हम देश के अंदर हमारे मानक इतने स्टैंडर्ड के हों कि विश्व के अंदर भारत का माल जाए, तो उस माल की एक खास पहचान बनी रहे।

केवल निर्यात ही नहीं, जिस प्रकार से हिन्दुस्तान की आबादी 125 करोड़ है और उसके कारण हमारे यहाँ उपभोक्ता गांव की अंतिम ढांणी तक हैं, उनको भी माल-वस्तुएं, सेवाएँ बेहतरीन क्वालिटी की मिले, उसके लिए एक नये अध्याय की शुरुआत मंत्री जी ने की है। इस बिल के माध्यम से हम वस्तुएँ और सेवाएँ भी ले रहे हैं। आज दुनिया में एक नया चलन है कि आज सिस्टम के आधार पर सारा विश्व चल रहा है, उस सिस्टम को भी इस मानक ब्यूरो के तहत लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आज ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की आवश्यकता है क्योंकि यदि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाना चाहते हैं और इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और डब्ल्यूटीओ के तमाम मानकों को भी स्टैंडर्डाइज्ड करने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 18(vi) में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईएसआई द्वारा प्रमाणित कंपनी बाद में गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर हो जाती है, उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है, तो बाजार से उस कंपनी के माल को वापस मंगाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहता हूँ।

माननीय मंत्री महोदय, भारत एक बहुत बड़ा देश है। कुछ चीजें एफएसएसआई के तहत आती हैं, कुछ भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड के तहत भी आती हैं, कहीं न कहीं दोनों में कुछ टकराहट की स्थिति बन रही है क्योंकि जो खाद्य वस्तुएँ हैं, वे एफएसएसआई के अंतर्गत भी आती हैं और कुछ खाद्य वस्तुएँ भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड के तहत भी आती हैं।

नियमों में प्रावधान है कि जब कभी कंट्रोवर्सी होगी, दोनों एजेंसीज बैठकर इसका फैसला करेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में इतना बड़ा बाजार होने के बाद भी हमारे पास केवल 321 ऐसी एजेंसीज हैं जो हॉलमार्किंग को स्टैंडर्डिज करेगी। केवल 321 एजेंसी और इतना बड़ा हिन्दुस्तान का बाजार, इसलिए आपने इसमें सेल्फ-सर्टिफिकेशन की क्लॉज रखी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हॉलमार्क के अंदर भी आपने सेल्फ-सर्टिफिकेशन को एलाऊ किया है? यह बात आप अपने वक्तव्य में स्पष्ट करें। यह बात सही है कि आईएसआई के बारे में कई माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि हमारे यहां खराब उत्पाद, कम क्वालिटी वाले उत्पाद भी देश का इतना बड़ा बाजार होने के कारण आईएसआई मार्क लगाकर बिकता है। इसलिए आज जिस तरह से पूरे विश्व में टेस्ट लेबोरेट्रीज बन रही हैं, आधुनिक यंत्र आ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप इनके लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन एलाऊ करें या हमारी लैब तैयार करें तो वह लैबोरेटरी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हमने इस विधेयक को ठीक से लागू कर दिया और इसके आधार पर जो शर्तें रखी गयी हैं, इसमें जो दण्ड रखा गया है, वह बहुत कम है। भारत में पांच लाख रुपये और एक साल का दण्ड कम है। देश के इतने बड़े बाजार और उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए यदि कोई ट्रेडर या मैन्यूफैक्चरर बड़ी गड़बड़ कर दे और पांच लाख रुपये के जुर्माने के बाद छूट जाए तो यह गंभीर बात है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खाद्य कानून के अंतर्गत आजीवन सजा का प्रावधान है, उसी तरह से आजीवन सजा का प्रावधान भले ही न हो, कानून इतना कठोर हो कि उसमें कोई भी आईएसआई मार्क का दुरुपयोग नहीं कर सके, कम स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान नहीं बना सके, ताकि भारत का माल विश्व में जाए और भारत के उत्पाद वहां बिकें तो आईएसआई मार्क की एक अलग पहचान रहे, तभी हम इस विधेयक के माध्यम से देश के उपभोक्ताओं को नई दिशा दे पाएंगे।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है क्योंकि इस बिल का संबंध हमारे करोड़ों देशवासियों की सेहत से है, उनकी जिन्दगी और मौत से है। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री जी की मंशा चीजों को अधिक क्वालिटी वाला बनाना, खान-पान की वस्तुओं को मिलावटरहित करना है। लेकिन मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी यही कहा था कि हमें इसमें दो-तीन चीजों का ख्याल रखना होगा कि कहीं कड़ा कानून बनाकर हम इंस्पेक्टर राज में रिश्वत को बढ़ावा देने का मौका न दें। बाकी चीजों में भी कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन वे लागू कितने प्रतिशत होते हैं, यह देखने की बात है। अभी बात चल रही है सब्जियों की, हमारे पंजाब में ऐसे बहुत से केसेज आए हैं कि बड़ी नामवर मंडियों में भी जो सब्जियां हर रोज आती हैं, कहा जाता है कि उन सब्जियों को मार्केट में पहले आने के लिए केमिकल के टीके लगाकर जल्दी पकाया जाता है। इसी तरह से फल मार्केट में भी केमिकल्स का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर यह विधेयक इस चीज को रोकने की मंशा से लाया जा रहा है तो हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूँ कि जितने भी मिलावट के केस पकड़े जाते हैं, कितने प्रतिशत में सज़ा हुई है। सिर्फ दीवाली के दिनों में या त्योहार के दिनों में छापे पड़ते हैं और अखबार में खबरें आती हैं कि इतने क्विंटल नकली मिठाई पकड़ी गयी। लेकिन उनमें से कितने लोगों को सज़ा हुई? नकली दूध पकड़ा गया, लेकिन कितनों को सज़ा हुई? मैगी का उदाहरण लगभग सभी वक्ताओं ने दिया है। लैब के स्टैंडर्ड की जहां तक बात है तो कोई लैब उसको पास कर देती है और कोई लैब उसको फेल कर देती है। इससे मुझे कमी लैब में नहीं, कमी नीयत में लगती है। नीति में कोई कमी नहीं है, बल्कि नीयत में कमी है। अगर नीयत उसको लागू करने की है तो नीतियां तो हैं। इसलिए लैब्स अगर करप्शन या इंस्पेक्टर राज में चलती हैं तो हमारे देश में यह माना जाता है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो रिश्वत देकर छूट भी सकते हैं। इसलिए यह न हो कि मिलावट के केस में कितनी सजा है? पांच लाख का जुर्माना है। यह तो कुछ भी नहीं है, जब तक उनको पता चलेगा तब तक हम करोड़ों कमा जाएंगे। ऐसा न हो कि इस कानून का मिसयूज़ हो जाए। बहुत से डॉक्टर्स ने भी कहा है। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब के लोग खाने-पीने के लिए जाने जाते हैं। हेल्दी फूड में सरसों का साग, दही, लस्सी, मक्खन और परांठे इत्यादि हैं। लेकिन आजकल पंजाब की खुराक जहरीली हो चुकी है। फसलों और सब्जियों पर जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे काला पीलिया और कैंसर होता है। हम सब्जियों को जो पानी देते हैं, वह भी दूषित हो चुका है। क्योंकि फेक्टरिज़ का दूषित पानी वह धरती में डायरेक्ट डम्प कर दिया जाता है। मैं



आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि यह कानून इंस्पेक्टर राज से बचे। कहीं ऐसा न हो कि हम करप्शन करने के लिए लोगों को एक मौका दे दें। दूसरा, इसको केवल त्योहारों तक ही सीमित न रखा जाए। मैं यहां विदेशों की मिसाल दूंगा, अमेरिका में दो-तीन साल पहले टमाटर में कुछ कमजोरी कीटनाशक की वजह से नजर आयी थी। उसमें ऐसा कुछ पाया गया था कि लोग बीमार हो रहे थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूरे टमाटर का वापस ले लिया था और किसी बर्गर, पिज्जा और किसी खाने-पीने की चीज में टमाटर अलाऊ नहीं था, जब तक उन्होंने उसको क्लीयर नहीं किया कि टमाटर खाने लायक है। अगर हम इस तरह का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरी यह बार-बार विनती है कि कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन कानून लागू नहीं होते हैं। यह कानून भी केवल चर्चा और घोषणा तक सीमित न रहे, इसको सख्ती से लागू करें ताकि देश के करोड़ों लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे बचा जा सके और भारत को हम तंदरुस्त और हेल्दी भारत बना सकें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I am also grateful and thankful to my leadership for allowing me to speak.

Sir, in support of this Bill, I will raise a few points. I hope the hon. Minister will consider them. The Bureau of Indian Standards Bill, 2015 will replace the existing Bureau of Indian Standards Act, 1986. Basically it is a classic case of old wine in a new bottle. The new measures are basically repackaging of old measures.

This Bill proposes to establish Bureau of Indian Standards as a national standardization body called 'National Standards Bureau'. The Bill includes goods, services, systems besides articles and processes under the standardization regime. It is a very good initiative.

As certain new steps have been suggested in the proposed Bill, the success of implementation of this Bill will depend on the training in the processes, procedures mentioned in this new Bill for standardization. It is said that the devil is in detail; so the same is true in this case also. The rules of the Bill and its actual implementation will decide the efficacy of this Act.

In the e-governance practices, nowadays a lot of things are being made online thereby removing personal contact with the organization or any human being which is ultimately going to reduce corruption.

The new Bill does not give confidence in this respect and does not express its intent that it will push for online system. Amendments do not happen every day, therefore, whenever it is done it should be done in a comprehensive manner keeping everything in view. Therefore, this Bill should have indicated its intent to promote processes of e-governance.

The provision of 'Self Declaration of Conformity' (SDOC) has been introduced to promote 'ease of doing business'. It is a very new initiative and I welcome it but it does not provide any assurance as to how self declaration should

be made, how users of this Act will acquire knowledge, how malpractices will be curbed, etc. The Government should take care of this.

The services have not been given its due importance in this Bill. In this regard, much needs to be done as services have to be rendered and its quality has to be verifiable and quantifiable.

This Bill is silent on accountability of the Bureau of Indian Standards officials or officials of standards implementing agencies in case of flouting of any rules or regulations related to Bureau of Indian Standards. It should be applicable to the officials as well as to the manufacturers or suppliers of services. The accountability should be fixed with respect to fixation of responsibility or accountability of the officials and the manufacturers or service providers in case of failing in their respective responsibilities. The quantum of punishment to the violator of the regulations and the persons or officials responsible for overseeing the implementation of rules of Bureau of Indian Standards should also be clarified.

This Bill is also silent on any redressal mechanism in case a manufacturer or he or she or any particular entity has been victimized or being harassed by the implementing agencies or any executive official. For example, in the Income Tax Department, the grievance redressal mechanism has two tiers: one is the Appellate Authority and second is the Tribunal. Similar mechanism should be here so that if there is any problem then one should know that for such and such limit one can go to such agency and in case he is not satisfied with this agency's judgment then he can go to other higher authority.

I would also like to add one more thing which other hon. Members have also spoken about that it should be an independent agency absolutely separate from the Government's influence, the bureaucratic influence. Experts like engineers, doctors, CAs and other professionals from different fields should be made its Council members to standardise all standards. I would like to give one personal example. Mr. Paswan was an Ex-Steel Minister and my boss also. We use to export steel materials like hot rolled coils and CR (Cold Rolled) coils. We

use to make it as per the chemistry and physical properties as per the American standards. But at the same time, for physical standards like rolling tolerances, etc., we use to follow Indian standards which are having a lot of variations in dimensions. It is not generally accepted by the United States or European countries and because of that we use to lose lot of export orders and foreign currency. So, my appeal will also be that standardise all standards so that it is also equivalent to international standards then only our products will be much more acceptable to international market. It should be applicable to imports as well as exports.

With this, I conclude my speech and support this Bill. Thank you very much.

\*SHRI CHARANJIT SINGH RORI (SIRSA): I thank you, Hon. Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on this very important Bill : ‘The Bureau of Indian Standards Bill, 2015’.

Sir, at the outset, let me thank the Hon. Minister Shri Ram Vilas Paswan who is piloting this historic bill in this august House. It will go a long way in helping the common man. On behalf of my party ‘Indian National Lok Dal’ and on my own behalf, I welcome this landmark bill.

Sir, this bill will definitely check the menace of spurious products. The market is full of adulterated stuff. Whenever a company launches a product, spurious and counterfeit copies of that product become readily available in the market. It has been the bane of India. People do not know which product is genuine and which is fake.

Sir, the common man has to suffer due to adulterated or fake stuff. There is no guarantee that the gold or silver being sold in the market is pure or genuine. There are no hallmarks or certification. So, I thank the Hon. Minister for bringing this important bill. It will certainly rein in the menace of fake or adulterated stuff..

Sir, I hail from the Sirsa constituency of Haryana. Last year, an insecticide was used by the farmers of Punjab and Haryana. It was sold at an exorbitant rate of Rs.8000/-. However, even after spraying the insecticide in the field full of crop, we could not get rid of the insect that was damaging the crop. The farmers had to suffer due to the useless insecticide. They had to pay a high price but the insecticide was ineffective.

Sir, the Hon. Minister needs to be complimented for his initiative in bringing this bill. However, let me say that the Haryana Government did not take any action against the firm that had sold the ineffective insecticide. Its owners had cheated the farmers but they were not punished. Even the hapless farmers were not compensated for their financial loss. It is a sad state of affairs.

---

\* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

However, I congratulate the Hon. Minister for bringing this bill. It will mitigate the suffering of common man. The farmers of Haryana and India will thank the Hon. Minister for this initiative. The proper implementation of this law will definitely help the common man. The ISI mark of standardisation will certainly check the spurious and fake products. Genuine fruits, vegetables and urea etc. will be sold in the market. I hope, the law will be implemented properly.

Sir, the Hon. Minister is a man of action. During the discussion on Constitution and Dr.Bhim Rao Ambedkar, the Hon. Minister had recited a powerful couplet. I congratulate him for this. It was a stirring couplet.

Thank you, Hon. Deputy Speaker Sir, for permitting me to speak on this historic and landmark bill.

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय मंत्री राम विलास पासवान जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि पहली बार किसी मंत्री ने किसी बिल के बारे में विस्तृत चर्चा के पहले यहां पर जानकारी दी है, जिससे बहुत सारे सदस्यों को एक दिशा प्राप्त हुई है। ऐसा मैं मानता हूँ। जब देश ने डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती के माध्यम से संविधान दिवस के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें चर्चा के माध्यम से करते हुए, देश में एक अच्छा वातावरण जब निर्माण हुआ, ऐसे समय पर एक क्रांतिकारी बिल लाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि राम विलास पासवान जी ने अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में दिया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मैं ऐसा मानता हूँ।

महोदय, मुझे प्रधानमंत्री जी का लालकिले का वह भाषण भी याद आता है, जो बच्चे 10वीं या 12वीं पास होते हैं, तो उनको अटेस्टेशन के लिए बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था। बच्चों को एक तोहफा उन्होंने दिया कि आप सेल्फ अटेस्टमेंट करिए, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो पेंशनकर्ता हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वे जीवित हैं, इसका प्रमाण देने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर सर्टिफाई करवाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने उनको भी एक बहुत बड़ी दिलासा दी कि आप सेल्फ अटेस्टमेंट करिए, इस प्रकार की घोषणा करके उनको भी उन्होंने बहुत अच्छा तोहफा दिया। मैं मानता हूँ कि व्यापार जगत के लिए तीसरा यह उनका काम है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से आने वाले दिनों में अपने देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के माध्यम से रोजगार, व्यवसाय करें, प्रोडक्ट का निर्माण करें और देश को बहुत आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान इसके माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बिल में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी पहल यह है कि बहुत सालों से जो हम बाबूराज समाप्त करने की बात करते थे, ब्यूरोक्रेसी के अंडर में यह सारा देश का माहौल जो चल रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए भी इस बिल का बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई भी एक व्यवसाय करोड़ों रूपए पूँजी इनवेस्टमेंट करने के बाद में अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करता है और उस प्रोडक्ट को आईएसआई का मार्क लेने के लिए किसी ऑफिसर के पास जाकर महीने भर तक उसके दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा होने के बाद भी, लोक सभा में बिल पास होने के बाद भी, हमारे देश में एक सिस्टम है, चाहे वह राज्यों में हो या देश में हो, जो अधिकारी कहेगा, वही कायदा है, जो लोक सभा में और विधान सभा में पास हुआ है, वह कायदा नहीं है। इस बिल में एक बहुत बड़ी नई बात यह भी है कि राम विलास पासवान जी ने कल कहा कि बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट के साथ बहुत बड़ा बिल हुआ और

उसमें एक नया अमेंडमेंट करने के बाद में, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बिल पास करने वाले भी पूरा बिल नहीं पढ़ते हैं, बिल इंप्लीमेंट करने वाले भी पूरा बिल नहीं पढ़ते हैं और बिल जिसके ऊपर लागू होता है, वह तो बेचारा पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद में उसे कौन सुनेगा? जो अधिकारी कहेगा, वही सही होता है। इस चक्कर में सारे देश के लोग हैरान-परेशान थे। देश का दुर्भाग्य और कैसा हो सकता है, जब हम इनटॉलरेंस की बात करते हैं, चाइना का प्रोडक्ट, अपने देश का व्यापारी, बिजनेसमेन चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ लाकर माल बेचेगा, वह चलता है। लेकिन यदि वह अपने देश में किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, जिससे हमारे देश के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है, लेकिन ऐसे में लोगों को हैरानी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अगर वे विदेशों में जाकर प्रोडक्ट तैयार करके लाते हैं तो विदेश में तैयार हुआ प्रोडक्ट अपने देश में बेचने के लिए एक ओपन मार्केट हमारे देश में उपलब्ध है। इस प्रकार की स्थिति से यह देश गुजर रहा है। पानी के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बताया।

महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में यह बात कहना चाहूँगा कि इन दिनों जो बिसलेरी की बोटल बिकती है, बड़े-बड़े पूँजीपति लोग इस प्रकार का काम करके हाई कॉस्ट में बेचने का काम करते हैं। इस बिल के माध्यम से मैं मानता हूँ कि सामान्य लोगों को भी वाटर सप्लाई के काम में लाकर एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम करते हुए देश के लोगों को सुविधा देने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इससे छोटे लोगों को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। इसमें जो दण्ड का प्रोविजन है, मैं मानता हूँ कि अलग-अलग लोगों का इस पर अलग-अलग विचार हो सकता है, लेकिन जितना दण्ड आप कैश में ज्यादा रखोगे, उतना फिर वापस वह ऑफिसर के पास चला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि दस लाख रूपया आप दण्ड का प्रावधान रखते हो तो कोई भी अगर छोटी-मोटी गलती भी करता है तो वह ऑफिसर को दो-पाँच लाख रूपया देकर सेटलमेंट करने का प्रयास करता है। ऑफिसर के हाथ में किसी भी प्रकार के ज्यादा अधिकार न हों, ऐसा हमें आने वाले दिनों में देखने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैगी के बारे में जो इन दिनों अपने देश में हुआ है, उसको बन्द किया गया, फिर वापस वह अभी शुरू हो रही है, उसके कम्प्टीशन में रामदेव जी भी हैं, उनके दस मित्र इस देश में हैं तो दो उनके शत्रु भी हैं। जो इटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में कल मंत्री महोदय ने एक बात यह भी कही कि जो उपभोक्ता है, अगर वह शिकायत करेगा तो सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी, हम उसकी इक्वायरी करेंगे। शिकायतकर्ताओं के बारे में भी हमें आने वाले दिनों में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा, अपना व्यवसाय बना लिया है, बहुत सारा हैरान, परेशान करने का लोग काम करते हैं। ऐसे जो शिकायतकर्ता हैं,



उनके बारे में भी कहीं न कहीं एक स्टाक चेकिंग की व्यवस्था अपने देश में होनी चाहिए ताकि इनके ऊपर भी एक लगाम लग सके। जो धंधा, व्यवसाय करने वाले बिजनेस मैन हैं, जो इस देश को रेवेन्यू भी देते हैं, देश को काम भी देते हैं, ऐसे लोगों को एक खुली व्यवस्था में काम करने का, व्यवसाय करने का अवसर आने वाले दिनों में मिले, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार रामविलास जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही उनसे यह निवेदन भी करूँगा कि यह बिल जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो, इसके बारे में भी ध्यान दे। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Thank you very much Sir. This is a much awaited legislation and I welcome this. This legislation is a comprehensive improved version of our old BIS Act. We are now enriched with the experience. We know what exactly is happening in the standardization of our products and we are fully aware of the hardships faced by the stakeholders in this field. This law really reflects all these concerns. That is why, I told that I welcome this.

Sir, relevancy of standardization in Indian situation is very much required. Our dream is to make India an international destination of quality products. We must ensure that the consumers are not cheated by false claims and selling techniques and things like that. This is an era of competition and in this era of competition, we must ensure that our products are having international standards. Similarly, everything is important here – from pin to plane. We have to be very careful. In fact nobody will say no to that but India should not be treated as a dumping market of the big nations to import their unwanted/below standard materials. We must ensure that the imported materials are also kept useful standard according to our norms and conditions.

Sir, the most important thing which I am noticing in this legislation is to make all the stakeholders such as manufacturers, service providers, standard deciding authorities, consumers and even consumer organization accountable. Accountability is the most important subject dealt in this legislation.

Similarly, Section 17(1) of this Bill says that there is a prohibition on manufacturing, importing, selling, storing, exhibiting of certain items without standardization mark. That is also a very good suggestion.

There is a paradoxical situation prevailing here. What is that? Consumers are misled with false claims and advertisement and even with manufacturing defects. We know that there are a lot of controversies like Volkswagen carbon emission controversy, Maggi controversy, Cadbury, coke and pepsi and all kind of things.

Sir, milk is treated as the symbol of purity. In 2012, Food Safety and Standardization Authority of India found two-third of Indian milk is adulterated. Such news are really shocking. We have to ensure the purity, standard and quality of all our Indian products. Even medical devices, including medical electronic devices are also sub-standard materials are sold out in Indian market. We have to be very careful in this. It is pertaining to the health of Indians. Similarly, with regard to false claims and advertisements, it is misleading the consumers. They are showing magic remedy advertisements and magic remedy for diseases, these kind of false advertisements are very much in the market. We have to curb that also. Manufacturers and sellers are all adopting some kind of easy money making process. We have to make an end to that also. Perhaps a close coordination between the various departments is very much required in this regard.

I have one more important point that is in regard to the Committees. As per Clause 5(1) of this Act, Finance Committee, Conformity Assessment Advisory Committee, Standard Advisory Committee, Testing and Calibration Committee are suggested. While selecting persons to these Committees, we have to be very careful. We have to give due consideration to the merit. Sir, towards the end, I have one point about self-certification. Yesterday, while presenting this Bill, the hon. Minister was saying about the self-certification. I am not against it. It has got its own convenience. But at the same time we have to be very careful. There is every possibility in misusing that. We have to ensure transparency in that matter also.

I hope that the hon. Minister and the Government will be very careful about this.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Deputy Speaker, Sir, certification, standardization and accreditation are essential steps to ensure quality, safety, purity and acceptability of the products consumed or used by the people.

There are numerous instances in which due to lack of effective standardization policies, millions of customers are cheated, day in and day out. It has been proved that the dreadful disease, cancer, has been spreading in the country as people are forced to consume products which contain toxic materials in a grave situation where there is no proper quality checking of the contents of a food stuff.

The newly built bridges fall, buildings collapse, roads develop potholes, sometimes soon after construction and plastic used is of questionable quality. All this is because of faulty or lack of certification policies.

I have seen foreign tourists carrying water from their respective countries as they lack faith in the water supplied within our country. It is a ridiculous situation. Our products also should maintain international standards so as to make 'Make in India' concept work.

The food processing industry is a big villain, using deadly materials. In most cases they do not mention on the container the actual materials used for the production of the materials.

Alphonsa mangoes, other fruits and vegetables were rejected by the Western countries. Prawns and fish were rejected as they contained Salmonella bacteria. All these instances prove that the standardization and quality control mechanisms followed are not up to the mark.

Hence, I compliment the hon. Union Minister to have taken the timely and bold steps to introduce this Bill to ensure safe, quality, pure and credible products, which would result in high exports too. Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I thank you for giving me this time to participate in this legislative process.

Sir, I fully support this Bill subject to five reservations. It is well known as the hon. Minister has cited that the Bill is intended to replace the original existing Act, that is, the Bureau of Indian Standards Act, 1986 to provide for the establishment of a Bureau of Indian Standards and also for the harmonious development of the standardization activities as well as the quality certification of the products and processes.

It is well known that the World Trade Organization (WTO) Agreement encourages that all member countries have to adopt the International Standards and move towards mutual recognition of certification systems and a uniform pattern has to be followed.

Sir, let us examine the performance of the Bureau of Indian Standards since 1987. Sir, 28 years have lapsed after the commencement of this Act. During these 28 years of performance of the Bureau of Indian Standards, we could only attend to standardization for 9500 products so far. What is the cost of the delay? It will take 2-3 years even for getting the certification for a product. The two reasons for the delay are, first, there is a rigid procedural formality in getting the certification and the second reason for the delay in getting the certification is lack of infrastructure facilities which most of the Members have cited. Here, proper lab is there. Analyst is there. Expertise is not there. So, these are the two reasons because of which inordinate delay is taking place for certification and standardization. So, we have to rectify it. So, in order to rectify this, whether this Bill is sufficient or not is the point which we have to look into.

Before this Bureau of Indian Standards became a statutory organization, we were having the Indian Standard Institution which was a society. It was in the form of a society that was working. It was very flexible and it was easy to get the certification and standardization. After getting the statutory recognition, the Bureau of Indian Standards has become more rigid and it has become very

difficult to get the certification. Definitely, the Bill of 2015, which is being introduced by the hon. Minister, Shri Ramvilas Paswan is highly essential and required. Hence, I support the Bill.

In the WTO regime, the quality of a product is the most important ingredient in the new market, especially in the neo-liberal market. We have to meet and compete with the international standards. We have to review the standards which we are following in India for standardisation as well as certification so as to protect the interests of consumers because the interests of consumers and the quality of products are mutually related things. So, we have to review it.

This Bill widens the scope of standardisation. Besides articles and processes, goods, services and systems will be brought under the regime of standardisation, which is a very welcome step on the part of the Government. We have experienced the standardisation of administration in Gujarat where so many departments have been standardised. It can be included in the Government administration and Government service also.

The second salient feature which I would like to highlight is that it intends to establish the Bureau of Indian Standards as the national body of standardisation. Though the Indian Government is representing in most of the international fora, the Bureau of Indian Standards has not been declared the national body by a statute. It is only after passing of this Bill that we can say that the Bureau of Indian Standards is the national body of our country. That is also a welcome step.

The third most important salient feature of this Bill, which Shri E.T. Md. Basheer has cited, is that it has widened the network of compulsory or mandatory standardisation of products and services. That is the most important thing which we have discussed in this House. The mandatory certification will help the consumer to get good quality products as well as it prevents the import of sub-standard products from outside countries, especially from China. What is happening in our country at present? Hon. Member from the other side has just

cited that the low quality products are being imported in our country without any restriction. That we can check by this Act.

I would also like to say that so far the Government has standardised only 92 products during these 28 years. That means, in a developing country like ours, that is the performance of the Bureau of Indian Standards. Let us see the Chinese experience in this regard. After the WTO regime, the things have changed because the tariff regime is over. You cannot put restrictions on the basis of tariff. The only thing which we can do is the maximum standardisation of maximum possible products and services in our country. This is the experience which has been done by China. India should also follow the path of China in case of standardisation. We are having absolute freedom to fix the Indian standards for goods and services, whether imported or indigenously manufactured in our country. So, the compulsory certification or the mandatory standardisation as enunciated in the provisions of this Bill will definitely improve the quality of the products and also restrict the import of low quality products. It is my submission that scope of compulsory certification and mandatory standardisation of products and processes should be enlarged.

I would also like to mention about a recent survey conducted in 2006 by BIS itself. It shows very interesting figures. It shows that 90 per cent of the samples of non-Hallmarked jewellery have failed showing 13.5 per cent of declined (minus) purity. But, in case of Hallmark jewellery, it is negligible. So, it is clear that certification and standardisation is very important.

Now, I come to the contradiction. We are having the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The quality of food is being determined and assessed by it. The Bureau of Indian Standards is also having the authority to assess the quality of food and standardise it. So, the multiple organisations are doing the same thing, which has to be avoided. In this respect FSSAI standardisation is mandatory whereas BIS standardisation is not mandatory.

Now, I come to the provisions of the Bill. I will complete my speech within two or three minutes.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you are going to speak at the time of moving your amendments also.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, I am not going to speak at the time of moving amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you will not speak at that time, then you may complete your speech.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, he is not moving his amendments. So, let him speak.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I shall move the amendments, but not be speaking for seeking any division. I will finish within two or three minutes.

I would like to seek certain clarifications from the hon. Minister with regard to clause 2(2) of the definitions. Nowhere in the provisions of the Bill is a mention about the metal. Metal articles are there, but the purity of the metal is not mentioned in any of the provisions. Clause 2(1) says:

“ “article” means any substance, artificial or natural, .....”

If it is natural, metal would also come within the purview of the definition of article. This is my first reservation which I would like to express.

My second reservation is about the definition of precious metals. Clause 2(26) says: “ ‘precious metal’ means gold, silver, platinum and palladium.” Why is diamond not included here? Though he can logically argue that diamond is not a metal, but even then, I would like to know whether it can also be included. While metals like gold, silver, platinum and palladium are there, unfortunately, diamond is not coming within the purview of precious metal.



My third clarification which I am seeking from the Minister is about clause 10(2)(c) of Chapter III which says that the Bureau of Indian Standards may recognize or accredit any institution in India or outside which is engaged in standardization. I fully oppose this provision. How can an outside agency determine and assess the standard of a product which is being manufactured in our country. How will the Indian interest be protected? I would request the hon. Minister to have a re-look at accrediting an outside agency for standardization and certification.

My fourth clarification is regarding clauses 25(1) and 25(2) of Chapter V. The authority of the BIS is being diluted. That is a major point which I would like to make. This is the legislative supremacy of Parliament. Why are we giving statutory recognition to BIS? Clause 25(1) reads:

“Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Bureau shall, in the exercise of its powers or the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time:”

I fully agree if it is the policy. It further reads:

“Provided that the Bureau shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.”

So, as far as it is practicable, the BIS will be given a chance to be heard. Further, clause 25(2) says:

“The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.”

Irrespective of whether it is the policy of the Government or not the policy of the Government, whatever be the decision of the Government, that will be applicable to the BIS. On the one hand, you are giving statutory recognition to the BIS and on

the other, you are saying that the decision of the Government of India shall be final.

My last point is about the judicial process. After filing or instituting prosecution, how can the compounding of offence be possible by an officer of the Government? You cannot assume the powers of the court. An officer of the Government cannot assume the powers of the court after instituting prosecution in a court of law. That provision has to be re-looked into.

With these five reservations, I fully support the Bill and conclude.

Thank you very much.

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आईएसआई विधेयक, 2015 जो माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ... (व्यवधान) आईएसआई कानून देश में 29 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है और ठीक ढंग से कार्य कर रही है। संस्था किसी भी वस्तु की गुणवत्ता व उसे बनाने की सही विधि की प्रमाणिकता प्रदान करती है और उस पर निगरानी करती है। इससे किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है और उपभोक्ताओं को एक अच्छा सामान और वस्तुएं खरीदने में सुविधा होती है।

यह सही बात है कि आज के विश्व बाजार में वैश्विक स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जा रहा है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें निगरानी करने की व्यवस्था को मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाये ताकि इससे किसी वस्तु और समान की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाये। इसकी आड़ में वस्तु का दाम न बढ़ाया जाये। उपभोक्ता को वह उचित मूल्य पर मिले, इसकी व्यवस्था करायी जाये। किसी भी रूल्स का उल्लंघन करने पर उचित सजा का भी प्रावधान किया जाये। उस पर अमल हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, संस्थान को विदेशों से आयातित सामान पर भी निगरानी का अधिकार दिया जाये।

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राम विलास पासवान जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वह कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की दृष्टि से एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल आज इस सदन में लाये हैं। यद्यपि, इससे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कई मुद्दों पर स्टैंडर्ड्स फारम्युलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, हॉल मार्किंग लेबोरेट्री, पेस्टिंग एंड सर्विसेज, वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन द सिस्टम, इनफोर्समेंट, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के मामलों को लेकर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही डब्ल्यूटीओ की संरचना हुयी, उसके पश्चात् यह महसूस किया गया कि भारत की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको स्थान दिलाने की दृष्टि से इस कानून के अंदर परिवर्तन लाने की, बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज इस बिल को लाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप या जापान हो, इन सब देशों ने मानकों को आधार मान कर कई बार भारत की चीजों को ठुकराया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाये हैं, ठीक इसी प्रकार से चाइना जैसे देश ने, चाहे उसने कितना ही घटिया माल बना लिया हो, भारत की मार्केट में उन्हें झोंकने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। इस प्रकार के हथकंडों को रोकने के लिए भी इस प्रकार का बिल लाया जाना अतिआवश्यक था। आज हम देखते हैं कि अगर इस देश के अंदर बेहतरीन किस्म के जहाजों को उड़ाना चाहते हैं तो उनके अंदर जो मैटेरियल्स लगते हैं, उनकी क्वालिटी को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। इसी तरह से हम जो समुद्री जहाज बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को भी हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ किस्म का लोहा उनमें लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हम जो रेल बनाते हैं, उनके पूर्यों के लिए बेहतरीन किस्म का लोहा लगाना पड़ेगा।

हम देख रहे हैं कि किस तरह से सबस्टैंडर्ड्स ड्रस विदेशों से आकर भारत की मार्केट के अंदर छा रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ठीक करने की बजाय, उल्टा कई बार बीमार कर देती हैं। इस प्रकार के कार्यों के संबंध में हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने यह कानून बनाया है, इसमें डीजी की व्यवस्था भी की गयी है, जो समय-समय पर स्पॉट वेरिफिकेशन करके, सर्टिफिकेशन करके, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस, हिन्दुस्तान चाहता है कि भारत की चीजें 'मेक इन इंडिया' के तहत सारी दुनिया के अंदर बने, उस दृष्टि से भी माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आये हैं। इससे पहले भी भारत के अंदर 'जागो ग्राहक जागो' जो कम्पेन चली है, उसमें हमारे विचार परिवार के परम आदरणीय बजरंग लाल गुप्त जी ने, जिस तरह से सारे हिन्दुस्तान का दौरा करके, 'जागो ग्राहक जागो' कैम्पेन के अंतर्गत सारे देश की जनता को जागृत किया है, उस दृष्टि से भी आज आवश्यकता पड़ी है कि इस प्रकार का बिल पास किया जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: It is six o'clock now, so please take your seat. If you want any clarifications, after the Minister's reply, you can ask them. Since it is six o'clock now, if the House agrees, we will extend the time of the House till the passing of the Bill after the Minister's reply is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister.

**18.00 hours**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) :** उपाध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने एकमत से इस नए विधेयक के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है और समर्थन किया है। मैं सभी पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। करीब 22 सदस्य इस पर बोले हैं। श्री के.वी. थॉमस जो पूर्व मंत्री रहे हैं, श्री संजय जायसवाल, श्री ए. अनवर राजा, श्रीमती ममताज संघमिता, रवीन्द्र कुमार जेना जी, जैदेव गल्ला जी, कुण्डा रेड्डी जी, पी.के. बिजू जी, अरविंद सावंत जी, एम. राजमोहन रेड्डी जी, अक्षय यादव जी, ओम बिरला जी, भगवंत मान जी, अभिजीत मुखर्जी जी, चरणजीत सिंह रोड़ी जी, श्री गोपाल रेड्डी, मोहम्मद बशीर जी, जार्ज बेकर जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, कौशलेन्द्र जी और कटारिया जी बोले हैं। हमने सबके विचार बहुत डिटेल् में नोट किए हैं। मैं बहुत ही खुले दिमाग से कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है। नेशनल इंटरस्ट देश का सबसे बड़ा हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है और उसके बाद व्यक्ति का हित होता है। नेशनल इंटरस्ट में न पार्टी होनी चाहिए, न पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसलिए हमसे जितना बन सका, हमने वैंबसाइट पर रखा, स्टेकहोल्डर्स आदि सब लोगों से बातचीत की।

सौगत राय जी नहीं बोले हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा संशोधन दिया। एक-एक संशोधन पर हमने डिपार्टमेंट से दो-दो दिन तक चर्चा की। प्रेमचंद्रन जी के संशोधन पर हमने चर्चा करने का काम किया। सत्पथी जी नहीं बोल पाए। इन्होंने पिछली बार दिया था। हमारे पास जिनका भी सुझाव आया है, उन सारे सुझावों को हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट में नहीं आतीं। खड़गे साहब अनुभवी नेता हैं, सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो रूल्स आदि बनेंगे, उनमें जहां तक संभव होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो संभव नहीं हो सकतीं। दो तरह की विचारधारा है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी अभी तक चलती रही। प्राइवेट सैक्टर है, पब्लिक सैक्टर भी है। एक तरफ होता है कि किसी बॉडी को पूरा स्वतंत्र कर दीजिए, दूसरी तरफ हम पार्लियामेंट में आते हैं तो आप हमसे पूछते हैं कि आप इस विभाग के मंत्री हैं, बताइए। जब तक एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा। जैसे बीआईएस को स्वतंत्र करने के बारे में है। हमने पूरा स्वतंत्र कर दिया। उसके किसी काम-काज में हम दखल नहीं देते। लेकिन मंत्री होने के नाते, हम इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जब आप पार्लियामेंट में आकर बोलते हैं तो सरकार के साथ कुछ न कुछ समन्वय रखने की आवश्यकता होती है। यदि आप कहें, हमने सबकी बात नोट की है और उनका जवाब भी हमारे पास है। अगर आपके पास समय हो तो मैं सबकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।

मैं कुछ प्वाइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे थॉमस साहब ने ठीक कहा कि कन्ज्यूमर गॉड होता है। हम कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग से लाने जा रहे हैं। बीएसआई स्टैंडर्ड से संबंधित है, एक सुई से लेकर अंतरिक्ष यान से लेकर सारी चीजों में स्टैंडर्ड को देखते हैं। हम क्या इस बात को नहीं समझते हैं? यह पार्लियामेंट कब का बना हुआ है, कहीं इसमें कोई खोंच नहीं है, इसके बाद जितने भी भवन बने हैं चाहे वह शास्त्री भवन हो या कृषि भवन सारे का सारे भवनों की क्या दुर्गति हो रही है। पानी की बात आपने कही, मैं एक दिन प्लेन से जा रहा था, उसमें हम लोगों को पानी मिला, उसे हमने पी लिया, उसी प्लेन में एक विदेशी भी यात्रा कर रहा था, उसने पानी लेने के बाद एयरहोटस्टेस से पूछा कि तुमने आउटडेटेड पानी क्यों दिया? हम लोग ज्यादा से ज्यादा आईएसआई मार्क देखते हैं उसमें लिखा हुआ था कि यह छह महीने के बाद पीने योग्य नहीं था। आज लोग हेल्थ कॉन्शस हो रहे हैं लेकिन उतना नहीं है जितना विदेशों में है। हमारे साथी ने कहा कि बहुत सारी दवाइयों पर बैन है और अपने यहां चल रहा है। हमने बार-बार कहा है कि एक एक्ट होता है, एक फैक्ट होता है और एक टैक्ट होता है। हम इतना स्टैंडर्ड कड़ा न कर दें कि सड़क पर कोई सामान ही न बेच पाए। हम लोग कहीं भी जाकर कुछ खा लेते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि आपको इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना है तो इसे डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। हम एक लार्ज कन्ज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट लाने जा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए कि अगर पानी में कम्प्लेंट निकला तो बोतल लौटा दो या पैसा दे दो, इसका मतलब यह हुआ कि सब बोतलों का पानी जो भी मैन्यूफ्रैक्चरड हुआ था, वह सब जहरीला था, उस पर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। यदि कार का इंजन खराब है और उसे एक आदमी चला रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी कार का इंजन खराब है, सभी कारों का इंजन खराब है। उस पर कार्रवाई की जाएगी, यदि दुकान बंद करने की जरूरत होगी तो उसे बंद भी किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। आपने मिसलिडिंग एडवर्टिजमेंट का मामला उठाया, आपको दिल्ली में हर टैम्पू के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, छह महीने में अपने कद को बढ़ा लीजिए, तीन महीने में बाल उगा लीजिए।

आपने खाना के संबंध में कहा, हमारे यहां कढ़ू होता है, उसमें सुई लगा देते हैं, वह बड़ा हो जाता है, आम के संबंध में भी आपने कहा, इसके लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए हम नेशनल स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री का इसे देखने का अलग रवैया था, आईएनबी मिनिस्ट्री मिसलिडिंग एडवर्टिजमेंट को देखने का अलग रवैया था। हमारे पास एक्सपटीज नहीं है, हमने प्राइवेट वालों को भी कहा है कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दें। हमारे सभी साथियों ने कहा है कि हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होना चाहिए। आज भी यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वह इंटरनेशनल बॉडी में जाकर बैठता है, लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या है, एफएसएसआई को बाहर में कोई नहीं जानता है। इजी बिजनेस का मामला भी है, चीन में

5 हजार प्रोडक्ट्स मैनडेटरी है। लेकिन हमारे यहां नहीं हैं, बहुत कम हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हो, लेकिन कैसे होगा? हमारे पास उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और न ही हम कर सकते हैं। हम उसे अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए आसान तरीका अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तरीका सरल हो, लेकिन कानून कठोर हो। आप सब लोगों ने कहा कि कानून कठोर होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि यदि कोई अनिवार्य प्रोडक्ट्स का वायलेशन करता है, आईएसआई का वायलेशन करता है तो वह कॉग्नीजिबल ऑफेन्स माना जायेगा। हमने कहा है कि कॉग्नीजिबल ऑफेन्स ही नहीं माना जायेगा, बल्कि दो साल तक जेल की सजा होगी और एक लाख रुपया फाइन होगा। आपने सबसे बड़ी बात कही कि जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यह प्रावधान है कि उनका साल भर का जो कारोबार है या जब से कम्प्लेंट हुई है, उस कारोबार का दस गुना फाइन देना होगा। एक लाख या दो लाख रुपया फाइन नहीं है, बल्कि दस गुना फाइन देना होगा। ये सारे प्रोविजन्स इस बिल में दिये गये हैं।

सभापति महोदय, चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा। अभी थामस साहब ने जागो ग्राहक जागो के बारे में कहा। इसके साथ-साथ हॉल मार्किंग के संबंध में कहा। हॉल मार्किंग के बारे में हमने सजेशन दिया है कि वह मैनडेटरी होना चाहिए। इसे हमने सरकार के ऊपर छोड़ा है। हमने कल अपने भाषण में कहा था जैसे सोना है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मैं एमपी था, तब मैंने अपने मां के अंतिम समय में सोचा कि उन्हें कुछ दूं, इसलिए मैंने सोने का नेकलेस लिया। हमारे गांव में मां वगैरह हाथ में बांधती थी, तो कभी चांदी का मिल जाता था तो वह समझती थी कि चांदी की बहुत बड़ी चीज मिल गयी। हमने सोचा कि उन्हें सोने की कोई चीज दे दें, इसलिए हमने एक छोटा सा लॉकेट दे दिया। हमने तीन साल बाद देखा कि वह सोना खराब निकला। अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम भी चाहते हैं कि हॉल मार्किंग मस्ट होनी चाहिए। अब 9 कैरेट के सोने से लेकर 22 कैरेट तक सोना रहता है। अब गरीब को क्या मालूम कि वह 9 कैरेट का सोना खरीद रहा है या 22 कैरेट का सोना खरीद रहा है। दुकानदार 22 कैरेट का पैसा लेता है और 9 कैरेट का सोना देता है। हम चाहते हैं कि यह मैनडेटरी हो। हम चाहते हैं कि जितने भी ज्वैलर्स हैं, उनके पास सारे नम्बर्स रहें। ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप कोई भी चीज करते हैं, तो वह हन्डर्ड परसेंट परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ खामियां रहती हैं। इसलिए हमने इसमें संशोधन करने के बारे में सोचा। मैंने पहले ही कहा था कि यह मामला वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी गया। हमारे साथी ने राजीव गांधी जी का नाम लिया। हम सब पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, राजीव जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने शुरुआत की। उस शुरुआत के बाद हमें लगा कि स्टैंडिंग कमेटी जो संशोधन लायी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें पूरा नया बिल लाया जाये। उसके लिए हम नया बिल आपके सामने



लाये हैं। आपने इसमें बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैंने जैसा कहा कि एक्ट अलग होता है, फ़ैक्ट अलग होता है, टैक्ट अलग होता है। बढ़िया से बढ़िया एक्ट हो, फ़ैक्ट अलग हो, लेकिन नेता, नीति और नीयत होनी चाहिए। आप कितनी भी अच्छी चीज बना लीजिए, लेकिन जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मतलब क्या है? हमारा स्टैंडर्ड यदि इंटरनैशनल स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो हम दुनिया में कहां टिक पायेंगे? हम दूसरे देश का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन दीपावली के समय में दीया भी आता है, तो लोग वहां का दीया जलाते हैं। जिस देश में गणेश जी नहीं हैं, वहां से गणेश जी की मूर्ति हमारे पास आती है। हर चीज वहां से आ रही है। हम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? इसलिए हम यह कानून बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत संजीदगी के साथ लॉ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट आदि सबकी राय लेकर जितना दूर तक संभव हो सकता है, उतना हमने किया है। इससे आगे भी जो संभव होगा, हम उसे करेंगे। आपने जो भी सुझाव दिये हैं, उनमें से जो भी संभव हो सकेगा, उसे रूल्स वगैरह में लाने का काम करेंगे। इसलिए हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब इसे एकमत से पास कीजिए और यहां से सिग्नल दीजिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for the establishment of a national standards body for the harmonious development of the activities of standardization, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

*The motion was adopted.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

## **Clause 2                      Definitions**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move the Amendment No. 11 to 17 to Clause 2.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am moving Amendment Nos. 11 to 17 to Clause 2. I beg to move:

Page 2, line 2, *after* “precious” *insert-*  
“metal and”. (11)

Page 2, line 3, *after* “precious” *insert-*  
“metal and”. (12)

Page 2, line 12, *after* “precious” *insert-*  
“metal and”. (13)

Page 2, line 31, *after* “precious” *insert-*  
“metal and”. (14)

Page 2, line 32, *after* “indicates” *insert-*  
“the purity of the metal and the”. (15)

Page 2, line 45, after “business” *insert-*  
“of precious metal or”. (16)

Page 3, line 19, after “platinum” *insert-*  
“diamond”. (17)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendments No. 11 to 17 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 2 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

### **Clause 3                      Establishment of the Bureau and Constitution of Governing Council**

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy to move Amendment No. 5 to Clause 3.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am moving Amendment No. 5 to Clause 3. I beg to move:

Page 4, *omit* lines 28 to 35. (5)

Hon. Deputy Speaker Sir, everybody in the House has supported the Bill. I have nothing against it. The only thing I have mentioned is that in the Bureau of Indian Standards, the Governing Council will have the Minister as the President and the Minister of State as the Vice President. I would like the body to be a non-political professionally competent body. There is no need of political interference

in the body. That is why I have proposed that these clauses which make the Minister, who is not an expert, the President and the Minister of State as Vice President be eliminated. So, I move my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 5 to Clause 3 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 18 to Clause 3.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving Amendment No. 18 to Clause 3.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 3 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

**Clause 4                      Executive Committee of Bureau**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 19 to Clause 4.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving Amendment No. 19 to Clause 4.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 4 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

**Clause 5                      Advisory Committees of Bureau**

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy to move Amendment No. 6 to Clause 5.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am not moving Amendment No. 6 to Clause 5.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 5 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Clause 6 was added to the Bill*

**Clause 7                      Director General**

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy to move Amendment No. 7 to Clause 7.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am moving Amendment No. 7 to Clause 7. I beg to move:

Page 5, line 36, *after* “Bureau” *insert-*

“who shall be an eminent Scientist or an Engineer or a Technologist.” (7)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, do you want to say something?

PROF. SAUGATA ROY: In Clause 7, I am moving Amendment No. 7 and I request the Minister to accept this because as I said, the Bureau of Indian Standards should be a professional body and the main job of the Bureau of Indian Standards is to certify quality of products. For that, proper testing is necessary especially with regard to precious metals like gold, silver, palladium etc. You

know ordinary testing would not do. You need testing like x-ray, spectroscopic analysis and all that. So, I would not like the Director General to be a bureaucrat. I would like him to be a technocrat. Sir, I may mention that when Pandit Nehru formed the Indian Standards Institution in 1947, he had an eminent scientist Lal Chand Verman as the first Director General of ISI. That is why I proposed that the Director General should be an eminent scientist or an engineer or a technocrat. This is in the interest of professional competence of the body.

**श्री राम विलास पासवान :** इसमें कहीं बाइडिंग तो नहीं है कि कोई नहीं हो सकता है। इंजीनियर भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है। इसमें रोक कहां है? इसमें तो ऑलरेडी है।

**प्रो. सौगत राय:** रोक तो नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है कि ब्यूरोक्रेट आईएएस आफिसर हो जाए।  
HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No.7 to clause 7 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

*The Amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That Clause 7 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

### **Clause 9 Powers and functions of Bureau**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji, are you moving your Amendment No.8 to clause 9?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am not moving my Amendment No.8.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That Clause 9 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.  
Clause 9 was added to the Bill.*

**Clause 10      Indian Standards**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No.20 to clause 10?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir, I beg to move:

Page 7, line 27,-

*omit “or outside”    (20)*

Sir, I am moving my amendment because it is accrediting an outside agency for standardization and certification.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No.20 to clause 10 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The Amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That Clause 10 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.  
Clause 10 was added to the Bill.  
Clauses 11 to 13 were added to the Bill.*

**Clause 14      Certification of Standard Mark of jewellers and sellers of  
certain specified goods or articles.**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No.21 to clause 14?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving Amendment No.21.





HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No.1 to clause 17 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

*The Amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That Clause 17 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.  
Clause 17 was added to the Bill.*

**Clause 18      Obligations of licence holder, seller, etc.**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving your Amendment No. 2 to clause 18?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Yes, Sir, I beg to move:

Page 10, line 10,-

*after* “license holder”

*insert* “and shall maintain proper invoice of such purchases”. (2)

Sir, the Minister has already admitted that there may be some kind of deficiencies which could be corrected later. I would like to point out one deficiency in Clause 18, after page 10. In Page 10, after line 10, I would like to insert that “shall maintain proper invoice of such purchases”. Sir, it is a severe lacuna that has been pointed out by me. I think the Minister certainly will consider it because already the imposters, the middlemen and other deceivers are deceiving the customers of our country by taking advantage of various kinds of loopholes. One of such loopholes I want to correct and suggest that ‘invoice of such purchases’ needs to be inserted in the Clause.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No.2 to clause 18 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

*The Amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That Clause 18 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 18 was added to the Bill.*

*Clauses 19 to 24 were added to the Bill.*

**Clause 25 Power of Central Government to issue directions**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 12, line 15,-

*omit “, as far as practicable.” (22)*

Page 12, line 17, -

*omit “or not”. (23)*

Sir, I am moving my amendment Nos. 22 and 23 to Clause 25. It is a very pertinent point. It is because the Bureau of Indian Standards is a statutory organization and we are giving recognition to that. If it is for the policy matter, BIS need not be consulted but if it is not a policy matter, BIS will not be consulted. Whatever decision is taken by the Government, it will be final. Then why are we giving authority to BIS? It is because this is a statutory organization and absolute right is being conferred on it. Even after that, if it is a policy matter, I fully agree. If it is not a policy matter, at least, they should be given an opportunity of being heard. The words here mentioned are ‘as far as practicable’ we will hear them for the policy matter. But in non-policy matters, why the BIS to whom Parliament is giving authority is not being heard? That is my question. Kindly consider this issue.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 22 and 23 to Clause 25 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 25 stand part of the Bill”.

*The motion was adopted.*

*Clause 25 was added to the Bill.*

*Clauses 26 to 28 were added to the Bill.*

**Clause 29 Penalty for Contravention**

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

Page 13, lines 41 and 42, -

*for* “one year or with fine which shall not be less than one lakh rupees, but may extend up to five”

*substitute* “five years or with fine which shall not be less than two crore rupees, but may extend up to ten”. (3)

Page 14, *for* lines 2 to 4, -

*substitute* “imprisonment for a term which may extend up to five years or with fine which shall not be less than two crore rupees for the first contravention and not be less than five crore rupees for the second and subsequent contraventions, but may extend up to twenty times the value of”. (4)

Sir, I would like to move my amendment. The Minister has stated that जो लोग हमसे और हमारे उपभोक्ताओं से चीटिंग करेंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था की जाएगी।

Sir, unscrupulous elements are very much available in our country in spite of all the progress that we have made. We have not been able to get rid of unscrupulous elements of our country. That is why, as a deterrent measure, I

would like to move the amendment. I think the Treasury Benches are also in agreement with me.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 3 and 4 to Clause 29 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move:

Page 13, line 39.-

*for* “five lakh”.

*substitute* “ten lakh” (9)

Page 13, lines 41 and 42,-

*for* “one year”.

*substitute* “two years”. (10)

Sir, I have brought these amendments to raise the fine from Rs. 5 lakh to Rs.10 lakh. This is only symbolic because I think the punishment should be made harsher as has been said by Mr. Chowdhury. The sale of fake products in India have gone up to Rs.22000 crore and the amount that the Government loses in revenue would be roughly to the extent of Rs.2500 crore. If I may mention, there are certain places in India which are excelling in the fake products market. These are Sonapat, Ghaziabad, Panipet, Meerut, Ballabgarh and NCR Region. They have become illegal manufacturing hubs. Also, Bhagirath Place in Delhi, Indore in Madhya Pradesh, Lucknow and Ahmedabad have become important centres for the production of counterfeit medicine. Today, this is threatening the lives of people. Therefore, the harshest possible punishment needs to be given. The profits are windfall because you sell a product manufactured at half the price. You can make the same amount of money as original products.

I may mention that in India, all the important FMCG companies are affected with fake products. These companies are Procter & Gamble, Hindustan

Lever, Colgate, Marico, GlaxoSmithKline, Coca Cola, Pepsico, Gillette and Britania. The fake products imitating them have come out all over the country.

करोड़ों रुपयों का कारोबार हो रहा है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कानून तो हम बनाते हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सारे देश में खुल्लमखुल्ला फेक प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस पर मंत्री जी काबू करें और कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 and 10 to Clause 29 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 29 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 29 was added to the Bill.*

*Clauses 30 to 32 were added to the Bill.*

### **Clause 33            Compounding of offence**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 15, lines 7 and 8,--

*for “either before or after”*

*substitute “before”                    (24)*

The hon. Law Minister is here. How can a case be compounded and an officer can be authorized after institution, prosecution petition before the court. Here, as per this provision, after the institution of any prosecution be compounded by an officer so authorized by the Director General in such a manner as may be prescribed. How can it be? We are giving ample chance and opportunity to compound the offence before instituting the prosecution petition. After instituting the prosecution petition only the court can compound. How can an officer be authorized to compound the case when the matter is pending before the court? How could it be compounded? So, kindly look into this matter.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 24 to Clause 33 moved by Shri N.K.Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 33 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 33 was added to the Bill.*

*Clauses 34 to 43 were added to the Bill.*

*Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I just want to speak for a minute on the Bill. This Bureau of Indian Standards Bill covers only a part of the total gamut of products that are sold. The main place where standardization is most necessary is in food products. This affects the biggest companies. You would know that 10 to 12 years ago there was a controversy about pesticides being found in Bisleri manufactured by Coca Cola company. Parliament had to set up a Committee. You are also aware of the crisis caused by finding lead in Maggie Noodles over which a lot of controversy had taken place. There are a number of laws under the Ministry which need to be addressed properly. I would like the food products also to be brought

within it since he is bringing in goods, services etc. under this Bill, I would like them to be controlled.

Lastly, he himself mentioned that gold is one item where hall marking is absent.

Sir, 90 per cent of gold is sold without any Hallmark or Agmark. Common people are being taken for a ride. As he mentioned, nine carat gold is being shown as 22 carat gold. Even with this law, I would like the hon. Minister to spell out now or later as to what he will actually do to implement the new law or the new powers that the House is giving him unanimously. Without that, Indian people will buy adulterated food. They will eat adulterated food, buy fake products, look-alike products, wear fake helmets or false helmets and suffer in every way. The Government must give protection to the consumers so that they will get fair value for the money.

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस बिल का जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन है कि डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको बराबर मीट किया जाएगा। जिस तरह से पिछली सरकार में सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी-ब्रांड रिटेल को इन लोगों ने पास किया और जिस तरह से वालमार्ट, किंगफिशर, टेस्को जैसी कंपनियां आएंगी और उनके जो प्रोडक्ट्स यहां बिकेंगे, उनका जो स्टैंडर्ड है, उसमें बीआईएस कैसे प्रभावी होगा?

दूसरे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसा अभी फूड प्रोडक्ट्स के बारे में सौगत रॉय जी कह रहे थे, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने हमारे अलफांसो आम को खाने के काबिल नहीं मानकर बैन कर दिया था। उसी तरह से हमारी पूरी स्टील इंडस्ट्री अभी क्राइसिस में जी रही है, वह चाइना से कम्पीट कर रही है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों या दीपावली के सामान हों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं हों, सब चीजें चाइना से बनकर आती हैं। डब्ल्यूटीओ की आब्लीगेशन के कारण पूरी दुनिया में हमारी जो स्थितियां हैं, उसके लिए डब्ल्यूटीओ में भारत सरकार का क्या ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म है कि हम अपने बीआईएस को प्रभावी तरीके से लागू कर पाएंगे और अपनी स्थितियों को दुनिया के सामने ला पाएंगे?

**SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI):** Sir, I thank you very much for permitting me to ask a clarificatory question. I want to know whether the Bill creates a

possibility of duplicacy of work in case of formulation of standards by BIS and other mandated authorities such as the Food Safety and Standards Authority of India. Will this lead to divergence of standards and over standardization, especially in respect of processed foods? In the scenario of conflicting standards or double standardization by different bodies, whose standards will prevail and be implemented and what about the provision to resolve any conflicting standards or double standardization by the BIS and other bodies?

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वर्ष 1986 के मानक कानून को बदलकर नया कानून लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी गुणवत्ता को मापने का हमारा जो तरीका है, उन पदार्थों की क्वालिटी एफएसएसआई द्वारा प्रमाणित की जाती है। इसमें कैसे समन्वय होगा, जैसे तेल है, तेल खाद्य पदार्थ में भी शामिल है, इसको हम कैसे बीआईएस के अंतर्गत कैसे लाएंगे? मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इसके लिए कैसे नए कानून कठोरता से लागू करेंगे? क्या समन्वय बनाकर लागू करेंगे या अपने विभाग द्वारा ही किसी विशेष तरीके से इसे कड़ाई से लागू करेंगे?

दूसरा विषय यह है कि धारा 18(6) के अंतर्गत माल वापस मंगाने का आपने प्रावधान रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी वस्तुओं को आप वापस मंगाने की श्रेणी में रखेंगे? जो सेवा हम दे रहे हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था होगी?

**HON. DEPUTY-SPEAKER:** Shri Ratan Lal Kataria, you have already spoken on this Bill. So, if you want to ask any question, please go ahead.

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 13 फरवरी को गुवाहटी में कंस्लटेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम बीआईएस के अंतर्गत स्वच्छ भारत स्कीम को भी लाएंगे। इसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा? दूसरा, स्मार्ट सिटी के लिए बीआईएस का इस प्रकार का सेटअप हम खड़ा करेंगे जिसके अंतर्गत हम सभी स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करेंगे। इसके अलावा बीआईएस के अंतर्गत वर्ष 2016 तक फाइव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स हिन्दुस्तान में स्थापित करने की बात कही थी। इन सब बातों को लागू करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?



**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** महोदय, पासवान जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें टैक्ट है, फ़ैक्ट है, लेकिन एक्ट में कुछ कमजोरियां हैं। इसमें थोड़ी ताकत लाने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि

“Imprisonment for a term which may extend upto five years or with fine which shall not be less than two crore rupees for the first contravention and not be less than five crore rupees for the second and subsequent contraventions, but may extend upto twenty times the value of”.

ऐसा होने से एक्ट में तुरन्त ताकत आएगी, नहीं तो टैक्ट रहेगा, फ़ैक्ट रहेगा, लेकिन एक्ट कमजोर हो जाएगा।

**SHRI P.K. BIJU (ALATHUR):** Sir, I would like to ask a clarification. Under Powers and Functions of Bureau, under Clause 9, Chapter II, it is said, “establish branches, offices or agencies in India or outside”.

As far as the foreign manufacturers are concerned, they have signed MoU with the BIS. That is our system. But what is the purpose of opening a branch outside India? Kindly clarify this.

**श्री रामविलास पासवान :** महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड केवल कागज पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि असल में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीआईएस ने अभी कुछ ही मानक बनाए हैं और हमने कुछ के लिए लाइसेंस भी जारी किया है। खाद्य का मानक हम नहीं बनाते हैं, बल्कि हेल्थ मिनिस्टरी बनाती है, चूंकि उनके पास एक्सपर्टाइज़ है। उनके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जिसके अंतर्गत यह आता है। इसी तरह से टेलीकॉम टेलीकॉम अथॉरिटी के अंदर है। हम यह करने जा रहे हैं कि सभी के स्टैंडर्ड को, जिसमें वॉलियंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन सभी को लेकर हम इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बना रहे हैं। लेकिन मार्किट में कोई भी सामान जाएगा और उसकी शिकायत मिलेगी, तभी हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, हम पहले से ही जाकर जांच करना शुरू कर दें कि तुम्हारा यह सामान सही नहीं है, गलत है, उसमें इंस्पेक्टर राज हो जाता है। जब एक बार शिकायत आएगी तो निश्चित है कि वहां हमारा इंस्पेक्टर जाकर देखेगा। पुलिस को जो कार्रवाई करनी होगी, वह करेगी।

दूसरा, आपने अनिवार्यता की बात कही है। सरकार ने अनिवार्यता के लिए एक क्लॉज दिया है कि नेशनल इंटरैस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के प्वाइंट ऑफ व्यू से, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के

दृष्टिकोण से सरकार की नजर में जो-जो सामान आएगा, सरकार उसको मेंडेटरी करने का काम करेगी। हॉल मार्किंग के संबंध में मैंने कहा था कि हॉल मार्किंग मेंडेटरी के अंतर्गत आए। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, जिसमें अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं।

हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, हमें सबको देखकर कानून बनाना पड़ता है और जैसा कि हमने कहा कि यदि उसमें कहीं खामी रही तो जब हमारे रूल्स वगैरह बनेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि उसमें कितना समाहित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि यह मामला काफी दिनों से रुका हुआ था, इसे तीस साल हो गये हैं, तीस सालों के बाद एक बिल सदन में मानक को लेकर आया है, इसलिए यह एक हिस्टोरिक बिल है, जिसे आप एक्ट बनाने जा रहे हैं और जब यह एक्ट बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

*The motion was adopted.*

---

**18.47 hours****HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2015**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Next, we will take up Item No. 11. Shri D.V. Sadananda Gowda.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it can be taken up tomorrow.

HON. DEPUTY-SPEAKER: He is only moving the Bill. We will take it up for discussion tomorrow only. He is only moving the Bill for consideration.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I will just move the Bill. The rest of the things, I will take up tomorrow.

SHRI K.C. VENUGOPAL: It is already 6.45 p.m.... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): It seems you are tired. As far as this week is concerned, we are almost coming to an end. Let him do that. We will discuss it tomorrow.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I will say only this much and I will say the rest of the things tomorrow.

I beg to move:

“That the Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, be taken into consideration.”

Sir, the High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015 was introduced in the Lok Sabha on 13.8.2015. About the rest of the things, I will say tomorrow.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 4<sup>th</sup> December, 2015 at 11 a.m.

**18.47 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday,  
December 4, 2015/Agrahayana 13, 1937 (Saka)*

---